भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 460] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 1985/आश्विन 3, 1907
No. 460] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 1985/ASVINA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

26135 - 16-1-86

मन्त्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

का आ 696(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ चौहत्तरवां संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की अनुसूचियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

"प्रथम अनुसूची

(नियम 2)

मंत्रालय, विभाग सचिवालय तथा कार्यालय

1 कृषि मंत्रालय

(1) कृषि और सहकारिता विभाग

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(iii) ग्रामीण विकास विभाग

(iv) उर्वरक विभाग

2 वाणिज्य मंत्रालय

(1) वाणिज्य विभाग

(ii) वस्त्र विभाग

(iii) पूर्ति विभाग

3 संचार मंत्रालय

(i) डाक विभाग

(ii) दूर संचार विभाग

4 रक्षा मंत्रालय

(i) रक्षा विभाग

(ii) रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग

(iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

5 ऊर्जा मंत्रालय

(1) कोयला विभाग

(ii) विद्युत विभाग

(iii) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

6 पर्यावरण और वन मंत्रालय
पर्यावरण वन तथा वन जीव विभाग

7 विदेश मंत्रालय

8 वित्त मंत्रालय
(1) आर्थिक कार्य विभाग
(11) व्यय विभाग
(111) राजस्व विभाग

9 खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(1) खाद्य विभाग
(ii) नागरिक पूर्ति विभाग

10 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(1) स्वास्थ्य विभाग
(11) परिवार कल्याण विभाग

11 गृह मंत्रालय
(i) आन्तरिक सुरक्षा विभाग
(ii) राज्य विभाग
(iii) राजभाषा विभाग
(iv) गृह विभाग

12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(i) शिक्षा विभाग
(ii) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग
(iii) महिला कल्याण विभाग
(iv) कला विभाग
(v) संस्कृति विभाग

13 उद्योग मंत्रालय
(i) औद्योगिक विकास विभाग
(ii) कम्पनी कार्य विभाग
(iii) रसायन और पैट्रो रसायन विभाग
(iv) सरकारी उद्यम विभाग

14 सूचना और प्रसारण मंत्रालय

15 श्रम मंत्रालय

16 विधि और न्याय मंत्रालय
(1) विधि कार्य विभाग
(11) विधायी विभाग
(111) न्याय विभाग

17 संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय
(i) संसदीय कार्य विभाग
(ii) पर्यटन विभाग

18 कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(iii) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग

19 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

20 योजना मंत्रालय
(1) योजना विभाग
(11) सांख्यिकी विभाग

21 कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय

22 विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय
(1) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग
(11) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

23 इस्पात और खान मंत्रालय
(i) इस्पात विभाग
(ii) खान विभाग

24 परिवहन मंत्रालय
(1) रेल विभाग
(11) नागर विमानन विभाग
(111) जल भूतल परिवहन विभाग

25 शहरी विकास मंत्रालय

26 जल संसाधन मंत्रालय

27 कल्याण मंत्रालय

28 परमाणु ऊर्जा विभाग

29 इलैक्ट्रोनिकी विभाग

30 महासागर विकास विभाग

31 अंतरिक्ष विभाग

32 मंत्रिमंडल सचिवालय

33 राष्ट्रपति सचिवालय

34 प्रधान मंत्री कार्यालय

35 योजना आयोग

द्वितीय अनुसूची

(नियम 3)

विभागों में विषयों का वितरण

कृषि मंत्रालय

क कृषि और सहकारिता विभाग

भाग-1

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान के सप्तम अनुसूची की सूची 1 में के अन्तर्गत हैं —

1 अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ सम्पर्क कोआपरेटिव फार अमेरिकन रलीफ एवरीव्हेयर (सी ए आर ई) से कृषि आदि से संबंधित माल का प्राप्त करना।

2 कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।

3 टिड्डी नियंत्रण का अभिसमय।

4 पशु महामारी रोग।

5. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से सम्बद्ध हैं —

(क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्धचूर्ण, शिशु दुग्ध आहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार, सघनित दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद), मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रशीतन,

(ख) कृषि उद्योगों (मशीनरी, उर्वरक, बीज और पशु खाद्य सहित) का इस परिसीमा के साथ विकास कृषि उद्योगों (मशीनरी और उर्वरक सहित) के विकास के बारे में कृषि विभाग के कृत्य मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों,

(ग) शल्क लाख उद्योग

(घ) मछलियों का संसाधन (जिनके अंतर्गत डिब्बों में बन्द करना और हिमीकरण भी सम्मिलित है,

(ङ) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना और उसकी प्रबंध व्यवस्था और

(च) मत्स्य संसाधन उद्योग का तकनीकी सहायता और सलाह।

6 अन्तर्देशीय और समुद्री मछली पकड़ना और मीनी क्षेत्र।

7 राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र (जिसके अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का स्टेशन बम्बई है)।

8 कृषि संबंधी गणना और पशुधन गणना।

9 अखिल भारतीय सेवाएं—भारतीय कृषि सेवा।

10 गन्ना विकास स्कीम।

11 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुए नुकसान और पशुधन की हुई हानि संबंधी मामले।

12 महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण मानव जीवन और सम्पत्ति को होने वाली हानि से संबंधित मामले।

13 महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आवश्यक राहत उपायों का समन्वय।

14 भारतीय जन दुर्भिक्ष न्यास

भाग—II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अंतर्गत हैं, (केवल विधान की बाबत)—

15 खाद्य पदार्थों से भिन्न कृषि उत्पादों में अपमिश्रण।

16 आर्थिक योजना (कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी)।

17 वृत्तियां (पशु चिकित्सा व्यवसाय)

18 पशुओं या वनस्पति को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशकजीवों के, जिनके अन्तर्गत टिड्डियां भी हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।

19 खाद्यान्न, शर्करा वनस्पति, तिलहनों, वनस्पति तेलों, खली और वसा, पटसन, रूई और चाय के सिवाय कृषि वस्तुओं की कीमत का नियंत्रण।

20 तिलहनों का उत्पादन।

21 संघ अपने अभिकरणों द्वारा या सहकारी संघों द्वारा डेरी विकास स्कीमों के भार अपने ऊपर लेने वाले विभिन्न राज्यों को [illegible] रूप।

22 बाढ़ अध्यादेश I और II तथा उनसे सम्बद्ध सभी मामले।

23 पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण।

भाग—III

सब राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैं —

24 कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न), नाशकजीवों से रक्षा और पादप रोगों का निवारण।

25 पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति और पशु रोगों का निवारण, शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।

26 प्रतिपालक अधिकरण।

27 कृषि क्षेत्र में सहयोग, कृषि ऋण और ऋणग्रस्तता।

28 कृषि उत्पाद के विपणन संबंधी सामान्य नीति जिसमें कीमत-निर्धारण, निर्यात आदि सम्मिलित है।

29 बीमा (फसल और पशु बीमा)

30 सभी सेक्टरों से सहकारिता और सहकारी क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में साधारण नीति (संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी हैं)

31 राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले।

32 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

33 ऐसी सहकारी सोसाइटियों का जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।

34 सहकारी, विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है)।

भाग—IV

साधारण और पारिणामिक

35. जहां तक कृषि और सहबद्ध विषयों का संबंध है वहां तक विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विदेशी सहायता से सम्बद्ध सब मामले, जिनके अंतर्गत वे सभी मामले हैं, जो कृषि और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में भारत द्वारा विदेशों को दी गई सहायता से संबद्ध हैं, किन्तु जिनके अंतर्गत कृषि, गवेषणा और शिक्षा तथा सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में के ऐसे मामले नहीं हैं जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को विनिर्दिष्टतः समनुदिष्ट किए गए हैं।

36 कृषि और उद्यान कृषि।

37 बायोगैस्टेटिक योजना।

38 पशुपालन जिसके अंतर्गत (क) कांजी हाउस और पशु-अतिचार (ख) चरागाहों का उपयोग और वध है।

39 कृषि उत्पादन अधिक अन्न और चारा उगाओ।

40 भूमि उद्धार

41 राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड।

42 रुई और पटसन का विकास।

43 विकास कार्यक्रमो से सम्बद्ध मृदा सर्वेक्षण।

44 राज्य भू-संरक्षण और वन विकास स्कीमो का वित्तीय सहायता।

45 उर्वरक और खाद (मांग का आकलन तथा का नियतन और उर्वरको का वितरण)।

46 (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 और (ख) उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन।

47 कीटनाशी अधिनियम, 1968 का प्रशासन।

48 कृषि उपकरण और मशीनरी।

49 देश मे विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण का संगठन और विकास।

50 सघन कृषि जिला कार्यक्रम।

51 सघन कृषि क्षेत्र।

52 फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताए और कृषक संगठन।

53. भूमिहीन कृषि श्रमिको को बसाने के लिए राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रो से प्राप्त स्कीमें।

54 यांत्रिक फार्म।

55 इस सूची मे विनिर्दिष्ट विषयो मे से किसी से संबंधित सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

56 ऐसी परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टत आबंटित हैं, इस सूची मे सम्मिलित किए गए विषयो के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सैक्टर परियोजनाए।

57 इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी से संबंधित विधियो के विरुद्ध अपराध।

58 इस विभाग को आबंटित विषयो मे से किसी के प्रयोजनो के लिए जांच और सांख्यिकी।

59 इस विभाग को आबंटित विषयो मे से किसी की बाबत फीसे उन फीसो के सिवाय जो न्यायालय मे ली जाती है।

ख कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।

भाग--I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत हैं --

1 विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि गवेषणा और शिक्षा संस्थाओ और संगठनो से संबद्ध, जिसके अंतर्गत कृषि गवेषणा और शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो, संगमो और अन्य निकायो मे भाग लेना और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि मे किए गए विनिश्चयो का अभिपूर्ति करना है।

2 मौलिक, अनुप्रयुक्त और सक्रियात्मक गवेषणा और उच्चतर शिक्षा जिसके अंतर्गत ऐसी गवेषणा का समन्वय तथा कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योग और मत्स्य उद्योग में उच्चतर शिक्षा जिसके अंतर्गत कृषि अर्थशास्त्र और विपणन।

3 उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओ में तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओ में ... तक समन्वय ... और मानको का निर्धारण जहा तक वे खाद्य और कृषि से जिसके अंतर्गत पशुपालन डेरी उद्योग और मीन उद्योग हैं संबंधित हैं।

4 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और खाद्य वस्तु और रबड संबंधी कार्यक्रमो से भिन्न वस्तु अनुसंधान कार्यक्रमो के वित्तपोषण के लिए उपकर।

5 गन्ना अनुसंधान।

भाग—II

संघ राज्य क्षेत्रो के लिए उपर्युक्त भाग I मे वर्णित विषय जहा तक वे इन राज्य क्षेत्रो की बाबत, विद्यमान है, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैं --

6 कृषि शिक्षा और गवेषणा।

भाग—III

साधारण और पारिणामिक

7 जहा तक कृषि गवेषणा और शिक्षा तथा सहबद्ध विषयो का संबंध है वहां तक विदेशो और अंतर्राष्ट्रीय संगठनो से प्राप्त विदेशी सहायता से सम्बद्ध सब मामले, जिनके अंतर्गत वे सभी मामले है जो कृषि गवेषणा और शिक्षा सहबद्ध विषयो के क्षेत्रो मे भारत द्वारा विदेशो को दी गई सहायता से संबद्ध है।

8 पादप प्रवर्तन और संगवेषण।

9 गवेषणा, प्रशिक्षण सह-संबद्ध, वर्गीकरण मृदा मानचित्रण और निर्वचन से संबद्ध अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण।

10 राज्य सरकारो और कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि गवेषणा और शिक्षा स्कीमो तथा कार्यक्रमों की बाबत वित्तीय सहायता।

11 राष्ट्रीय निरूपण

12 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके संघटक अनुसंधान संस्थान, स्टेशन प्रयोगशालाए और केन्द्र।

13 इस विभाग को आबंटित विषयो मे से किसी से संबंधित विधियो के विरुद्ध अपराध।

14 इस विभाग को आबंटित विषयो मे से किसी के प्रयोजनो के लिए जांच और सांख्यिकी।

15 इस विभाग को आबंटित विषयो में से किसी की बाबत फीसें उन फीसो के सिवाय जो न्यायालय मे ली जाती हैं।

ग ग्रामीण विकास विभाग।

1 पंचायती राज से संबंधित सभी मामले।

2 भूमि सुधार भूमि धारण अधिकार भूमि रिकार्ड, जोतो की चकबन्दी तथा अन्य संबंधित मामले।

3 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का प्रशासन और संघ के प्रयोजन लिए भूमि अर्जन संबंधी अन्य मामले।

…जिसमें … पर वसूल की जाने वाली … है, शामिल।

5 भूमि अर्थात भू-दृढ़ीकरण, भूमि का उद्धारण और अन्य प्रकार का भूमि सुधार और कृषि सम्बन्धी सुधार जिसके अन्तर्गत निर्माण और अन्य योजना सुधार के लिए … भूमि … का अर्जन नहीं है।

6 भू-राजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए परिमाप और राजस्व का अन्य संक्रामण भी है।

7 कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क।

8 प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास और पोषाहार कार्यक्रम के ग्रामीण क्षेत्रों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी मामलों की नोडल जिम्मेदारी।

9 ग्रामीण जलप्रदाय।

10 (क) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से सम्बन्धित सब विषय और ग्रामीण विकास की नीतियां और कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत विशेष सकर्म, मजदूर या आय में वृद्धि करने हेतु तैयार करना उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण।

(ख) ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन जैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा ग्रा रो का), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रा भू रो गा का) और समय-समय पर बनाए गए कार्यक्रम।

ग्रामीण बेरोजगार या रोजगार से सम्बन्धित माइक्रो स्तर आयोजन तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा।

11 सर्वांगीण ग्रामीण विकास जिसमें लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमान्त कृषक और कृषि मजदूर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं।

12 मरुस्थल विकास कार्यक्रम।

13 लोक सहकार जिसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से सम्बन्धित सब विषय भी हैं।

14 ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था जिसमें ग्रामीण गोदाम आते हैं।

15 नगर और ग्राम योजना, जहाँ तक उसका सम्बन्ध है ग्रामीण क्षेत्रों से है।

16 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937।

17 इस सूची की मदों से सम्बन्धित सहकारी समितियाँ।

18 इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से सम्बन्धित सभी सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन।

19 ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मामलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी मामले।

20 काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी/… सेंटर फार इंटेग्रेटेड रूरल डवलपमेंट फार एशिया एंड पैसिफिक (सी आई आर डी ए पी) तथा दि एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (ए ए आर आर ओ) से सम्बन्धित सभी विषय।

…

1 …

पारस्परिक … सम्मिलित …।

3 इस विभाग में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित … परियोजनाएं और परियोजनाएं … अन्य मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टया आवंटित कर दी गई हैं।

4 इस मंत्रालय के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी सम्बन्धित सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

वाणिज्य मंत्रालय

क वाणिज्य विभाग

(1) साधारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति

1 अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीति।

2 वाणिज्य नीति से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे कि यू एन सी टी ए डी, ई एस सी ए पी, ई सी ए, ई सी एल ए, ई ई सी, ई एफ टी ए, जी ए टी टी)।

3 गृह से भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-करार।

4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बन्धित अन्य विषय जिनमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध सम्मिलित हैं।

(2) विदेश व्यापार

5 विदेश व्यापार से सम्बन्धित अन्य विषय जिनमें व्यापार वार्ता और करार (जिनमें टैरिफ और व्यापार विषयक साधारण करार और राष्ट्रमंडल टैरिफ अधिमान सम्मिलित हैं) व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल, व्यापार सहयोग और संवर्धन और विदेशस्थ भारतीय व्यापारियों के हितों का संरक्षण सम्मिलित है।

6 आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं है

(1) कच्ची फिल्म का आयात,

(ii) भारतीय फिल्मों का निर्यात दर्श और लघु कथा चित्र दोनों, और

(iii) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित सिनेफिल्म (अनुमापित) और अन्य वस्तुओं का आयात और वितरण।

7 मूल्य नियंत्रण, आयात और निर्यात।

(3) राज्य व्यापार

8 राज्य व्यापार की नीतियाँ तथा इस उद्देश्य के लिए स्थापित संगठनों का कार्य-निष्पादन जिनमें ये सम्मिलित हैं

(1) हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्यात निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के सिवाय राज्य व्यापार निगम तथा उनके सहायक संगठन।

(ii) खनिज और धातु व्यापार निगम तथा उनके सहायक संगठन।

(4) शत्रु के साथ व्यापार शत्रु सम्पत्ति।

9 शत्रु के साथ व्यापार—शत्रु फर्में और शत्रु सम्पत्ति हानियाँ (जर्मन औद्योगिक उत्तरकर से भिन्न) शत्रु व्यापार नियंत्रक, भारत के लिए शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक।

10 टैरिफ आयोग … अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-शुल्क ब्यूरो।

सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माणों और अर्द्ध-विनिर्माणों, जिनमें, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, से सबंधित निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार

(क) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और मार्क) अधिनियम, 1937 के अर्न्तगत आने वाले कृषि उपज—

(ख) समुद्री उत्पाद—

(ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी का सामान, कैमिकल्स, प्लास्टिक चमड़ा उत्पाद आदि)—

(घ) ईंधन खनिज और खनिज उत्पाद

(ङ) विनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुख उत्पाद (जिनमें बागान उपज आदि तो आते हैं लेकिन पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते) जो प्रत्यक्षतः इस विभाग के भारसाधन मे है।

12 वे सभी सगठन और संस्थाएं जो निर्यात उद्यम से सबंधित सेवाओं की व्यवस्था से संबद्ध हैं, जिनमे निम्नलिखित सम्मिलित हैं

(क) निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम।

(ख) निर्यात और निरीक्षण परिषद्।

(ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।

(घ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण।

(ङ) निःशुल्क व्यापार जोन।

13 निर्यात उद्यम के लिए प्रोत्साहक और सहायक परियोजनायें और कार्यक्रम।

14 बागान, उपज, चाय काफी, रबड़ और इलायची का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास।

15 देश मे खपत और निर्यात के लिए इंस्टेंट चाय और इंस्टेंट काफी का संसाधन और वितरण।

16. (1) भारतीय चाय व्यापार निगम।

(2) चाय बोर्ड।

(3) काफी बोर्ड।

(4) रबड़ बोर्ड।

(5) इलायची बोर्ड।

(6) तम्बाकू बोर्ड।

ख पूर्ति विभाग

1 जिन मदों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोर का केन्द्रीय सरकार के लिए क्रय निरीक्षण और रवाना करने का कार्य।

2 अधिशेष स्टोर का व्ययन।

3 गत युद्ध-सगठनों जिनके अन्तर्गत सिविल अनुरक्षण यूनिटों सहित वायुयान महानिदेशालय और पोत मरम्मत महानिदेशालय भी है, से सबंधित पूर्ति और व्ययन का अवशिष्ट कार्य।

4 निम्नलिखित का प्रशासन :-

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय।

(ख) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली।

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर, कलकत्ता।

ग. वस्त्र विभाग

1 जूट, जूट उत्पाद, हस्तशिल्प और सभी वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों जिनमे हैंडलूम, विद्युत करघे, मिलें निर्मित वस्त्र शामिल है, का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास किन्तु रेशम और सेलुलोसिक वस्तुओं जिनमें रेशम और सेलुलोसिक वस्तुओं का उत्पादन (जैसे रेयन, पटसन आदि) नहीं है, के कच्चे माल से संबद्ध उद्योग।

2 वस्त्र आयुक्त।

3 पटसन आयुक्त।

4 जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

5 काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

6. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड।

7 अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड।

8 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड।

9 रेशम कीट पालन।

10 केन्द्रीय रेशम बोर्ड।

11 हैंडलूम विकास आयुक्त।

12 अहमदाबाद टैक्सटाइल इडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद।

13 बबई टैक्सटाइलस रिसर्च एसोसिएशन, बबई।

14 दि सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।

15 दि साउथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर।

16 वूल रिसर्च ऐसोसिएशन बबई।

17 इडियन जूट इडस्ट्रीज रिसर्च, एसोसिएशन कलकत्ता।

18 नार्दर्न इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली।

19 वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, हैंडलूम, सिले-सिलाये वस्त्रों, रेशम और सेलुलोसिक वस्तुओं जूट और जूट उत्पादों और हस्तशिल्पों के सबध मे निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार।

20 हस्तशिल्प और हैण्डलूम निर्यात निगम और उनके सहायक संगठन।

21 वस्त्र समिति।

22 भुगतान आयुक्त।

संचार मंत्रालय

क डाक विभाग

अन्य देशों के साथ ऐसी संधियों और करारों का कार्यान्वयन जिनका सबध डाक विभाग मे व्यवहृत मामलों से है।

2 डाक विभाग के पूंजी बजट के अधिकतम सत्रमों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

3 डाक, डाकघर बचत बैंक (प्रशासन) डाकघर प्रमाण-पत्र (प्रशासन) और डाकघर जीवन बीमा विधि (प्रशासन) परिसंकारणग्राही अनुज्ञप्तियों सहित।

4 इस सूची के विषयों मे से किसी से संबधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

5 इस सूची के विषयों मे से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े।

6 इस सूची के विषयों में से किसी की भी बावत फीस किंतु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं हैं।

ख दूर संचार विभाग

1 अन्य देशों के साथ ऐसी संधियों और करारों का कार्यान्वयन जिनका संबध दूर संचार मे व्यवहृत मामलों से है।

2 दूर संचार के पूंजी बजट के प्रति विभागीय सत्रमों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

3 [illegible] रक्षा [illegible] सहित।

4 भारतीय [illegible] और हिन्दुस्तान [illegible] लिमिटेड, मद्रास।

5 इस सूची के विषयों में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध [illegible]।

6 इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े।

7 इस सूची के विषयों में से किसी की भी बाबत फीसें किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं।

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

1 भारत के तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य हैं, जो युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात सार्थक रूप से सैन्य वियोजन में सहायक हों।

2 संघ के सशस्त्र बल, अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना।

3 थलसेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।

4 प्रादेशिक थलसेना और सहायक वायुसेना।

5 राष्ट्रीय कैडेट कोर सहायक कैडेट कोर और लोक सहायक सेना

6 थलसेना, नौसेना वायुसेना से संबंधित सकर्म और आर्डिनेंस कारखाने।

7 रिमाउंट, पशु चिकित्सा और फार्म संगठन।

8 कैन्टीन भंडार विभाग (भारत)।

9 सिविलियन सेवायें जिनके लिए रक्षा प्राक्कलनों से संदाय किया जाता है।

10 जल राशि सर्वेक्षण और नौ परिवहन संबंधी चार्टों को तैयार करना।

11 छावनियों का स्थापन, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, अपच्छेदन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास सुविधा का विनियमन (जिसके अंतर्गत किराए का नियंत्रण है)।

12 रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और त्याग। रक्षा भूमि और संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली।

13 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी भी हैं।

ख रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग

1 रक्षा उत्पादन और निरीक्षण संगठन।

2 हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड।

3 भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड।

4 मझगांव डाक्स लिमिटेड, मुम्बई।

5 गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता।

6 प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड हैदराबाद।

7 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड।

8 वैमानिकी से संबंधित सब विषय (जो उन विषयों से भिन्न हों जो पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय से है और उन विषयों से भिन्न हैं जो [illegible] अनुसंधान के संबंध में, [illegible] विभाग से संबंध [illegible] राकेटों [illegible] वैमानिकी पक्षों सहित [illegible] है) जिनके अंतर्गत निम्नलिखित [illegible] —

(क) वैमानिकी उद्योग का विकास और उपभोक्ताओं के बीच समन्वय

(ख) वैमानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का समन्वय जिसके अंतर्गत विमान, प्रक्षेपास्त्र भी हैं,

(ग) वैमानिकी में अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा अन्य अभिकरणों या निकायों को वित्तीय सहायता देना।

9 रक्षा प्रयोजनों के लिये, विशिष्टतया इलैक्ट्रानिक्स, उपकरण निर्माण, वाहन और पोत-निर्माण के क्षेत्र में आयात आवश्यकताओं के प्रतिस्थापन के लिए योजना बनाना तथा इस विषय में ब्यौरेवार स्कीमें तैयार करना।

10 देश के औद्योगिक क्षमता का उपयोग करते हुए अनुसंधान और विकास तथा निर्माण के लिए ऐसी स्कीमों का कार्यान्वयन।

ग रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1 रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं और अन्त सेवा संगठनों को फौजी कार्यवाही उपस्कर और सैन्य तंत्र (लाजिस्टिक्स) संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना।

2 निम्नलिखित के बारे में अनुसंधान डिजाइन और विकास संबंधी योजनायें तैयार करना—

(क) युद्ध-सामग्री

(ख) विस्फोटक पदार्थ

(ग) इलैक्ट्रानिकी

(घ) इंजीनियरी

(ङ) राकेट और प्रक्षेपास्त्र

(च) वाहन

(छ) वैमानिकी

(ज) नौसेना समुद्र विज्ञान संबंधी मदें

(झ) अग्नि अनुसंधान

(ञ) तीनों सेनाओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अन्य मशीनरी और उपस्कर।

3 संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं सहित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का प्रशासन।

4 रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियमावली, 1978 और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) से संबंधित अन्य सेवा नियमों का प्रशासन।

5 रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद।

6 विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

7 अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए जिनसे रक्षा अनुसंधान और विकास का उन्नयन हो शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान, प्रयोगशालाओं तथा अन्य अभिकरणों या निकायों को वित्तीय सहायता देना।

8 देश में हो रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास कार्य का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कार्य के साथ समन्वय।

9 विदेशों में अनुसंधान और विकास संगठनों के साथ संपर्क, खासकर रक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक पहलुओं के बारे में।

ऊर्जा मंत्रालय

(क) कोयला विभाग

1 भारत मे कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के निक्षेपो का अन्वेषण और विकास।

2 कोयले के उत्पादन, धृति विवरण और कीमतो से सबधित सभी मामले।

3. इस्पात विभाग जिनके लिये जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला खानों का विकास और सचालन।

4 कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से सश्लिष्ट तेल का उत्पादन।

5. कोयला खान (सरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।

6. कोयला खान भविष्य निधि सगठन।

7 कोयला खान कल्याण सगठन।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।

9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन।

10 खानो मे उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और सग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अतर्गत नियम।

11 कोयला-धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।

12 कोयले और लिग्नाइट से सबधित सरकारी क्षेत्र के उद्यम।

13. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य केन्द्र कानूनों का प्रशासन जहा तक कि उक्त अधिनियम और कानूनो का संबंध कोयले और लिग्नाइ और भरणार्थ बालू से है, इन प्रकार के प्रशासन से प्रसगवश कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से सबधित प्रश्न शामिल हैं।

(ख) विद्युत विभाग।

1 ऊर्जा के क्षेत्र मे साधारण नीती।

2 अनुसधान विकास, तकनीकी सहायता और जल-विद्युत और उष्मीय शक्ति से सबधित सभी मामले।

3 भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9)

4 विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54)

5 केन्द्रीय विद्युत बोर्ड।

6 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

7 सघ राज्य क्षेत्रो मे विद्युत स्कीमे।

8 दामोदर घाटी निगम।

9 नेशनल प्राजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड।

10 भाखडा प्रबध बोर्ड और व्यास परियोजना (सिचाई से सबधित मामलो को छोडकर)।

11 (1) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम।

(2) राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम।

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।

(4) उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम।

(ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

1. बायो-गैस का अनुसधान और विकास तथा बायो-गैस प्लेटो से सबद्ध कार्यक्रम।

2 अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (सी ए एस ई)

3 सौर प्रकाश वोल्टीय यत्र उनके विकास, उत्पादन और अनुप्रयोगों सहित।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

पर्यावरण वन और वन्यजीव विभाग

1 पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान, जिसमें तटीय समुद्र मेनग्रोवों और प्रवाल भित्तियो का पर्यावरण शामिल है, लेकिन खुले सागर मे समुद्री पर्यावरण शामिल नही है।

2 भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण।

3 भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण।

4 प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय सग्रहालय।

5 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) अधिनियम, 1974।

6 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) उपकर अधिनियम, 1977।

7 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) अधिनियम, 1981।

8. जीव मडल रिजर्व कार्यक्रम।

9 राष्ट्रीय वन नीति और देश में सामाजिक वानिकी सहित वानिकी विकास।

10. वन नीति तथा वनों और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामले जहां तक कि उनका सबध अडमान और निकोबार द्वीप समूह से है।

1. भारतीय वन सेवा।

12 वन्य जतुओं का परिक्षण तथा वन्य पक्षियो और जीव जतुओं का संरक्षण।

13. वानिको मे उच्च शिक्षा और उसके समन्वय सहित मौलिक अनुसधान।

14 पदमजा नायडु हिमालयन प्राणि-विज्ञान पार्क।

15. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बजर भूमि विकास परिषद।

16 राष्ट्रीय बजर भूमि विकास बोर्ड।

विदेश मत्रालय

1. वैदेशिक मामले।

2. विदेशी राज्यो एव राष्ट्रमडल देशो के साथ सबध।

3.भारतीय सास्कृतिक सबध परिषद।

4 भारत मे विदेशी राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियो और सयुक्त राष्ट्र अधिकारियो और उसके विशेषता प्राप्त अभिकरणो से सबंधित सभी मामले।

5 पासपोर्ट और वीजा जिनके अतर्गत भारत मे प्रवेश के लिए वीजाओं का प्रदान या पृष्ठाकन नही आते, किंतु इसके अतर्गत अतिक्रमण (दक्षिण अफ्रीका) नियम, 1944 के अधीन अभारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियो को प्रवेश अनुज्ञा-पत्रो का प्रदान और मिशनरियो को छोड़कर श्रीलका के राष्ट्रिको के लिए प्रवेश वीजाओ का प्रदान आते हैं।

6 अपराधियो और अभियुक्त व्यक्तियो का भारत से विदेशों एव राष्ट्रमडल देशो को और विदेशो एव राष्ट्रमडल देशो से भारत को प्रत्यर्पण तथा भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1903 (1903 का 15) का असाधारण प्रशासन, और राज्य क्षेत्रातीतता।

7 वैदेशिक ... से संबंधित राज्य कारणों से पारपत्र निवारक निरोध।

8 विदेशों और राष्ट्रमण्डल राज्यों के नागरिकों का भारत में प्रत्यर्पण और विदेशों और राष्ट्रमण्डल देशों से भारतीय नागरिकों का भारत में प्रत्यावर्तन और प्रत्यर्पण।

9 दक्षिण अफ्रीका संघ या अन्य किसी देश से जिस पर व्यतिकर अधिनियम, 1943 (1943 का 9) लागू होता हो, भारत में आप्रवासन।

10 सभी कौंसलीय कृत्य।

11 भारत में बाहर के किसी क्षेत्र में जाने वाले और वहाँ से भारत आने वाले सभी व्यापारियों सफर करने वालों नाविकों और तीर्थ यात्रियों की यात्रा का प्रबंध।

12 शिक्षा विभाग की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति स्कीमों से संबंधित सम्पर्क कार्य और विदेश आधवास भारत मूल के प्राइवेट छात्रों का भारत के चिकित्सीय और इंजीनियरी कालेजों में आरक्षित स्थानों के लिये नाम-निर्देशन।

13 विदेश परराष्ट्रिकों को तथा जिन लोगों ने विदेशों में सेवाएं की, उनके वंशजों को दी जाने वाली राजनैतिक पेंशनें।

14 विदेशी तथा राष्ट्रमंडलीय अतिथियों एवं राजनयिक कौंसलीय प्रतिनिधियों से संबंधित समारोह कार्य।

15 फ्रांस और पुर्तगाल के साथ संबंधों के संदर्भ में पांडिचेरी, गोवा दमण और दीव विषयक मामले।

16 भारत के साथ विशेष संधि-संबंधों वाले राज्यों जैसे भूटान के साथ संबंध।

17 हिमालय अभियान, ऐसे संरक्षित क्षेत्रों, जिनका संबंध गृह मंत्रालय से है, से भिन्न संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए विदेशियों को अनुज्ञा।

18 सीमा-क्षेत्रों में समन्वय और विकास संबंधी उपाय।

19 संयुक्त राष्ट्र, विशेषता प्राप्त-अभिकरण और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

20 भारतीय विदेश सेवा।

21 भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख"।

22 विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान।

23 विदेश प्रचार।

24 विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के साथ राजनैतिक संधियाँ, करार और अभिसमय।

25 (क) भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं जिनमें पोर्ट, समिति अधिनियम, 1932 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों और भारतीय तीर्थयात्री पोत नियम, 1933 का प्रशासन शामिल है, और भारत से पाकिस्तान स्थित धर्म-स्थानों की और पाकिस्तान से भारत के धर्म-स्थानों को आने जाने वाले तीर्थ यात्रीदल।

(ख) 1955 के पत-मिशा करार के निर्बन्धनों के अनुसार पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम धर्मस्थानों और भारत के मुस्लिम धर्म-स्थानों का संरक्षण और परिरक्षण।

26 अपहृत व्यक्ति प्रत्युद्धरण और प्रत्यावर्तन।

27 गैर-मुस्लिमों का पाकिस्तान से भारत को निष्क्रमण।

28 भारत और पाकिस्तान के अल्प-संख्यक समुदायों के अधिकारों का संरक्षण (उन मुस्लिम प्रवासियों का पुनर्वास, जो पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी बंगाल को नेहरू-लियाकत पैक्ट के अधीन वापस आ गये हैं, देश विभाजन पर सांप्रदायिक उपद्रवों के समय पश्चिम बंगाल के भीतर ही विस्थापित मुसलमानों का पुनर्वास, पश्चिमी पाकिस्तान से आसाम और त्रिपुरा में अन्य स्थानों से मुसलमानों को वापस किए जाने को छोड़कर)।

29 पाकिस्तान से गैर-मुस्लिमों का प्रवेश और भारत से मुस्लिमों का प्रवास।

30 बर्मा, मलाया आदि से निष्क्रांतों को 1942—47 के दौरान दिये गये उधारों की वसूली तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई थी उनसे संबंधित अवशिष्ट कार्य।

31 युद्ध की स्थिति के प्रारम्भ अथवा समाप्त होने के बारे में अधिसूचना।

32 वैदेशिक अधिकारिता।

33 खुले समुद्र पर या वायु में की गई दस्युता और अपराध, थल या खुले समुद्र या वायु में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध किये गये अपराध।

34 इस मंत्रालय को आवंटित विषयों में से किन्हीं के प्रयोजनों के लिये जाँच और आंकड़े।

35 इस मंत्रालय को आवंटित विषयों में से किन्हीं भी बाबत फीसें।

36 इस मंत्रालय को आवंटित विषयों में से किसी भी बाबत विधि के विरुद्ध अपराध।

37 भारत सरकार का आतिथ्य अनुदान।

38 भारत के भू-सीमान्तों का सीमांकन।

39 भारत की भू-सीमाओं पर सीमा छापे और घटनाएं।

40 भारत से होकर जाने वाले विदेशी सिविल और सैनिक वायुयानों की गैर-अनुसूचित चार्टर्ड उड़ानों के लिये राजनयिक उड़ान निर्बाधन।

41 कान्टिनेंटल शैल्फ, राज्य क्षेत्रीय समुद्र और लगे हुए अंचल से संबंधित मामले तथा खुले समुद्रों में मीन उद्योग अधिकारों का प्रश्न और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य प्रश्न।

42 कोलम्बो योजना, के अधीन भारत द्वारा नेपाल की सरकार को सहकारी आर्थिक विकास के लिये दी गई आर्थिक और तकनीकी सहायता।

43 जिन स्टोरों का क्रय निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारणतया या किसी साधारण विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोरों का विदेश से केन्द्रीय सरकार के लिए क्रय, निरीक्षण और रवाना करने का कार्य।

टिप्पण — राष्ट्रमंडल देशों में उनके अन्तर्गत ब्रिटिश उपनिवेश, संरक्षित राज और न्यास राज्यक्षेत्र आते हैं।

वित्त मंत्रालय

क आर्थिक कार्य विभाग

I विदेशी मुद्रा नियंत्रण

1 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का प्रशासन, जो गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन वर्णित प्रवर्तन कार्य से भिन्न है।

2 विदेशी मुद्रा संबंधी बजट तैयार करना।

3 विदेशी मुद्रा साधनों का नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से आयात संबंधी प्रस्तावों की छानबीन है।

4 विदेशी विनिधान।

5 सोने और चाँदी का आयात-निर्यात।

6 विदेशों में वाणिज्यिक उधार लेने के लिये अनु।

II आर्थिक विकास के लिये विदेशी सहायता

7 निम्नलिखित के अधीन भारत द्वारा प्राप्त की गई तकनीकी और आर्थिक सहायता —

(क) कोलम्बो योजना के तकनीकी सहकारिता स्कीम।

(ख) सयुक्त राज्य का चतुर्थ सूत्र कार्यक्रम।

(ग) सयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम।

(घ) विभिन्न विदेशो से तकनीकी सहायता के तदर्थ प्रस्ताव।

8 कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बो योजना के सदस्य देशो को भारत द्वारा की गई तकनीकी सहायता।

9 कोलम्बो योजना परिषद और योजना की परामर्शदात्री समिति के अधिवेशनो से सबधित सभी मामले और--

(1) सयुक्त राज्य तकनीकी सहकारिता मिशन।

(2) सयुक्त राज्य विकास उधार निधि।

(3) कोलम्बो योजना।

(4) नार्वेजियन सहायता।

(5) फोर्ड फाउन्डेशन और राकफेलर फाउन्डेशन।

(6) विदेशो से उधार और प्रत्यय।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक तथा अन्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि आयात-निर्यात बैंको आदि से उधार और प्रत्यय।

10 इडिया कन्सोर्टियम से सबधित सभी मामले।

11 नेपाल, भूटान और बगलादेश को छोडकर अन्य देशों को ऋण और उधार मजूर करने से सबधित सभी मामले।

12 यूनाइटिड नेशन्स फड फार पापुलेशन एक्टिविटीज (यू०एन०एफ० पी०ए०) से सबधित और राष्ट्रमडल सघ के विशिष्ट अभिकरणो तथा अन्य राष्ट्रसघ निकायो को अशदानो से सबधित नीति सबध मामले।

13 (यू०एन०वी० के अन्तर्गत बहिर्गामी वालटियरो के अतिरिक्त) यूनाइटिड नेशन्स वालटियर्स सहित भारत मे विदेशी वालटियर कार्यक्रम से सबधित सभी विषय।

14 भारत का प्राप्त होने वाले अथवा विदेशी सरकारो, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ और सगठनो को दी जाने वाली तकनीकी सहायता जिसमे वे नही है जिनका सबध किसी अन्य विभाग को आबटित विषयो से हो।

III आन्तरिक वित्त

15 करेसी और सिक्का निर्माण, अर्थात निम्नलिखित से सबधित विषय --

(क) प्रतिभूति मुद्राणालय और टकसालें, जिनके अन्तर्गत परख विभाग और चादी परिष्करणी परियोजना है--

(ख) सिक्का निर्माण,

(ग) नोट जारी करना।

16 भारत के पूर्त विन्यासो के कोषपाल के कृत्य।

17 जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इडिया और साधारण बीमा निगम की विनिधान पालिसी सहित विनिधान नीति।

18 कर्मचारी, भविष्य निधि और इसी प्रकार की अन्य भविष्य निधियो के लिये विनिधान का ढाचा।

4 आर्थिक सलाह

19 उन मामलो पर सलाह जो अखिल प्रबंध निगम ... के आन्तरिक और बाह्य पहलुओ का निर्धारण करते हैं।

20 ऋण सबधी राजकोषीय और मुद्रा सबधी नीतिया।

5 बजट

21 अर्थोपाय।

22 रेल बजट को जिसमे अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान भी है, को छोडकर केन्द्रीय बजट तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा सघ-राज्य क्षेत्र के सबध मे सावधानिक तत्र की विफलता के बारे मे राष्ट्रपति की उदघोषणा प्रवर्तनशील हो, तो ऐसे राज्य अथवा सघ राज्य क्षेत्र का बजट तैयार करना।

23 केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो द्वारा उधार लिया जाना और बाजार उधार का चालू किया जाना।

24 लोक निकायो जैसे निगमो, नगरपालिकाओ, आदि द्वारा उधार लिया जाना।

25 लोक ऋण अधिनियम का प्रशासन।

26 ब्याज की दरे जिनके अन्तर्गत उधार की दरें उत्पादकता परीक्षण दरें आदि हैं, नियत करना।

27 लेखा और लेखा परीक्षा प्रक्रियाये जिनके अन्तर्गत सव्यवहारों का वर्गीकरण है।

28 विभाजन, फेडरल वित्तीय एकीकरण और राज्यो के पुनर्गठन से सबधित वित्तीय मामले।

29 भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 49)।

30 केन्द्रीय अनिशेयों के पुनर्गणार्थ राजकीय विपत्र, जिनके अन्तर्गत तदर्थ राजकीय विपत्र हैं।

31 स्टर्लिग पेंशनें यू०के० सरकार को उत्तरदायित्व का अन्तरण अतग्रस्त दायित्व के बीमांकिक गणना।

32 केन्द्रीय और राज्य सरकार के बजटो का दिग्दर्शन।

33 वित्त आयोग।

34 करघात जाच आयोग।

35 अल्प बचतें, जिनके अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत सगठनो का प्रशासन है।

36 नियत्रक और महा-लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां

37 ससद के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखना और आर्थिक कार्य विभाग के सभी लेखा परीक्षा रिपार्ट लाक लेखा समिति रिपोर्टों और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों का समन्वयन।

38 वित्तीय आयात।

6 शेयर बाजार

39 प्रतिभूति सविदा विनियमन अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का प्रशासन।

40 शेयर बाजार का विनियमन।

7 स्टाक पुरोधरण

41 ज्वाइट स्टाक कम्पनियों द्वारा पूजी के पुरोधरण पर नियत्रण।

7 क प्रकीर्ण अधिनियम

42 सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5)।

43 विनिधानो से सबधित भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20।

44 धातु सिक्का अधिनियम, 1889 (1889 का 1)।

45 [illegible] अधिनियम, 1930 (1930 का 6)।

46 [illegible] निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3)।

47 भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 1)।

48 करेंसी अध्यादेश, 1940 (1940 का 4)।

49 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 (1945 का अध्यादेश 47)।

50 पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29)।

51 वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का

52 सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46)।

53 यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम 1963 (1963 का 52)।

54 अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 21)।

55 वैध मुद्रा प्रतीकस्थित नोट अधिनियम, 1964 (1964 का 28)

56 एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18)।

57 लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23)।

58 छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52)।

59 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (1971 का 56)।

60 अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 37)।

VIII. बीमा

61 सामान्य बीमा बीमा अधिनियम का प्रशासन अधिनियम, 1938 (1938 का 4) बीमा कंपनी समग्र पूल, जीवन बीमा निगम के अनुषंगियों से संबंधित नीति।

62 जीवन बीमा जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण; जीवन बीमा निगम का प्रशासन अधिनियम, 1956 (1956 का 32) जीवन बीमा अधिकरण से संबंधित नीति।

63 बीमा नियंत्रक का कार्यालय।

64 उपर्युक्त 61 से 63 तक की किसी भी प्रविष्टि के संबंध में केन्द्र-प्रशासनिक क्षेत्रों से सम्बद्ध मामलों के विषय में केन्द्र सरकार का दायित्व।

IX. बैंकिंग

65 सभी भारतीय बैंक, चाहे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं।

66 सभी विदेशी बैंक जहां तक भारत में उनके प्रचालन का संबंध है।

67 भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले।

68 सहकारी बैंकिंग से संबंधित वे सभी मामले जिनका इस विभाग से संबंध है।

69 यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के अतिरिक्त दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामले।

70 चिट फंड तथा निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने वाली अन्य गैर-बैंकिंग कंपनियां।

71 भारत में बैंकिंग से संबद्ध अन्य मामले।

72 उपर्युक्त 65 से 71 प्रविष्टियों से संबद्ध सभी कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन।

X. भारतीय [illegible]

73 भारतीय आर्थिक सेवा [illegible] सेवा के प्रशिक्षण भविष्य विषयक योजना और [illegible] संबंधित सभी मामले।

ख. व्यय विभाग

1 वित्तीय नियम और विनियम और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

2 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से संबंधित वित्तीय मंजूरियां, जो नियमों द्वारा या किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

3 मितव्ययिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकारी स्थापनाओं व कर्मचारी वृन्द की संख्या का पुनर्विलोकन।

4 लागत लेखा विषयों पर मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को सलाह और उनकी ओर से लागत अन्वेषण कार्य करना।

5 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग।

6 रक्षा लेखा विभाग।

7 निम्नलिखित से संबंधित लेखा महानियंत्रक संगठन —

(i) संघ अथवा राज्य सरकारों में सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत और लेखा प्रारूप तथा उनसे संबंधित नियम और नियम पुस्तिकाओं का निर्माण अथवा संशोधन करना;

(ii) रिजर्व बैंक के पास संघ सरकार के रोकड़ शेष का, सामान्य रूप से, और सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित रिजर्व बैंक निक्षेपों का, विशेष रूप से, समाधान,

(iii) केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाकरण के समुचित मानकों के प्रतिपालन का निरीक्षण,

(iv) मासिक लेखे का समेकन, राजस्व वसूली की प्रवृत्तियों तथा व्यय इत्यादि के महत्वपूर्ण लक्षणों की समीक्षा तैयार करना तथा संघ सरकार के मामलों में वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों को अपने-अपने शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाते हुए वार्षिक लेखे (सारांश, सिविल विनियोजन लेखे सहित) तैयार करना,

(v) केन्द्रीय खजाना नियमों का प्रशासन,

(vi) सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों में प्रबंध लेखाकरण प्रणाली लागू करने में, समन्वय और सहायता,

(vii) वर्ग "क" (भारतीय सिविल लेखा सेवा) और वर्ग "ख" सिविल लेखा कार्यालयों के अधिकारियों का काडर प्रबंध, और

(viii) वर्ग "ग" और "घ" से संबंधित केन्द्रीय सिविल स्टाफ के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं का आयोजन।

8 राज्य योजनाओं, जिनमें प्राकृतिक विपत्तियां आने पर सहायता कार्यों के लिए अग्रिम योजना सहायता भी शामिल है, के लिए अनुदान एवं ऋण देना।

9 राज्य वित्त।

10 योजना बजट।

11 वित्तीय और आर्थिक प्रभाव रखने वाले केन्द्रीय और राज्य विधान की छानबीन।

12 योजना और विकास वित्त।

ग. राजस्व विभाग

1 केन्द्रीय राजस्व बोर्डों से संबंधित सभी मामले।

ए त ाह नि पोर ति ग ार ा मज्रापा ापुास।

3 विनिमय पत्रा चैको, हुण्डो, वहन पत्रों, साख पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अन्तरण, डिबेंचरों परोक्षी पत्रों और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क।

4 सब प्रकार के स्टाम्पों का प्रदाय और वितरण।

5 आयकर (आयकर अपील अधिकरण संबंध प्रश्नों को छोड़कर) निगम कर, पूजी अभिलाभ कर, अतिलाभ कर, कारबार लाभ कर और सम्पदा शुल्क, धन कर, व्यय कर और दान कर, संबंध सब प्रश्न और रेल यात्रा भाड़ा अधिनियम संबंधी प्रश्न।

6 संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पाद-शुल्क का प्रशासन, अर्थात निम्नलिखित से सम्बधित सब मामले —

(क) मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक लिकर।

(ख) अफीम, भाग-गाजा वर्ग पदार्थ और स्वापक औषधियां और स्वापक पदार्थ।

7 ऐसी औषधिया तथा प्रसाधन निर्मितियां, जिनमे मद्यसार अथवा 6(ख) के अंतर्गत आने वाले किसी पदार्थ का समावेश हो।

8 अफीम, जहा तक उसके खेती, विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय का संबंध है।

9 खतरनाक औषधियों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय करार और उसका कार्यान्वयन।

10 सीमाशुल्क (समुद्र और भूमि) संबंधी, सब मामले, जिनके अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क, सहकारिता परिषद्, सीमा-शुल्क शब्दावली और ऐसे ही विषय हैं आयात या निर्यात किए गए माल पर शुल्क, आयातों और निर्यातों पर राजस्व के हित में अधिरोपित प्रतिषेध और निर्बन्धन और सीमा-शुल्क टैरिफ का निर्वचन।

11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन संबंधी सभी मामले।

12 विक्रय कर —

(i) [illegible] (माल्यकरण) अधिनियम 1956 (1956 का 7) का प्रशासन,

(ii) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय पर कर का उद्ग्रहण—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के प्रशासन में उत्पन्न समस्याएं,

(iii) संविधान के अनुच्छेद 286 (3) के अधीन अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के माने जाने वाले माल की घोषणा—उन शर्तों और निर्बन्धनों का अधिकथन जिनके अध्यधीन वे राज्य विधियां होंगी जो उन पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करती हैं,

(iv) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क द्वारा विक्रय कर के प्रतिस्थापन से संबंधित सभी प्रश्न, जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) का प्रशासन है।

(v) राज्यों में विक्रय कर के उद्ग्रहण से संबंधित वे सब विधेयक आदि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों, सिफारिशों या अनुमति के लिए आएं,

(vi) संघ राज्य क्षेत्रों में विक्रय कर से संबंधित विधायी मामले,

(vii) राज्यों में गन्ना उपकर उद्ग्रहण के अविधिमान्य किए जाने से उत्पन्न समस्याएं जिनके अन्तर्गत ऐसे उद्ग्रहणों का विधि- [illegible]।

13 नमक पर [illegible] शुल्क [illegible] मामले।

14 अर्थ नस्ट [illegible] —

(क) आयकर विभाग

(ख) सीमा शुल्क विभाग,

(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग

(घ) स्वापक पदार्थ विभाग तथा

15 विदेशी मुद्रा के संरक्षण या तस्कर के निवारण से संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध, ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति।

16 प्रवर्तन, अर्थात विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (1973 का 46) के अधीन अपराधों के कारण उद्भूत होने वाले मामलों का अन्वेषण, न्याय निर्णयन और अभियोजन, राजस्व आसूचना महानिदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

क खाद्य विभाग

I निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अन्तर्गत हैं —

1 सिविल और सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और उनका निपटान।

2 खाद्य से संबंधित सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद्, विश्व खाद्य परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।

3 विदेशों से संधि और करार करना और खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियां, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति।

4 खाद्यान्नों के, जिनके अन्तर्गत शर्करा है, भंडारकरण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और उनका अर्जन, खाद्यान्न गोदाम बनाने के लिए भूमि पट्टे पर लेना या उसका अर्जन।

5 खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों के बाबत, जिनके अन्तर्गत शर्करा है, अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य।

6 वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है वहां तक जहां तक उनका संबंध निम्नलिखित से है —

(क) फल और सब्जी प्रसाधन उद्योग (जिनके अंतर्गत हिम करण और निर्जलीकरण आते हैं),

(ख) शर्करा उद्योग (जिसके अन्तर्गत गुड़ और खांडसार आते हैं) और

(ग) खाद्यान्न पिसाई उद्योग।

7 केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगम।

II निम्नलिखित विषय जो भारत सरकार के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अन्तर्गत हैं (केवल विधान की बाबत) —

8 खाद्यान्नों का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका प्रदाय और वितरण।

9 शर्करा से और खाद्यान्नों से भिन्न खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।

10 खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों और शर्करा की कीमत नियंत्रण।

III भाग I और भाग II में उल्लिखित विषयों तथा दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के खाद्य प्रशासन के लिए।

...आरण और पारगमन —

11 निर्यात ... से सम्बद्ध मामले —

(i) खाद्य विभाग के ... कार्यालय।

(ii) शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली।

(iii) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर।

12 शर्करा उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित मामले।

13 इस विभाग को आवंटित विषयों में से सम्बन्धित विधियों के विरुद्ध अपराध।

14 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

15 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसें, जन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती है।

ख नागरिक पूर्ति विभाग

I आन्तरिक व्यापार

1 आन्तरिक व्यापार

2 अन्तर्राज्यीय व्यापार, स्पिरिट युक्त निर्मितियां (अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण, अधिनियम, 1955।

3 वायदा बाजार का नियंत्रण (अग्रिम संविदा) (विनियमन) अधिनियम 1952।

4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का और प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय द्वारा व्यवहृत नहीं है)।

5 चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 निरोध के अन्तर्गत व्यक्ति।

6 उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं।

7 लोक वितरण प्रणाली।

8 कीमतों का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता।

9 राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

10 पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन।

11 कानूनी माप विज्ञान में प्रशिक्षण।

12 वे उद्योग जिनके बारे में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उनपर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है जहां तक वे वनस्पति, घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा से सम्बद्ध है।

13 वनस्पति घी तिलहन वनस्पति तेलों खली और वसा का अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य नियंत्रण, पूर्ति और वितरण।

14 वनस्पति घी वनस्पति तेल और वसा निदेशालय।

II व्यापार चिह्न आदि

15 व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958।

16. सप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950।

17 बाट और माप मानक (बाट और माप मानक) अधिनियम 1956 — बाट और माप मानक अधिनियम, 1976।

18 भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952।

19 इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी मामलों में संलग्न कार्यालय या अन्य संगठन जिनमें फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, बम्बई भी सम्मिलित है।

... ...

क स्वास्थ्य विभाग

I स्वास्थ्य

1 आयुर्विज्ञान और जन स्वास्थ्य में अनुसंधान या विशेष अध्ययन की अभिवृद्धि के लिए संघ अभिकरण और संस्थाएं जिनमें ... निम्नलिखित से संबद्ध सभी मामले आते है —

(i) केन्द्रीय अनुसंधान, कसौली

(ii) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता

(iii) एंटिजन उत्पादन एकक, कलकत्ता।

(iv) भारतीय मलेरिया संस्थान, दिल्ली।

(v) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता।

(vi) परिचर्या कालेज, नई दिल्ली।

(vii) लेडी रीडिंग स्वास्थ्य स्कूल और रामचन्द लोहिया शिशु कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली।

(viii) मानसिक रोग अस्पताल, रांची।

(ix) राम मनोहर लोहिया अस्पताल और परिचर्या गृह, नई दिल्ली,

(x) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

(xi) सिविल और सैनिक औषधालय और एक्सरे प्रतिष्ठान, शिमला।

(xii) डमडम और सान्ताक्रुज एयरपोर्टों में स्थित औषधालय।

(xiii) चिकित्सा भंडार डिपो और कारखाने।

(xiv) बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी।

(xv) मेडिकल कालेज, पांडिचेरी।

(xvi) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी सेवकों और उनके कुटुम्बों के सदस्यों के लिए अभिदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, और

(xvii) भारत सरकार का सीरम विज्ञानी और रसायन परीक्षक, कलकत्ता।

2 पत्तन-करन्तीन (समुद्र और वायु) नाविक और समुद्रीय अस्पताल और पत्तनकारन्तीन से संबद्ध अस्पताल।

3 पत्तन और एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन।

4 नाविकों की स्वास्थ्य परीक्षा।

5 अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता विनियम।

6 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ)

7 राकफेलर फाउण्डेशन और फोर्ड फाउण्डेशन।

8 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन स्थापित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला।

9 चिकित्सीय और सम्बद्ध विषयों में विदेशों में उच्चतर प्रशिक्षण।

10. कालम्बो और चतुर्थ सूत्र कार्यक्रम के अधीन सहायता।

11. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।

12 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।

13 संक्रामक रोग संबंधी मामले। आपाधि आपूर्ति कुपोषण के प्रभाव और पेयजल की कमी से जिनमें प्राकृतिक विपत्तियों के परिणाम स्वरूप विभिन्न रोग पैदा होते हैं, संबद्ध मामले।

II संघ राज्य क्षेत्र विषयक विषयों और कार्य पालक प्रयोजनों के लिए कार्यसूची

14 लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय।

15 भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थस्थानों से भिन्न तीर्थस्थान।

16 नशा और दुर्व्यसन अफ़ीम और भांग।

17 ग्रफ़ीम और गांजा वाले।

18 सिनकोना और कुनैन का प्रदाय और वितरण।

19 विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध वैज्ञानिक सोसाइटियां और संगम।

20 विभागों में व्यवहृत विषयों से संबद्ध पूर्त और धार्मिक विन्यास।

III उस राज्य की सूची जिसे केवल संघ के लिए विधायी हैसियत में और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधायी और कार्यपालक दोनों हैसियत में केन्द्रीय सरकार व्यवहृत करती है।

21 चिकित्सा वृत्ति और चिकित्सीय शिक्षा।

22 परिचर्या वृत्ति और परिचर्या शिक्षा।

23 भेषजिक वृत्ति और भेषजिक शिक्षा।

24 दन्त चिकित्सा वृत्ति और दन्त चिकित्सीय शिक्षा।

25 होम्योपैथी।

26 पागलपन और बुद्धि-न्यूनता।

27 औषधियों के मानक।

28 औषधि और आपध संबंधी आपत्तिजनक विज्ञापन।

29 मानवों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक और संसर्गज रोगों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का निवारण।

30 खाद्य पदार्थों और औषधियों में अपमिश्रण।

31 स्वदेशी चिकित्सा पद्धति।

32 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा।

IV प्रकीर्ण कार्य

33 भारतीय चिकित्सा परिषद।

34 केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्।

35 सैन्य-वियोजित चिकित्सीय और सहायक चिकित्सीय कार्मिकों का पुनःस्थापन।

36 युद्ध बंदियों और अन्य युद्ध पीड़ितों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं को छोड़कर, रेडक्रॉस।

37 भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्।

38 भारतीय परिचर्या परिषद्।

39 भारतीय फार्मेसी परिषद।

40 भारतीय भेषज कोष समिति।

41 क्षयरोग के विरुद्ध बी. सी. जी. का टीका लगाना।

42 (i) उन सेवकों से, जो रेल सेवा में हैं,

(ii) उनसे जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है,

(iii) उन अधिकारियों से जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1954 द्वारा शासित हैं और

(iv) उन अधिकारियों से जो चिकित्सा परिचर्या नियम, 1955 द्वारा शासित हैं भिन्न केन्द्रीय सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सीय परिचर्या और चिकित्सा की रियायत।

43 उन केन्द्रीय सिविल सेवाओं से जो रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित हैं और उनसे, जिन्हें सिविलियन सेवाओं को रक्षा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है, भिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षा और चिकित्सा बोर्ड।

44 भारतीय रेडक्रास सोसाइटी।

45 [illegible] और कलावती सरन बाल अस्पताल नई दिल्ली।

46 दानजन साइ स्टेट नशरोग सस्था।

47 भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास का अखिल भारतीय संस्था, मुम्बई।

48 आरोग्य शरनास्थान और आरोग्यधाम।

49 स्थानीय निकायों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण और समाकलन।

50 ट्रैकोमा मार्गदर्शी परियोजना।

51 कुष्ठ नियंत्रण स्कीम।

52 विदेशों से प्राप्त अशोध्य चिकित्सीय सामान के दान पर सीमा-शुल्क की प्रतिपूर्ति।

53 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

54 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली।

55 चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता।

56 केन्द्रीय देशी चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान, जामनगर।

57 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर।

58 शारीरिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, किंग एडवर्ड मैमोरियल अस्पताल, मुम्बई।

59 केन्द्रीय कुष्ठ अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, मद्रास।

60 अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बंगलौर।

61 पोषण अनुसंधान संस्थान कुनूर।

62 इस सूची के विषयों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध।

63 इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

64 इस सूची के विषयों में से किसी की बाबत फीसें, किन्तु इनके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं आती हैं।

ख परिवार कल्याण विभाग

1 परिवार नियोजन के लिए नीति और संगठन।

2 मातृत्व और शिशु-कल्याण।

3 परिवार नियोजन के सभी पहलुओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का संगठन और निदेशन, जिसके अन्तर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है।

4 परिवार नियोजन के सहाय्यों का उत्पादन और प्रदाय।

5 परिवार नियोजन से संबंधित विषयों के बारे में विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से सपर्क।

6 परिवार नियोजन से संबंधित जांच और आंकड़े।

7 जनसांख्यिकी अध्ययन का अन्तरराष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई।

8 श्रव्य-दृश्य साधनों का विकास और उत्पादन, जनसंख्या और परिवार नियोजन में संबंधित विस्तार शिक्षा और जानकारी।

9 स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय निकायों को परिवार नियोजन कार्य के लिए सहायता अनुदान।

10 हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड।

11 परिवार नियोजन का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली।

गृह मंत्रालय

क. आन्तरिक सुरक्षा विभाग

(i) पुलिस :

1 असम राइफल्स

2 सीमा सुरक्षा बल

3 राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केन्द्रीय गुप्तिया प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज से संबंधित मामले ।

4 भारतीय पुलिस सेवा से जिसके अंतर्गत भा. पु. आती है, संबंधी मामले ।

5 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संबंधी मामले ।

6 नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और गश्ती सिविल आपात दल संबंधी मामले ।

7 किसी राज्य के पुलिस दल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का, उस राज्य के बाहर के किसी क्षेत्र पर विस्तार किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य के पुलिस उस राज्य से बाहर के किसी क्षेत्र में, बिना उस राज्य की सहमति के, जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों का प्रयोग और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके, किसी राज्य के पुलिस दल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य के बाहर के रेल क्षेत्रों पर विस्तार ।

8 अन्तरराज्यिक पुलिस बेतार प्रणाली

9 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

10 पुलिस पदक

(ii) कानून और व्यवस्था

11 आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) ।

12 आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984—विशेष और अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, और उस अधिनियम के अंतर्गत सभी मामले ।

13 उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्रों (अर्थात् संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के साथ संलग्न सारणी के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों) का, जिनके अंतर्गत उन क्षेत्रों में सड़क संकर्मों के निष्पादन पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं आता है, प्रशासन ।

14 खुफिया ब्यूरो, समन्वय विंग, केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली, केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो का केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो ।

15 भारत में प्रवेश के लिए वीजा देना और पृष्ठांकन तथा भारत में विदेशियों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैण्ड उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी और मणिपुर स्थित संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुज्ञा देना भी है ।

16 भारत में स्थायी रूप से ठहरने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को भारत के लिए वीजा देना ।

17 विदेशी राज्यों के राष्ट्रिकों को भारत से निर्वासन ।

18 छोड़े गए पाकिस्तानी बन्दियों का पाकिस्तान को प्रत्यावर्तन ।

19 सरकारी सेवक जिनके कुटुम्ब पाकिस्तान में हैं—सरकारी सेवकों को पाकिस्तान जाने की अनुज्ञा दिए जाने के मामले ।

20 भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा ।

21 केन्द्रीय सचिवालय सुरक्षा संगठन संबंधी मामले ।

22 आपत्तिजनक साहित्य के भारत में लाये जाने का सागर सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 19 के अधीन निवारण ।

23 आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1981 ।

24 संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (i) के अधीन जारी की गई किसी उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान सरकार सेवकों की किसी कर्तव्य के लिए सेवाओं की अध्यपेक्षा ।

25 किसी मंत्रालय अथवा विभाग को विशिष्टतया आवंटित विस्तार तक को छोड़कर निवारक निरोध, ऐसे निरोध के अधीन व्यक्ति ।

26 बन्दियों अभियुक्त व्यक्तियों तथा निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ।

27 दण्ड विधि ।

28 दण्ड प्रक्रिया ।

29 नागालैण्ड राज्य से संबद्ध मामले ।

30 सिक्किम राज्य से संबद्ध मामले ।

31 आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण (असम) अधिनियम, 1980 ।

32 रेलों में अपराधों रेल संपत्ति के दूषण से संबंधित अपराधों से भिन्न, से संबंधित संसदीय प्रश्न ।

33. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 से संबद्ध मामले ।

34. अग्निशमन सेवा विकास ।

(iii) पुनर्वास :

35. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को सहायता और पुनर्वास ।

सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित है :—शिविरों की स्थापना, नगद खैरात का भुगतान, अन्य सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था ।

पुनर्वास निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—आवास प्रशिक्षण और रोजगार, भूमि, कारबार उद्योगों और अन्य कृषि तर व्यवसायों के संबंध में पुनःस्थापन ।

36 प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों का राहत और उनका पुनर्वास ।

37 तिब्बती शरणार्थियों को सहायता और पुनर्वास ।

38 जम्मू और कश्मीर में छम्ब क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों को सहायता और पुनर्वास । छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण ।

39 दण्डकारण्य विकास योजना और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ।

40 भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय शिविरों, कार्यस्थल शिविरों के लिए और कर्मी शिविरों का प्रशासन ।

41 पुनर्वास उद्योग निगम ।

42 पश्चिमी बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अवशिष्ट समस्याएं ।

43 बंगला देश से आये शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्याएं ।

44 जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों की अवशिष्ट समस्याएं ।

45 समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट किये गए विशेष क्षेत्रों का विकास ।

46 भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान जम्मू और काश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों को सहायता और पुनर्वास ।

47 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आए विस्थापित व्यक्तियों के पास अवशिष्ट मामले।

48 निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन —

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31)।

(ख) निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम 1951 (1951 का 64)।

(ग) विस्थापित व्यक्ति (ऋण-समायोजन) अधिनियम, 1951 (1951 का 70)।

(घ) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44)।

(ङ) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12)।

(च) निष्क्रान्त निक्षेपों का हस्तातरण अधिनियम, 1954 (1954 का 15)।

(छ) गोवा दमण और दीव में निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम 1964 से सबधित मामले।

49 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति के सबध में पाकिस्तान के साथ बातचीत।

50 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से प्राप्त चलसम्पत्ति को भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित व्यक्तियों को वापस देना।

51 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान, है, से आये विस्थापित व्यक्तियों, जो अविभाजित प्रान्तों और स्थानीय निकायों में सरकारी कर्मचारी थे, के पेंशन भविष्य निधि, अवकाश वेतन और प्रतिपूर्ति निक्षेपों सबधी दावों का सत्यापन और भुगतान।

भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान, है, से आए विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और अनुग्रहपूर्वक सहायता के भुगतान, ठेकेदारों को उनके सत्यापित दावों के सबध में सहायता के अनुदान के लिए तदर्थ योजनायें, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से 1-1-1961 और 25-3-1971 के बीच आये पेंशन भोगियों को सहायता का अनुदान।

52 इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से सबधित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य सगठन।

द्रष्टव्य —जहा विनिर्दिष्ट है उसे छोड़कर, सहायता और पुनर्वास के कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित और प्रशासनिक होते हैं।

ख राज्य विभाग

क केन्द्र राज्य सबध —

1 नए राज्यों की स्थापना और उनका बनाया जाना, उनसे उद्भूत होने वाले विषय (ऐसे विषयों को जिनका सबध सेवा-कार्मिकों के आबटन और सेवाओं के एक करण से है तथा अन्य ऐसे मामलों को छोड़कर जो कार्मिक विभाग को आबटित राज्य सेवाओं से सम्बद्ध हैं) तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन।

2 संविधान के अनुच्छेद 366 के खड (22) में निर्दिष्ट भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों और उनके कुटुम्बों से सबधित मामले।

3 जम्मू-कश्मीर राज्य के सबध में सांविधानिक उपबंध और उस राज्य से सबद्ध अन्य मामले, जिनके अन्तर्गत वे मामले नहीं आते हैं जो विदेश मत्रालय से सबधित हैं।

4 [illegible] अनुच्छेद 371 [illegible] उपबध।

ख अन्तर्राज्यिक सबध —

5 अन्तर्राज्यिक परिषद्

6 अन्तर्राज्यिक प्रवास

ग सघ राज्य क्षेत्र —

7 अण्डमान निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपों की नागर विनियम।

8 सघ राज्य क्षेत्रों का भारतीय प्रशासनिक सेवा सवर्ग—राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामले।

9 अरुणाचल प्रदेश, चडीगढ़, दादरा और नागर हवेली दिल्ली, गोवा दमण और दीव, मिजोरम तथा पाडिचेरी के सघ राज्य क्षेत्रों के लिए।

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II में प्रगणित मामलों की परिधि के अन्तर्गत आते हैं:—

(i) सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु इसके अन्तर्गत असैनिक शक्ति की सहायता के लिए सघ की नौ थल या वायुसेनाओं के बलों का प्रयोग नहीं आता है)।

(ii) पुलिस जिसके अन्तर्गत रेलवे और ग्राम पुलिस भी है।

(iii) कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल सस्थाएं और तद्रूप अन्य सस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति, कारागारों और अन्य सस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से प्रबंध।

(iv) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति का गठन और उनकी शक्तियां।

(v) दिल्ली अग्निशमन सेवा।

(vi) बाजी लगाना और द्यूत।

(vii) लोक सेवा सबधी साधारण प्रश्न।

(viii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के विषयों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध।

(ix) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के विषयों में से किसी की बाबत न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां।

(x) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के विषयों में से किसी की बाबत फीसें, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं आती हैं।

(xi) राज्य अधिनियमों का सघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार।

(xii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जाच और आकड़े।

(xiii) अन्य विभागों से व्यवहृत विषयों से भिन्न विषयों के प्रशासन के बारे में साधारण प्रश्न।

10. अण्डमान और निकोबार द्वीप के सघ राज्य क्षेत्र के लिए:
निम्नलिखित के सिवाय सभी विषय —

(क) वन, शिक्षा, सड़कें और उन पर के पुल सकर्म और घाट, और

(ख) मुख्य भूमि द्वीपों और अन्तर्द्वीपीय पोत परिवहन सेवाओं का सगठन और अनुरक्षण

11 लक्षद्वीप के सघ राज्य क्षेत्र के लिए —

मुख्य भूमि के द्वीपों और अन्तर्द्वीपीय पोत परिवहन सेवाओं के सगठन और अनुरक्षण के सिवाय उन द्वीपों के सबध में सभी मामले।

ग राजभाषा विभाग

1 संविधान के राजभाषा से सम्बन्धित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का कार्यान्वयन वहां तक के सिवाय जहां तक इस प्रकार का कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया है।

2 राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

3 संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए जिनका केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजनाएं और मैगजीनों, पत्रिकाओं और उनसे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन शामिल है, नोडीय उत्तरदायित्व।

4 संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों [जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) में शामिल हैं] में सामन्वय।

5 केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंध।

6 केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसमें इसकी उप समितियां भी शामिल हैं, से संबंधित मामले।

7 विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

8 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

घ गृह विभाग

1. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना।

2 (i) क्षमा, प्रविम्लबन, मृत्यु दण्डादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण, और

(ii) जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराधों के लिए राज्यों के न्यायालयों द्वारा दण्डादिष्ट बन्दियों से (मृत्यु दण्डादेश से भिन्न) दण्डादेश के परिहार के लिए या क्षमा के लिए प्राप्त अर्जियां।

3 प्रधान मंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और पदत्याग की अधिसूचनाएं निकालना।

4 राष्ट्रपति के नाम से कागज पत्रों के अधिप्रमाणकरण के लिए नियम।

5. राज्य सरकारों के लिए कामकाज संबंधी मानक नियम।

6 राज्य सभा और लोक सभा के लिए नाम निर्देशन।

7 राज्यपालों/उपराज्यपालों की नियुक्ति, पदत्याग और हटाए जाने की अधिसूचनाएं निकालना।

8 (जम्मू-कश्मीर के सिवाय) राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयक, जो राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए हों, और राज्य विधान की बाबत राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श।

9 राज्यों के राज्यपालों द्वारा निकाले गए अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

10 संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपालों, मुख्य आयुक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति।

11 राजगामी, व्यपगत या स्वामीहीन तत्व होने से संघ प्रोद्भूत संपत्ति।

12 किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बारे में विशेष उपबन्ध।

13 र-जान क (विदेशी भाषा [illegible]) आयात-[illegible]।

14 न्यायिक मामलों में [illegible] अधिनियम, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संबंधी प्रश्न और अन्य ल प्रकाशनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संगठन से प्राप्त विशेष व्यवहार आते हैं।

15 नागरिकता और देशीयकरण।

16 दक्षिण अफ्रीका संघ के सिवाय विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों से या किसी अन्य ऐसे देश से आप्रवासन जिनको व्यतिकर अधिनियम लागू है।

17 वापस होने वाले उत्प्रवासियों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों का उन राष्ट्रमंडल देशों के सिवाय, जिन्हें व्यतिकर अधिनियम लागू है, राष्ट्रमंडल देशों से प्रवेश।

18 विधायकों के लिये आचरण-संहिता से संबंधित मामले।

19 मंत्रियों के लिए आचरण-संहिता।

20 सरकार सेवकों की पत्नियों या आश्रितों का भारत में विदेशी मिशनों में नियोजन।

21 सिविल और सैनिक अधिकारियों का परस्पर आना-जाना।

22 भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लाटरियां।

23 जनगणना।

24 शासकीय पोशाक।

25 राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार, संघ के मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते।

26 राष्ट्रगान।

27. भारत का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रपति के और राज्यपाल की ध्वजायें।

28 राज्य संप्रतीक।

29 अग्रता अधिपत्र।

30 पुरस्कार और अलंकरण।

31 राष्ट्रीय त्यौहार

32 राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित मामले।

टिप्पण — समग्र नीति के लिए गृह विभाग नोडीय विभाग होगा परन्तु उसके किसी एक क्षेत्र के वास्तविक कार्यान्वयन के जिम्मेदार उस क्षेत्र से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग की होगी।

33 शासकीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय कैलेण्डर का उत्तरोत्तर प्रयोग

34 भौगोलिक नामों में परिवर्तन।

35 भारत के उच्च पदस्थों की मृत्यु पर पालन की जाने वाली औपचारिकताएं।

36 राजनैतिक पेंशनें।

37. गदर के वीरों के आश्रितों को अनुकम्पा भत्ता।

38 जिन व्यक्तियों ने राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी या अन्य क्षेत्रों में अपने कार्य से राष्ट्र की सेवा की है उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करने के लिये गृह मंत्री की वैवेकिक निधि।

39 विष।

40 जीवन संबंधी सांख्यिक जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु को पंजीयन भी है।

41 समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।

मानव समाधान विकास मंत्रालय

क. शिक्षा विभाग

1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा ।

2. प्रारम्भिक शिक्षा ।

3. बुनियादी शिक्षा ।

4. माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन ।

5 विश्वविद्यालय शिक्षा ; केन्द्रीय विश्वविद्यालय ; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा ; उच्चतर शिक्षा , तकनीकी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की योजना और विकास से संबंधित "फारेन ऐड प्रोग्राम"।

6 उच्चतर विद्या की (विश्वविद्यालयों से भिन्न) संस्थायें ।

7 बाल भवन, बालचर सग्रहालय ।

8. समाज शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा ।

9. शारीरिक शिक्षा ।

10. श्रव्य-दृश्य शिक्षा ।

11. पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे औद्योगिक विकास मंत्रालय का संबंध है, को छोड़ कर)।

12. प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय के स्तर की पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन ।

13. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 और प्रतिलिप्याधिकार विषयक अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ।

14. शैक्षिक अनुसधान ।

15 प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी ।

16. अध्यापक प्रशिक्षण।

17. बहुभाषी शब्दकोशों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार ।

18 हिन्दी के शिक्षण और सवर्द्धन के लिये वित्तीय सहायता देना ।

19. सस्कृत का प्रचार और विकास ।

20. विस्थापित अध्यापकों और विद्यार्थियों के संबंध में पुनर्वास की तथा अन्य समस्यायें ।

21. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ।

22. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ (यूनेस्को) और यूनेस्को से सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग ।

23. सब छात्रवृत्तियां जिनके अन्तर्गत वे छात्रवृत्तियां हैं, जो इस विभाग में व्यवहृत विषयों के सबध में विदेशों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्थापित की गई हैं, किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा निस्सूचित, यायावर और अर्धयायावर जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां नहीं हैं; सामान्य छात्रवृत्ति स्कीम।

24. विदेशस्थ भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण ; विदेशस्थ भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेशस्थ शिक्षा संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी सगमों को वित्तीय सहायता ।

25. शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम, अध्यापकों, आचार्यों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदों आदि का विनिमय; भारत और विदेशों के बीच विद्योपासकों के विनिमय का कार्यक्रम ।

26. विश्वविद्यालयो, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा सस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों मे नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना।

27. भारतीय सस्थाओं मे विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

28. पूर्व और पूर्तसंस्थायें; इस विभाग में व्यवहृत विषयों के सबंध पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

29 विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान से भिन्न तदर्थ वैज्ञानिक अनुसधान।

30. विज्ञान मन्दिर।

31. गणित, न्यूक्लीयर विज्ञान और परमाणु ऊर्जा से भिन्न क्षेत्रों मे अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के बारे में साधारण नीति ।

32 तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय।

33. योजना और स्थापत्य स्कूल ।

34 मुद्रण के प्रादेशिक स्कूल ।

35. तकनीकी शिक्षा के लिये राज्य सरकार की संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, सघ राज्य क्षेत्रों के वृत्तिक निकायों और तकनीकी संस्थाओं को सहायता अनुदान बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये सहायता अनुदान; शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास और अनुसधान के लिये सहायता अनुदान , विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान के लिये सहायता अनुदान , मूल अनुसंधान के लिये व्यक्तियों को अनुदान ।

36. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ।

37. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र परीक्षाओं का संचालन ।

38. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं ।

39. भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के प्रयोजनों के लिये वृत्तिक/तकनीकी अर्हताओं की मान्यता ।

40. राष्ट्रीय अनुसंधान आचार्य-पद और अध्येतावृत्ति ।

41. वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का भारत में आयोजन ।

42. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

43. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ।

44. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ।

45. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

46. भारतीय खान तथा अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान स्कूल, धनबाद ।

47. खड़गपुर, मुम्बई, कानपुर, मद्रास और दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।

48. भारतीय विज्ञान सस्थान, बंगलौर ।

49. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई ।

50. भारत में और विदेश मे अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह ।

51. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में किसी से सबंधित अन्य सभी सम्लग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

ख. युवक कार्यक्रम और खेल विभाग

1. खेलकूद, क्रीडा, बालचर, व्यायामशाला, राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम, आदि।

2. युवक कल्याण क्रिया कलाप, युवक समारोह, कार्य शिविर, आदि।

3. भारतीय खेल प्राधिकरण

4. युवक कार्यक्रम

5. युवक होस्टल

ग. कला विभाग

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ।

2. राष्ट्रीय नाट्यशाला ।

ग. संस्कृति विभाग

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय ; विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध संस्मारक तथा ऐसी सभी अन्य संस्थाएं जिनका वित्त-पोषण पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जो संसद् ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की हैं ।

2. पुरातत्व, पुरातत्वीय संग्रहालय ।

3. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904।

4. ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिये विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।

5. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ।

6. स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास ।

7. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक निधि ।

8. गांधी स्मृति समिति और गांधी दर्शन का प्रशासन ।

9 पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (जहां तक जहां तक केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची पत्र देने का संबंध है) ।

10. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।

11. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियां ।

12. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; संग्रहालयों का साधारण विकास ।

13 राष्ट्रीय नव कला भवन, नई दिल्ली ।

14 भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।

15. निखात निधि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 तथा पुरावशेषों का निर्यात ।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालायें और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।

17. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।

18. दान और पूर्त संस्थायें; इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।

19. छात्रवृत्तियां जिनके अन्तर्गत वे छात्रवृत्तियां भी हैं जो इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्थापित की जाती हैं ।

20. आधुनिक भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए स्कीमें ।

21. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।

22. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।

23. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।

24. विदेशों से सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियां ।

25. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।

26 विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।

27. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।

28. विदेश परिदर्शन के लिये सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं) ।

29. विदेशों को पुस्तकें भेंट ।

30 विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।

31. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।

32. शासकीय प्रकाशनों की विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिये करार ।

33. विदेशों में भारतीय कला वस्तुएं भेंट करना ।

34. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

35 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों व नर्तकियों, संगीतज्ञों आदि का विनिमय ।

36 गजेटियरों का पुनरीक्षण ।

37. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियां और वार्षिकोत्सव मनाना ।

38. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित प्रकाशन, जानकारी और आंकड़े ।

39 इंटरनेशनल कांग्रेस आफ ओरियंटलिस्ट्स ।

40. भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण ।

41. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।

42. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।

43. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ।

44. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सब संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

45. निम्नलिखित से सम्बन्धित चलचित्र अधिनियम, 1952 का प्रशासन—

(i) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चलचित्रों का केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा परीक्षण और प्रमाणन ;

(ii) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ।

घ महिला कल्याण विभाग

1. कुटुम्ब कल्याण ।

2. स्त्री और बालक कल्याण और इस विषय के सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।

3. स्त्रियों और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त प्रसंग ।

4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व के शिशुओं की देखभाल ।

5. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय। प्राग्विद्यालय बालकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा ।

6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास।

7. इस विभाग को आबंटित विषयों के संदर्भ में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास ।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय अथवा संगठन ।

9. स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956

10. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 ।

उद्योग मंत्रालय

क औद्योगिक विकास विभाग

I औद्योगिक नीति

1 साधारण औद्योगिक नीति ।

2 उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का प्रशासन।

3 औद्योगिक प्रबन्ध ।

4 उद्योगो मे उत्पादकता ।

II औद्योगिक सहकारिता

5 सहकारी चानी कारखानो के सिवाय औद्योगिक सैक्टर मे सहकारिता।

III उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

6 सभी उद्योगो का योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता, जिनमे किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले उद्योग नही आते, परन्तु जिनमे डबल रोटी, तिलहन, चूर्ण (खाद्य), नाश्ते के आहार, बिस्कुट मिष्ठान (जिसके अन्तर्गत कोको ससाधन और चाकलेट बनाना भी आता है), माल्टसार पृथककृत्त प्रोटान, उच्च प्रोटान आहार, स्तन्य-त्याग आहार, और उत्सारित (एक्सट्रडेड) खाद्य उत्पाद (जिसके अतर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार आते है) से सबद्ध उद्योग शामिल हैं ।

7 भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 और तदधीन बनाए गए विनियमो का प्रशासन/केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।

8 विस्फोटक—विस्फोटक अधिनियम, 1884 और तद्धीन बनाए गए नियमो का प्रशासन, किन्तु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 का नही।

9 केबिल।

10 हल्के इजनियरी उद्योग (उदाहरणार्थ सिलाई की मशीनें, टाइपराइटर, तोलने की मशीनें, बाइसिकिल, आदि) ।

11 हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ, प्लाइवुड, लेखन सामग्री, दियासलाई, सिगरेट, आदि) ।

12 हल्के विद्युत-इजीनियरी उद्योग ।

13 कच्ची फिल्मे ।

14 हार्ड बोर्ड ।

15 कागज और अखबारी कागज ।

16 टायर और ट्यूब ।

17 नमक।

18 सीमेंट।

19 आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पूना।

20 इडियन प्लाइवुड इडस्ट्रीज रिसर्च इस्टिट्यूट, बगलौर ।

21 सीमेंट रिसर्च इस्टिट्यूट आफ इण्डिया, फरीदाबाद, हरियाणा ।

22 इडियन रबर मैन्युफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई ।

23 तकनीकी विकास इसके अतर्गत तकनीकी विकास का महानिदेशालय है ।

IV लघु उद्योग

24 लघु उद्योगो के विकास का समन्वय

(i) लघु उद्योग बोर्ड ।

(ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।

(iii) उन स्थानो मे जहा पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियो का भारी सकेन्द्रण है नियोजन का व्यवस्था करने के लिए नये उद्योगो का स्थापन ।

25 ग्रामीण और कुटीर उद्योग ।

26 ग्रामीण उद्योगीकरण से सबधित मामलो का समन्वय ।

27 साबनु और अपमार्जक ।

V पेटेंट और डिजाइन, आदि

28 अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादो और कच्चा सामग्री का मानकीकरण ।

29 डिजाइन अधिनियम, 1911 ।

30 पेटेंट अधिनियम, 1970

VI सामग्री योजना

31 सेक्टरो, उद्योगो और बडे एककी द्वारा उत्पादो के विशिष्ट समूहो और उपलभ्य क्षमता मे की गई कच्चे माल की मागो का समन्वित निर्धारण।

32 आयातो द्वारा प्रतिस्थापन को सभाव्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए देशी कच्चे माल का उपलब्धता का निर्धारण ।

33 तालिकाओ का सम्यक ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओ का निर्धारण ।

34 कच्चे माल के आवटन के लिए सिद्धातो पूर्विकताओ और प्रक्रियाओ का अवधारण ।

35 नारियल जटा उद्योग ।

36 कयर बोर्ड ।

37 सामग्री योजना से सम्बद्ध अन्य मामले ।

अन्य विषय

38 इस सूची मे विनिर्दिष्ट विषयो मे से किसी से सबधित सभी सलग्न या अधीनस्थ कार्यालय व अन्य सगठन ।

39 ऐसी परियोजनाओ के सिवाय जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टत आवटित हैं, इस सूची मे सम्मिलित किए गए विषयो के अन्तर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाए ।

40 सभी पब्लिक सेक्टर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमो पर प्रभाव डालने वाली अवित्तीय प्रकृति की साधारण नीति के मामलो का समन्वय ।

41 समस्त उद्योग के लिए भारी इजीनियरी उपस्कर का विनिर्माण।

42 भारी विद्युत इजीनियरी उद्योग ।

43 मशीनरी उद्योग जिसके अन्तर्गत मशीनी औजार और इस्पात विनिर्माण आते हैं ।

44 आटो उद्योग जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाला उपस्कर आते हैं ।

45 सभी प्रकार के डीजल इजन ।

ख कम्पनी कार्य विभाग

1 कम्पनी अधिनियम, 1956 का प्रशासन ।

2 कम्पनी (राष्ट्रीय निधियो को दान) अधिनियम, 1951 का प्रशासन ।

3 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का प्रशासन।

4. लेखा-वृत्ति (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949) लागत और संकर्म लेखा वृत्ति (लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959), कम्पनी सचिवत्व वृत्ति कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980।

5. कम्पनियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण।

6. भागीदारी विधि के संबंध में विधान और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अध्याय 7 के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कतिपय कृत्यों का निर्वहन।

(अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है)।

7. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग।

8. उपर्युक्त मदों में से किसी के बारे में केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व।

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

1. ओषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स।

2. कीटनाशी [कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का 46) प्रशासन के अतिरिक्त]

3. शोरा-वितरण और मूल्य निर्धारण।

4. एलकोहल औद्योगिक और पेय, भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) सहित।

5. रंजक-द्रव्य और रंजक-मध्यक।

6. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आवंटित नहीं किए गए हैं।

7. विभाग द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना विकास तथा नियंत्रण और सहायता।

8. इस विभाग के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी संबंधित सभी सलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

9. इस विभाग में सम्मिलित विषयों से संबंधित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं उन परियोजनाओं को छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई है।

10. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20)।

11. भोपाल गैस विभिषिका—तत्संबंधी विशेष विधियां।

12. पेट्रो-रसायन।

13. सेलूलोज रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, पोलियेस्टर, एक्रिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग।

14. संश्लिष्ट रबड़।

15. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल हैं।

16. विभाग द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता।

17. उपर्युक्त मामलों से संबंधित सभी सरकारी क्षेत्र के एकक।

18. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

सरकारी उद्यम विभाग

1. सरकारी उद्यम ब्यूरो जिसमें औद्योगिक प्रबन्ध पूल भी सम्मिलित है।

2. दि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि., रांची।

3. दि माइनिंग एण्ड अलायड मशीनरी कारपोरेशन लि., दुर्गापुर।

4. दि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद।

5. दि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस (इण्डिया) लि.।

6. दि भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसेल्स लि.।

7. दि इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लि.।

8. भारत ब्रेक्स एंड वाल्वज लि.।

9. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.।

10. भारत प्रोसेस एंड मेकैनिकल इंजीनियर्स लि.।

11. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि.।

12. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि.।

13. ब्रैथवेट एंड कं. लि.।

14. बर्न स्टैंडर्ड कं. लि.।

15. एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.।

16. एच.एम.टी. लि.।

17. एच.एम.टी. इंटरनेशनल लि.।

18. जेसप एंड कं. लि.।

19. दि लैगन जूट मशीनरी कं. लि.।

20. मारुति उद्योग लि.।

21. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.।

22. स्कूटर्स इंडिया लि.।

23. वबेर्ड (इंडिया) लि.।

24. ब्रैथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन लि.।

25. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.।

26. एण्ड्रयू यूले एंड कं. लि.।

27. बनारहाट टी कं. लि.।

28. बासमतिया टी कं. लि.।

29. भारत लैदर कार्पोरेशन लि.।

30. भारत आपथेल्मिक ग्लास लि.।

31. सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.।

32. साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.।

33. हिन्दुस्तान केबल्स लि.।

34. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि.।

35. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफेक्चरिंग कं. लि.।

36. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.।

37. हुगली प्रिंटिंग कं. लि.।

38. हूलगूरी टी कं. लि.।

39. इंस्ट्रूमेंटेशन लि.।

40. दि मांड्या नैशनल पेपर मिल्स लि.।

41. दि मिम टी कं. लि.।

42. मुरकुलानी (असम) टी कं. लि.।

43. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं. लि.।

44. नेशनल बाइसिकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.।

45. दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.।

46. नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि.।

47. नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि. ।

48. दि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. ।

49. रायगढ़ टा. कं. लि. ।

50. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि. ।

51. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. ।

52. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि. ।

53. सांभर साल्ट्स लि. ।

54. टैनरी एंड फुटवीयर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. ।

55. टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

I रेडियो :

1. (प्रसारण अनुज्ञप्तियां देने के सिवाय) आकाशवाणी से संबंधित सब कार्य जिसके अन्तर्गत अन्तर्देशीय कार्यक्रमों की समाचार सेवाएं विदेशों और समुद्रपारस्थ भारतीयों के लिए कार्यक्रम, रेडियो जरनल, प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारणों को मानीटर करना, कार्यक्रम विनिमय और अनुलिपिकरण सेवाएं, टेलीविजन, सामुदायिक श्रवण स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को सामुदायिक रेडियो रिसीवर सेटों का प्रदान आदि है :

2. संघ भर में सर्वत्र प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों/ट्रांसमीटरों का प्रतिष्ठापन और उनको बनाए रखना ।

II फिल्म :

3. (1) प्रदर्शन के और इतर प्रयोग के लिए फीचर लम्बाई की और लघु फिल्मों का आयात;

(2) फीचर लम्बाई की और लघु भारतीय फिल्मों का निर्यात;

(3) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित चलचित्र-फिल्म (अनुद्भासित) और अन्य माल का आयात और वितरण ।

4. (1) अन्तर्देशीय और विदेश प्रचार के लिए वृत्तचित्रों और समाचार चित्रों तथा अन्य फिल्मों और फिल्मों के टुकड़ों का उत्पादन और वितरण;

(2) फिल्मों के लिए वितरण और प्रदर्शन श्रृंखलाओं का सृजन ।

5. फिल्म उद्योग से संबंधित विकासकारी और संवर्धक क्रियाएं, जिनमें शिक्षण और अनुसंधान भी हैं ।

6. (1) संघ सूची की प्रविष्टि 60 अर्थात्, "प्रदर्शन के लिए चलचित्रों की मंजूरी" के अधीन विधायन ।

(2) चलचित्र अधिनियम, 1952 का प्रशासन जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों में चलचित्र यंत्र द्वारा होने वाला प्रदर्शन शामिल है, परन्तु उसमें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चलचित्रों का केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा परीक्षण और प्रमाणन शामिल नहीं है ।

7. भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार प्रदान करना ।

8. बाल फिल्म सोसाइटी को अनुदान ।

9. फिल्म जांच समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

10. राष्ट्रीय फिल्म निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (इम्पेक)

III विज्ञापन और दृश्य प्रचार :

11. प्रेस, पोस्टरों, फोल्डरों, कैलेंडरों, ब्लाटरों, पत्रकों, विज्ञापन फलकों, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से भारत सरकार के सभी संप्रदर्शी विज्ञापनों का उत्पादन और प्रकाशनार्थ दिया जाना, वर्गीकृत विज्ञापनों का भारत सरकार की ओर से प्रकाशनार्थ दिया जाना भी ।

12. माध्यम सूचियों की तैयारी ।

IV प्रेस :

13. भारत सरकार की नीतियों और उसके क्रियाकलाप का प्रेस के माध्यम से निरूपण और निर्वचन ।

14. प्रेस संबंधी सूचना समस्याओं पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में यथाप्रतिबिम्बित लोकमत की प्रमुख धाराओं की सरकार को जानकारी देते रहना और सरकार और प्रेस के बीच संपर्क ।

15. सशस्त्र बलों के प्रति और उनके लिए प्रचार ।

16. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 से 96 तक के प्रशासन को छोड़कर प्रेस के साथ सरकार के संबंधों का साधारण संचालन ।

17. प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 का समाचार-पत्रों से संबंद्ध प्रशासन ।

18. समाचार पत्र (कीमत तथा पृष्ठ) अधिनियम, 1956 का प्रशासन

19. प्रेस आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

V प्रकाशन :

20. देश की तथा विदेशों की साधारण जनता को भारत के संबंध में अद्यतन तथा ठीक-ठीक जानकारी कराने की दृष्टि से अन्तर्देशीय तथा विदेश प्रचार के लिए राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों तथा जनरलों को तैयार करना, विक्रय तथा वितरण ।

VI अनुसंधान और निर्देश :

21. (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम एककों को उस सामग्री के संग्रहण, संकलन और तैयारी में सहायता करना जिसमें प्रकाशित कृतियों आदि में अनुसंधान करना अन्तर्ग्रस्त है; और

(2) मंत्रालय के माध्यम एककों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का सार-संग्रह तैयार करना और सामयिक तथा अन्य विषयों पर मार्गदर्शी तथा पृष्ठभूमि-टिप्पणी तैयार करना ।

22. पंचवर्षीय योजना के लिए प्रचार ।

23. गायक और वादक दोनों प्रकार के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को, नर्तक-नर्तकियों को और नाटककारों को जिन्होंने आकाशवाणी और इस मंत्रालय के अन्य एककों के सफलता में सारभूत योगदान दिया है, या निर्धनावस्था वाले उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।

24. संलग्न और अधीनस्थ संगठन :-

(क) आकाशवाणी ।

(ख) फिल्म प्रभाग ।

(ग) पंचवर्षीय योजना प्रचार एकक ।

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ।

(ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो ।

(च) प्रकाशन प्रभाग ।

(छ) अनुसंधान और निर्देशन प्रभाग ।

(ज) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय ।

25. एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन, कामनवेल्थ ब्राडकास्टिंग एसोसिएशन और नान-अलाइन्ड न्यूज एजेंसी पूल से संबद्ध सभी मामले ।

श्रम मंत्रालय

भाग I—संघ विषय

1. संघ रेलों की बावत मजदूरी संदाय, व्यवसाय-विवाद, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और बालकों के नियोजन का विनियमन ।

2. पत्तन के बारे में—पत्तन श्रम से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों का विनियमन ।

3 खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन ।

भाग II—समवर्ती विषय

4. कारखाने ।

5. श्रम कल्याण—श्रम की औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि संबंधी दशायें, भविष्य निधियां, कुटुम्ब पेंशन, उपदान, नियोक्ता का दायित्व और कर्मकार प्रतिकर, स्वास्थ्य और रोग बीमा जिसमें अशक्तता पेंशनें, वार्धक्य पेंशनें, कारखानों में कार्य दशाओं में सुधार सम्मिलित हैं। औद्योगिक उपक्रमों में कैंटीनें ।

6. बेकारी बीमा ।

7. व्यवसाय संघ, उद्योग और श्रम-विवाद ।

8. श्रम संबंधी आंकड़े ।

9. ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के सिवाय रोजगार और बेरोजगारी ।

10. शिल्पकारों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ।

भाग III—हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त कार्य ।

11. उपर्युक्त भाग II में वर्णित मदें ।

भाग IV—उपर्युक्त भाग I, II और III में वर्णित मामलों में से किसी के संबंध में आनुषंगिक कार्य ।

12. अन्य देशों से की गई संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।

13. विधियों के विरुद्ध अपराध ।

14. जांच और आंकड़े ।

15. फीसें, किन्तु वे फीसें नहीं जो किसी न्यायालय में ली जाती हैं।

16. (उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) सब न्यायालयों की शक्तियां और अधिकारिता ।

भाग V—प्रकीर्ण कार्य

17. रोजगार कार्यालय ।

18. भारत में और विदेशों में दोनों जगह फोरमैन और पर्यवेक्षक के स्तर पर शिक्षकों, शिल्पकारों, तकनीकज्ञों के प्रशिक्षण के लिए स्कीमें, ऐसे प्रशिक्षण ।

19. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ।

20. द्विपक्षीय श्रम सम्मेलन ।

21. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943 और स्कीम।

22 कोयला खानों से भिन्न खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विधियों का और खान और अभ्रक खान कल्याण के मुख्य आयुक्त के संगठनों का प्रशासन ।

23 भारतीय पत्तन श्रम अधिनियम, 1931 का प्रशासन और उसके अधीन बनाए विनियम और पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन निर्मित पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम ।

24. खान जिला उत्प्रवासी श्रमिक अधिनियम और उत्प्रवासी श्रम नियोजक संगठन का प्रशासन ।

25. उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के अन्तर्गत भारत से विदेशों को होने वाले सभी उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी ।

26. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रशासन ।

27. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) का प्रशासन ।

28. केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों में श्रम विषयक विधियों का प्रशासन ।

29. श्रम संबंधी आंकड़े, श्रम ब्यूरो के निदेशक का संगठन ।

30. मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों, केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालयों, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन और प्रशासन ।

31. कारखानों के मुख्य सलाहकार का संगठन जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान, उत्पादित और उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रादेशिक संग्रहालय हैं ।

32. बागान श्रमिक और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) का प्रशासन ।

33. सरकारी श्रम अधिकारियों की भर्ती, तैनाती, अन्तरण और प्रशिक्षण ।

34. श्रम-जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 का प्रशासन ।

35. कर्मकारों की शिक्षा संबंधी स्कीम ।

36. प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के सम्बन्ध में स्कीमें।

37. उद्योग में अनुशासन ।

38. अलग-अलग उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्डों का गठन ।

39. मोटर परिवहन कर्मकारों के काम की दशाओं का अधिनियमन ।

40. देश में श्रम विषयक विधियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन ।

विधि और न्याय मंत्रालय

क. विधि कार्य विभाग

1. विधिक मामलों पर मंत्रालयों को सलाह, जिसके अन्तर्गत विधियों का निर्वचन, विधिक कार्यवाहियां और हस्तान्तरण लेखन आते हैं।

2. भारत का महान्यायवादी, भारत का महासालिसिटर तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, राज्यों के विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं में भारत सरकार के मंत्रालय अंशभोगी हैं।

3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों की सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मामलों का संचालन ।

4. सिविल वादों में सम्मनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन, भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत मरने वाले विदेशियों की सम्पदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ व्यतिकारी व्यवस्था ।

5. संविधान के अनुच्छेद 299 (i) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति-संबंधी हस्तान्तरण पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना और केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वाद-पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने के

लिए और उसका सत्यापन करने के लिए अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना ।

6 भारतीय विधि सेवा ।

7 सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां और करार ।

8 विधि आयोग ।

9 विधिक वृत्ति ।

10 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का परिवर्धन और उसको अनुपूरक शक्तियां प्रदत्त करना, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश ।

11 उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्ति ।

12 नोटरी अधिनियम, 1952 का प्रशासन ।

13 नामाधिकरण विषयक अधिकारिता ।

14 आय-कर अपील अधिकरण ।

15 विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड ।

16 निर्धनों के लिए विधिक सहायता ।

ख विधायी विभाग

1 विधेयकों का प्रारूपण, जिसके अन्तर्गत प्रवर समितियों में प्रारूपकारों का कार्य है, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण और प्रख्यापन, जब भी अपेक्षित हो राज्य अधिनियमों की राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमिति, कानूनी नियमों और आदेशों की समीक्षा ।

2 संविधान आदेश संविधान (संशोधन) अधिनियमों को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचनाएं ।

3 (क) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन;

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5(1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उप विधियों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवादों का प्रकाशन ।

4 अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का, साधारण कानूनी नियमों और आदेशों का संकलन और प्रकाशन तथा अन्य समरूप प्रकाशन ।

5 संसद राज्यों के विधान मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग ।

6 यथासंभव, सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए मानक विधि शब्दावली तैयार करना तथा उसका प्रकाशन ।

7 सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाए गए सभी विनियमों और ऐसे अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना ।

8 केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाए गए विनियमों का राज्यों की राजभाषाओं में अनुवाद करने और सभी राज्य अधिनियमों और अध्यादेशों का, यदि ऐसे अधिनियम अथवा अध्यादेश हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में हों, हिन्दी अनुवाद करने की व्यवस्था करना ।

9 विधि-पुस्तकों और विधि-पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन ।

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत) —

10 विवाह और विवाह विच्छेद, शिशु और अवयस्क दत्तक ग्रहण, इच्छापत्र होगा और उत्तराधिकार अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन;

11 कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति का हस्तान्तरण, विलेखों और दस्तावेजों का पर्यवेक्षण ।

12 संविदायें, किन्तु इनके अन्तर्गत कृषि भूमि संबंधी संविदायें नहीं आती हैं ।

13 अभियोज्य दोष ।

14 दिवाला और शोध्यता ।

15 न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और न्यासकाय न्यायी ।

16 साक्ष्य और शपथें ।

17 व्यवहार प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत परिसीमा और माध्यस्थम् है ।

18 पूर्त और धार्मिक धर्मस्व और धार्मिक संस्थायें ।

अन्य विषय

19 वक्फ अधिनियम, 1954 ।

20 निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के अधीन वक्फ सम्पत्तियों के बाबत कार्य ।

21 दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 का प्रशासन ।

ग. न्याय विभाग

1 भारत के मुख्य न्यायाधिपति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना, उनके वेतन अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार (जिसके अन्तर्गत छुट्टी के भत्ते हैं) पेंशनें और यात्रा भत्ते ।

2 राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना, आदि, उनके वेतन अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार (जिसके अन्तर्गत छुट्टी के भत्ते हैं) पेंशनें और यात्रा भत्ते ।

3 संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति ।

4. उच्चतम न्यायालय का गठन और संगठन (जिसके अन्तर्गत अधिकारिता और शक्तियां नहीं आती किन्तु ऐसे न्यायालय का अवसान आता है) और उसमें ली जाने वाली फीसें ।

5. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों से सम्बद्ध उपबन्धों के सिवाय इन न्यायालयों का गठन और संगठन ।

6 संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संगठन तथा ऐसे न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें ।

7 संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय फीस और स्टाम्प शुल्क ।

8 अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का सृजन ।

9 संघ राज्य क्षेत्रों के जिला जजों तथा वहां के उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें ।

10 किस संघ राज्य क्षेत्र में किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या किस संघ राज्य क्षेत्र का किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जन ।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय

क संसदीय कार्य विभाग

1 संसद के दोनों सदनों के आह्वान और सत्रावसान की तारीखें लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण ।

2 इन मामलों के विधान तथा अन्य संसदीय कार्य की योजना और समन्वय ।

3 जिन प्रस्तावों की सूचना सदस्यों ने दी है उनकी चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का आवंटन ।

4 समूह नेताओं और उपमुख्य सचेतकों के साथ सम्पर्क ।

5 विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के लिए सदस्य सुविधा ।

6 सरकार द्वारा स्थापित समितियों तथा अन्य निकायों में संसद सदस्यों की नियुक्ति ।

7 विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण ।

8 मंत्रियों द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन ।

9 प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का दृष्टिकोण ।

10 मंत्रिमण्डल की संसदीय समिति को सचिवीय सहायता ।

11 संसद सदस्यों के वेतनों और भत्तों से संबंधित अधिनियम ।

12 संसद अधिकारियों के वेतनों और भत्तों से संबंधित अधिनियम ।

13 प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य संसदीय मामलों पर मंत्रालयों को सलाह ।

14 संसदीय समितियों द्वारा की गई साधारण रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कारवाई का समन्वय ।

15 संसद सदस्यों द्वारा रोचक स्थानों का परिदर्शन जिसे राजकीय रूप से समर्थित किया गया हो ।

16 संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामले ।

ख पर्यटन विभाग

1 पर्यटन विकास

2 भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल/मोटल । इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

क कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

I. सेवाओं में भर्ती, प्रोन्नति और मनोबल

1 नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण ।

2 रेल सेवाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक विभाग, अन्तरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं के सिवाय केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित भर्ती, प्रोन्नति और ज्येष्ठता संबंधी साधारण प्रश्न ।

3 सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आयु-सीमाओं, स्वास्थ्य स्तरों, शैक्षिक अर्हताओं तथा अतकनीकी डिग्रियों/डिप्लोमों की मान्यता के बाबत साधारण नीति ।

4 रेल सेवाओं से भिन्न सेवाओं के संबंध में पदों के वर्गीकरण और राजपत्रित हैसियत प्रदान करने के संबंध में साधारण नीति विषयक प्रश्न ।

5 रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के सिवाय भारत सरकार के सचिवालय और उसके संबद्ध कार्यालयों के लिए अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती ।

6 रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के सिवाय भारत सरकार के सचिवालय स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति ।

7 विभिन्न देशों से आने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नियोजन संबंधी सहायता देने के बाबत साधारण नीति ।

8 सिविल पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए युद्ध सेवा-अभ्यर्थियों का निरीक्षण ।

9 जो क्षेत्र इस समय पाकिस्तान में हैं उन क्षेत्रों से आने वाले विस्थापित सरकारी सेवकों और छंटनी किए गए अस्थायी कर्मचारियों के पुनः स्थापन के संबंध में साधारण नीति ।

10 लोक सेवाओं में प्रथम नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के विषय में राजनैतिक पद्धतियों का रियायतें ।

11 अधिवर्षिता-प्राप्त अधिकारियों के सेवा विस्तारण और पुनर्नियोजन के संबंध में साधारण नीति ।

12 भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों को वाक्य संघ के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता के प्रमाण-पत्र देना ।

13 (क) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन और द्विपक्षीय आधार पर विदेशस्थ भारतीय विशेषज्ञों की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति ।

(ख) संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसके सहबद्ध अभिकरणों के साथ तथा आई एल ओ, एफ ए ओ इत्यादि जैसे उसके अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ नियोजन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ।

14 सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त उपयुक्तता संबंधी सत्यापन विषयक साधारण नीति ।

15 उच्चतर पदों के लिए रोजगार कार्यालयों में ऐसे कार्मिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो सेवा में हों आपत्ति न होने संबंधी प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में नीति विषयक मामले ।

16 मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द संबंधी मामले ।

17 निम्नलिखित के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिशेष हो गए कर्मचारियों का पुनः अधिनियोजन—

(i) प्रशासनिक सुधार,

(ii) कर्मचारिवृन्द निरीक्षण एकक द्वारा किए गए अध्ययन,

(iii) दीर्घकालिक किन्तु अस्थायी संगठनों का परिसमापन ।

18 मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन विभिन्न काडरों के समुचित प्रबंध के संबंध में मंत्रालयों को सलाह ।

II. प्रशिक्षण

19 (क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करना और उनका समन्वय ।

(ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान ।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(घ) प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का और प्रशिक्षण तकनीकों, सुविधाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन ।

(ङ.) राज्यों के भीतर की तथा विदेशों की प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ सम्पर्क ।

(च) मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधकगण के स्तरों के लिए पुनश्चर्या तथा विशेष पाठ्यक्रम ।

III. सतर्कता और अनुशासन

20 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जिसके अन्तर्गत विधिक प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग और प्रशासन प्रभाग आते हैं); खाद्य संबंधी अपराधों की शाखा; और आर्थिक अपराध शाखा ।

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषित किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त उस दशा में मंजूरी देना जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाए ।

टिप्पणी.—किसी ऐसे अपराध के लिये जिसका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा न किया गया हो, किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त मंजूरी प्रशासन विभाग द्वारा उस दशा में दी जायेगी जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाये

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ।

(घ) लोक सेवकों के मध्य सतर्कता और अनुशासन संबंधी सभी नीति विषयक मामले ।

(ङ) संसद सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध ।

IV. सेवा की शर्तें

21. रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सिवाय, अखिल भारतीय और संघ लोक सेवाओं संबंधी साधारण प्रश्न (उनसे भिन्न जिनका वित्त से संबंध है), जिनमें आचरण नियम भी आते हैं ।

22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के नियंत्रण के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर, की सेवा शर्तें, जो उनसे भिन्न हैं जिनका वित्त से संबंध है और जिनका विस्तार वहां तक है जहां तक उनसे सेवा के साधारण हितों के प्रश्न उत्पन्न होते हैं ।

23 (क) मूल नियमों, अनुपूरक नियमों और सिविल सेवा नियमों सहित (लेकिन इसमें पेंशन और अन्य सेवा—निवृत्ति लाभ नहीं आते हैं) सभी सेवा नियमों का निम्नलिखित को छोड़कर प्रशासन:—

(i) कर्मचारियों के वेतन ढांचे के पुनरीक्षणों से संबंधित प्रस्ताव;

(ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षणों के लिये प्रस्ताव;

(iii) वेतन आयोग की नियुक्ति सिफारिशों का प्रसंकरण और उनका कार्यान्वयन;

(iv) मंहगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते और यात्रा भत्ते;

(v) सेवा शर्तों अथवा महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को कोई नई सुविधा;

(vi) प्रमुखत: वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों में संशोधनों से संबंधित मामले ।

(ख) सेवा-शर्तों और महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के लिये प्रस्तावों का उपक्रमण ।

(ग) खंड (क) को मद (vi) में उल्लिखित प्रमुखत: वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों सहित सेवा नियमों में संशोधनों से संबंधित मामलों में भारत सरकार के औपचारिक आदेश जारी करना ।

(घ) दीर्घावधि वित्तीय निहितार्थों वाले किन्हीं भी सेवा नियमों का वित्त मंत्रालय के परामर्श से शिथिलन और उदारीकरण ।

24. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का अनुदान ।

25. रेल कर्मचारियों से भिन्न सिविल कर्मचारियों के लिये छुट्टी यात्रा सुविधाएं ।

26. केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 ।

27. रेल विभाग के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों के सिवाय, ऐसे सेवकों की छटनी और प्रत्यावर्तन संबंधी साधारण नीति ।

28. केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद करना) नियमों का प्रशासन ।

29. केन्द्रीय सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों में वर्ग IV तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिये वर्दियां ।

30. भारत सरकार के कार्यालयों के लिये काम के घंटे और अवकाश-दिन ।

31. ऐसे सेवा नियमों का प्रशासन जिनमें वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्टत: प्रत्यायोजित वित्तीय बातें हों ।

32. वित्त मंत्रालय की बाबत ऐसी प्रस्थापनाओं पर सलाह जिनका संबंध किसी सेवा के पदों की संख्या या श्रेणी से अथवा उसकी सदस्य संख्या से अथवा सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों से अथवा उनकी सेवा की अन्य किन्ही ऐसी शर्तों से हो जिनमें वित्तीय प्रश्न निहित हों ।

33. सरकारी सेवकों द्वारा किये गये विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में साधारण नीति ।

34. पदेन सचिवालय हैसियत प्रदान करने के लिये प्रस्थापनायें ।

35. सिविल पदों पर व्यक्तियों की अवैतनिक नियुक्तियां ।

36. संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ।

V. ज्येष्ठ और मध्यवर्गीय प्रबंधन

37. ज्येष्ठ प्रबंधतन्त्र (अर्थात संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर तथा उनके समकक्षों) के सभी पहलू, जिनके अन्तर्गत उनके लिये कार्मिकों की अभिवृद्धि भी है ।

38. (क) भारत सरकार का स्थापना अधिकारी ।

(ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ।

(ग) केन्द्रीय स्थापना बोर्ड ।

(घ) मध्यम वर्गीय प्रबंधक गण (निदेशकों उप सचिवों और अवर सचिवों तथा उनके समकक्षों) के भविष्य का विकास ।

VI. सरकार—कर्मचारी संबंध जिनके अंतर्गत कर्मचारी-वृन्द की शिकायतें और कल्याण भी है ।

39. (क) भारत सरकार के औद्योगिक और गैर—औद्योगिक कर्मचारियों के सेवा संगम ।

(ख) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिये विभागीय परिषद् ।

(ग) कर्मचारीवृन्द की शिकायतें दूर करने के लिए तंत्र ।

(घ) कर्मचारीवृन्द कल्याण जिसके अन्तर्गत खेल-कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, गृह कल्याण केन्द्र, कैन्टीनें, सहकारी स्टोर आदि हैं ।

(ङ) सरकार-कर्मचारी संबंधों के बारे में अन्य मामले जिन के इस मंत्रालय के संबंध में किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत प्रावधान नहीं है

VII. संघ लोक सेवा आयोग

40. संघ लोक सेवा आयोग ।

VIII भारतीय प्रशासनिक सेवा ... उनके सदस्यों ... विषयक ... प्रश्न ... केन्द्रित प्रश्न।

41 (क) नये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अधीन नियम और विनियम।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसके अन्तर्गत भारतीय सिविल सेवा है से संबद्ध सभी मामले।

(घ) अखिल भारतीय सिविल सेवा सूची और सेवाओं का इतिहास।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा।

IX. भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना

42 (क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकारी सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना के संबंध में साधारण नीति विषयक प्रश्न।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिये भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से संबद्ध सभी मामले।

X कार्मिक प्रबन्ध अभिकरण

43 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के भीतर प्रबंध अभिकरणों के काम का समन्वय।

XI कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान आदि

44 कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान, कार्मिक संबंधी मामलों में राज्य सरकारों, वृत्तिक संस्थाओं आदि के साथ सम्पर्क।

XII राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों का आवंटन और सेवाओं का एकीकरण

45 (क) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा कार्मिकों का आवंटन।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित संघ राज्य क्षेत्रों में सेवाओं के विभाजन और एकीकरण।

(ग) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित कार्मिकों की सेवा की शर्तों का संरक्षण।

(घ) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित राज्य सेवाओं से संबद्ध अन्य मामले।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग।

1 प्रशासनिक सुधार

2 संगठन और पद्धति

3 निम्नलिखित से संबंधित मामलों के बारे में नीति और समन्वय—

(i) सामान्यतः लोक शिकायतों का निवारण, और

(ii) केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से संबंधित शिकायतें।

(ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग।

1 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सेवा-निवृत्ति लाभों की, निम्नलिखित सहित सभी योजनाओं का प्रशासन --

(i) उपदान,

(ii) पेंशन नियम [केन्द्रीय सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972, सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग I और II) वायु सेना पेंशन विनियम, 1961, नौसेना (पेंशन) विनियम 1964 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का सारांशीकरण, निशक्तता पेंशन परिवार पेंशन]

(iii) पेंशन दावों और पेंशनभोगियों की सहायता

(iv) ... नियम

(v) पेंशन नियम सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित अन्य नियमों के ... निर्वचन ... से संबंधित मामले।

उपमद (iii) के संबंध में ... वित्त मंत्रालय के परामर्श से ... उनकी सम्मति से ... उपमद (iv) और (v) ... महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थ निहित हों अथवा जो पर्याप्त वित्तीय प्रकृति के हों के संबंध में कार्यवाही केवल वित्त मंत्रालय के परामर्श से और उनकी सहमति से ही की जाएगी।

2 रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित पेंशन के संबंध में विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1 प्राकृतिक गैस सहित, पेट्रोलियम के स्रोतों के लिए खोज और उनका दोहन।

2 प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों सहित, पेट्रोलियम का उत्पादन, सप्लाई, वितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण।

3 तेल परिष्करणियां, जिनमें स्नेहक संयंत्र शामिल हैं।

4 पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये योज्य।

5. स्नेह मिश्रण और ग्रीस।

6 मंत्रालय द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता।

7. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

8 तेल क्षेत्र सेवाओं की योजना, विकास और विनियमन।

9 उन परियोजनाओं के सिवाय जो किसी अन्य मंत्रालय विभाग को विनिर्दिष्टतया आवंटित की गई हैं इस सूची में सम्मिलित किये गये विषयों के अन्तर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं, इंजीनियर्स इंडिया लि० और इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, जिसमें उसके अनुषंगी भी शामिल हैं।

10 तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53)।

11. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 (1959 का 43)।

12. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)।

13 एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का 4)।

14. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)।

15 बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1976 (1976 का 2)।

16 काल्टैक्स [काल्टैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि० के शेयरों का और काल्टैक्स (इंडिया) लि० के भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1977 (1977 का 17)]।

17 पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और तद्धीन बनाए गए नियमों का प्रशासन।

योजना मंत्रालय

क योजना विभाग

राष्ट्रीय योजना के विषय की बाबत संसद के प्रति उत्तरदायित्व।

ख साख्यिकी विभाग

1 आकड़ा सग्रह के मानक और प्रमाप तथा पद्धतिया।

2 केन्द्रीय साख्यिकी सगठन।

3 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण।

4 भारतीय साख्यिकी सस्थान।

5 सगणक (कम्प्यूटर) केन्द्र।

6 भारतीय साख्यिकी सेवा के प्रबन्धन के केन्द्रीय पहलू और उस सेवा के प्रशिक्षण, भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से सम्बन्धित सभी मामले।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1 परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का परीवीक्षण (मानीटरिंग) करना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सबध मे नीति विषयक वक्तव्य और मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना।

2 मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति (एस ए सी सी)।

3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास।

4. भविष्य विज्ञान।

5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों का समन्वय जिनमे अनेक सस्थाओं और विभागों की रुचि हो और जिनमे उनकी क्षमता हो।

6 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षणों, अनुसधानों, डिजाइन और विकास, जहां कहीं आवश्यक हो, के कार्यों को हाथ मे लेना या वित्तीय तौर पर उन्हे समर्थन देना।

7 वैज्ञानिक अनुसधान सस्थानों, वैज्ञानिक सघों और निकायों की सहायता और सहायता अनुदान देना।

8 अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यकलाप, जिनके अतर्गत निम्नलिखित है —

(क) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहकारिता करारो के सबध मे बातचीत और उनका कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के क्रियाकलापो के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं की जिम्मेदारी, और

(ख) विदेशो मे वैज्ञानिक सहचारियों (अताशियो) की नियुक्ति।

टिप्पण इन कृत्यो का पालन विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

9 वैज्ञानिक सर्वेक्षण —

(1) भारतीय सर्वेक्षण,

(2) नशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन।

10 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।

11 (i) खगोल भौतिकी सस्थान (इन्सटीट्यूटस आफ ऐस्ट्रो फिजिक्स)

(ii) भुचम्बकत्व सस्थान।

(iii) इन्स्टीट्यूटस आफ ट्रापिकल मीटिरालाजी।

12 विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचार राष्ट्रीय परिषद।

13 राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड।

14 नशनल बायोटेक्निकल बोर्ड।

15 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सस्थाओं पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाले मामले, उदाहरणार्थ वित्तीय कार्मिक, क्रय और आयात नीतिया तथा व्यापार।

16 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रबन्ध सूचना प्रणाली और तत्सबधी समन्वय।

17 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों के विकास हेतु अन्त अभिकरण, अन्तर विभागीय समन्वय सबधी मामले।

18 देशी प्रौद्योगिकी से सबधित मामले खास तौर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी से भिन्न वे मामले जिनमे ऐसी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण निहित हो।

19 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के निमित्त उन्हे लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय।

ख वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसधान विभाग।

1 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परिषद से सबधित सभी मामले।

2. राष्ट्रीय अनुसधान विकास निगम से सबधित सभी मामले।

3 सेंट्रल इलक्ट्रानिक्स लि से सबधित सभी मामले।

4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (एन आई एस. एस ए टी)

5 अनुसधान और विकास इकाइयों का पजीकरण और उन्हे मान्यता प्रदान करना।

6 यू एन सी टी ए डी एड डब्ल्यू आई पी ओ से सबधित मामले।

7 विदेशी सहयोग के बारे मे नैशनल रजिस्टर।

8 भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों की अस्थायी बस्ती के लिए एक पूल के सृजन से सबधित मामले।

9 नैशनल रजिस्टर आफ साइटिफिक मैनपावर।

इस्पात और खान मंत्रालय

(क) इस्पात विभाग

1 पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरो मे इस्पात सयंत्र, रिरोलिंग उद्योग तथा लौह-मिश्रित धातुयें, जिनके अन्तर्गत सभी भावी विकास आता है।

2 पब्लिक सैक्टर मे लौह खानों का विकास।

3 अन्य अयस्क खानों तथा कोयला प्रक्षालित्रों का विकास और इस्पात सयत्रों के लिए खनिज का प्रसस्करण।

4 लोहा तथा इस्पात तथा लोहा मिश्रित धातुओं का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात और निर्यात।

5 सभी लोहा और इस्पात उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण और उनकी सहायता।

6 इस्पात उद्योग मे प्रयुक्त लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूनाश्म सिलमेनाइट, कायनाइट, और अन्य खनिजो और अन्य मिश्रित धातुओं का उत्पादन, प्रदाय, कीमते लगाना और वितरण, जिसमे खनन-पट्टों का अनुदान या उससे सबधित बात नही है।

7 स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी (कम्पनियां)।

8. निम्नलिखित उपक्रमो से सबधित मामले अर्थात् —

(1) दि मैसूर आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड।

(2) दि बानानी आर्स (इडिया) लिमिटेड।

(3) दि मगनीज ओर (इडिया) लिमिटेड।

(4) दि मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन।

9 जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आवंटित किए गए हैं।

इनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन अन्य पब्लिक सैक्टर उद्यम या उपक्रम ।

10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

ख. खान विभाग

1. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा अन्य संघ विधियों के अधीन खानों तथा कोयले और लिग्नाइट तथा भरणार्थ बालू से भिन्न, खनिजों के विकास का विनियमन, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न और इनके बारे में अनुपूरक कार्य हैं ।

2. सभी ऐसे अन्य धातुयें और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य विभाग को आवंटित नहीं हैं, जैसे अल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरे, मीका और निकल ।

3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।

4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।

5. भारतीय खान ब्यूरो ।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

7. दि सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।

8. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट आवंटित किए गए हैं, उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन पब्लिक सैक्टर उद्यम और उपक्रम ।

9 मैटलर्जिकल ग्रेड सिलिकोन ।

परिवहन मंत्रालय

क. रेल विभाग

1. सरकारी रेलें—सब विषय, जिनके अन्तर्गत वे विषय भी हैं, जो रेल राजस्व और व्यय से संबंधित हैं किन्तु जिन में रेल निरीक्षणालय और रेल लेखा परीक्षा नहीं आते हैं ।

2. गैर-सरकारी रेलें—वहां तक वे विषय जहां तक उनके लिए भारतीय रेल अधिनियम में या सरकार और इन रेलों के बीच संविदाओं में या किन्हीं अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षितता, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ों, इत्यादि विषयक विनियमों में, यह उपबन्ध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) करेगा ।

3. रेल सम्पत्ति के भूषण से संबंधित अपराधों, सरकारी रेलों और गैर सरकारी रेलों में अपराधों से संबंधित अपराधों से भिन्न, की बाबत संसदीय प्रश्न ।

ख. नागर विमानन विभाग

1. वायुयान और विमान नौचालन; हवाई अड्डा की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई अड्डों का, विमान नौचालन से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय, विनियमन और संगठन ।

2. वायुयान की सुरक्षा के लिए बीकन तथा अन्य व्यवस्थाएं ।

3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन ।

4. इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन (आई.सी.ए.ओ.) ।

5. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.) ।

6. कामनवैल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी.ए.टी.सी.) ।

7. कामनवैल्थ ऐडवाइजरी एरोनाटीकल रिसर्च काउंसिल ।

8. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम ।

9 भारतीय होटल निगम ।

10. मुख्य आयुक्त रेल सुरक्षा

11. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ।

12. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध ।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीस किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं आती है ।

15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।

ग. जल भू-तल परिवहन विभाग

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची-I के अंतर्गत हैं :

1. समुद्रीय नौवहन और नौपरिवहन, वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

2. दीपस्तम्भ और दीपपोत ।

3. महापत्तन अर्थात् कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, और कांडला के पत्तन ।

4. मोटर गाड़ियों का अनिवार्य बीमा ।

5. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का प्रशासन ।

6. राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

7. नौवहन और नौपरिवहन जिसके अंतर्गत ऐसे अन्तर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है जो संसद् द्वारा विधि द्वारा यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किए गए हैं; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम ।

8. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग ।

9. मत्स्य ग्रहण नौका उद्योग ।

10. प्लवमान-यान उद्योग ।

II. संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

11. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग ।

12. नगरपालिका सीमाओं के भीतर ट्रामवे ।

13. अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात ।

14. मोटर यान अधिनियम, 1939 का प्रशासन और मोटर यानों पर कराधान ।

15. यंत्रनोदित गाड़ियों से भिन्न गाड़ियां ।

III. अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप, द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

16. मुख्यभूमि और द्वीपों के बीच नौवहन सेवाओं का संगठन और अनुरक्षण ।

IV. अन्य विषय जो पूर्ववर्ती उप-शीर्षकों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं :

17. केन्द्रीय सड़क निधि ।

18. सड़क सड़कों से संबद्ध समन्वय और अनुसंधान ।

19. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म जिनके अंतर्गत सिक्किम तथा संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 के

[illegible] ... [illegible] विनिर्दिष्ट [illegible] [illegible] [illegible] है।

20 मास्टर [illegible]।

21 अन्तर्देशीय जलमार्गों पर [illegible] यान [illegible] के नौवहन और नौपरिवहन तथा अन्तर्देशीय [illegible] पर यात्रियों और माल के वहन के सम्बन्ध में [illegible]।

22 [illegible] अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन की योजना।

23 सड़क परिवहन और अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिताओं का उन्नयन।

24 [illegible] ग्राम नगर का विकास।

25 लघु पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में विधान और उसका समन्वय।

26 उन स्टाफ कारों के सिवाय जो रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के नियन्त्रण और प्रयोग में हैं केन्द्रीय सरकार की स्टाफ कारों के सर्विस और मरम्मत के लिए केन्द्रित व्यवस्थायें।

27 पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 का प्रशासन और पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न तद्धीन निर्मित स्कीम।

शहरी विकास मंत्रालय

1 निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्ति चाहे भूमि हो अथवा भवन :—

(i) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के हों,

(ii) ऐसे भवन अथवा भूमि जिनके निर्माण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल निर्माण बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई हो,

(iii) ऐसे भूमि अथवा भवन जिनका नियन्त्रण उनके निर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो।

2 सब सरकारी सिविल सकर्म और भवन जिनके अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्रों के सकर्म और भवन आते हैं किन्तु सड़कें और रेल, डाक तार और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निष्पादित सकर्म या उनके भवन नहीं हैं।

3 उद्यान कृषि संक्रियायें।

4 केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन।

5 इस मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सरकारी होटलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन। महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन।

6 विज्ञान भवन में जगह का आवंटन।

7 स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का प्रशासन।

8 दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियन्त्रण) अधिनियम, 1949 का प्रशासन।

9 लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971।

10 चार पुनर्वास बाजारों का प्रशासन, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट।

11 आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार किया जाना (इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास की नोडल जिम्मेदारी नहीं है)। योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन। निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण। निर्माण लागत घटाने के साधारण उपाय।

12 मानव बस्ती, जिसमें यूनाइटेड नेशन्स कमीशन फार ह्यूमन सेटलमेंट तथा आवास और मानव बस्तियों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता भी है।

13 भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अन्तर्गत शासकीय प्रकाशन भी है।

14 नगर विकास जिसके अन्तर्गत गन्दी बस्ती सफाई स्कीम तथा झुग्गी और झोपड़ी हटाने की स्कीम भी है। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

15 नगर और ग्राम योजना, महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

16 दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और व्ययन की स्कीम।

17 दिल्ली विकास प्राधिकरण।

18 दिल्ली का मास्टर प्लान, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय।

19 स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण।

20 दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 का प्रशासन।

21 दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958।

22 सरकारी बस्तियों का विकास।

23 स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों का (जिनके अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है), नगर पालिकाओं का (जिनके अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है), जिला बोर्डों का और अन्य स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों का (जिनके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थायें नहीं आती हैं) गठन और उनकी शक्तियां।

24 दिल्ली नगर निगम का जल-प्रदाय और मल-व्ययन उपक्रम।

25 जल प्रदाय, मल-व्ययन और जल निकास (ग्रामीण जल प्रदाय को छोड़कर, जो ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है)। पेय जल आपूर्ति और सफाई का प्रबन्ध। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

26 स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की केन्द्रीय परिषद्।

27 दिल्ली में सरकारी भूमियों का आवंटन।

28 इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

29 ऐसी परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतः आवंटित हैं, इस सूची में सम्मिलित किये विषयों के अन्तर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनायें।

30 शहरी भूमि (सीमा बन्दी और विनियमन) अधिनियम, 1976।

31 दिल्ली नगरीय कला आयोग, नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973।

32 राजघाट समाधि समिति का प्रशासन।

जल संसाधन मंत्रालय

1 लघु और आपातकालिक सिंचाई कार्यों, नलकूपों, और भौम जल अन्वेषण सहित सिंचाई, कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, जलग्रसनता-रोध, जल निकास और समुद्री कटाव रोध से संबंधित सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और सभी मामले।

2 अन्तराज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास।

3 नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 का प्रशासन।

4 अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 का प्रशासन।

5 केन्द्रीय जल आयोग।

6 केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड।

7 फरक्का बराज परियोजना।

8 सिंधु जल संधि, 1960।

9 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग और सम्मेलन।

10. संघ राज्य क्षेत्रों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण स्कीमें।

11. जल और विद्युत परामर्श सेवा (ज. वि. प. से.)

कल्याण मंत्रालय

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत आते हैं:--

1 दान सहायता आपूर्तियों/वस्तुओं की शुल्क-मुक्त प्राप्ति हेतु भारत-संयुक्त राज्य, भारत, यूनाइटेड किंगडम, भारत-जर्मन, भारत-स्विटजरलैंड और भारत-स्वीडन करारों का संचालन और उनके अन्तर्गत आने वाली आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

भाग-II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत आता है (केवल विधान की बाबत):--

2 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा उस सीमा के सिवाय जितना कि किसी अन्य विभाग को आवंटित कर दी गई हो।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अन्तर्गत आते हैं जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं:--

3. निशक्त और अनियोज्य व्यक्तियों की सहायता और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा से संबंधित उपाय, उस सीमा तक छोड़कर जहां तक वे किसी अन्य विभाग को आवंटित हैं।

भाग-IV

साधारण और पारिणामिक:--

4 समाज कल्याण, समाज कल्याण योजना परियोजना बनाना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।

5. सामाजिक रक्षा से संबद्ध मामलों पर अन्य देशों के साथ अभिसमय।

6. उपेक्षित बालकों को, जिनमें अनाथ बालक सम्मिलित हैं, देखभाल और विकास के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवायें तथा बालवाड़ियां तथा शिशुसदन।

7. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बालकों की आपात निधि (यूनिसेफ)।

8. शारीरिक और मानसिक रूप से निशक्तों की शिक्षा प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण।

9. शारीरिक रूप से निशक्त और मंदितमना लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान।

10. राष्ट्रीय अन्ध केन्द्र जिस में केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय, देहरादून वयस्क बधिर प्रशिक्षण केन्द्र तथा आंशिक रूप से बधिर बालकों का विद्यालय, हैदराबाद; अस्थिविकलांग बालकों का आदर्श विद्यालय, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय संस्थान।

11. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।

12. सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

13. भिक्षावृत्ति, किशोर अपराधिता, आवारगी और कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर के अन्य कार्यक्रम।

14. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा।

15. सामाजिक सुरक्षा के सभी मामलों पर अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, सूचना का आदान-प्रदान, और तकनीकी मार्गदर्शन, जिसमें सुरक्षात्मक सेवायें सम्मिलित हैं।

16. मद्यनिषेध संबंधी सभी मामले।

17. मादक द्रव्य व्यसन के शिक्षा और समाज कल्याण से संबंधित पहलू।

18. इस विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास।

19. इस विभाग को आवंटित विषयों के संदर्भ में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास।

20. राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा शिशु विकास संस्थान।

21. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान।

22. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया कानपुर (अलिमको)

23. केयर (कोआपरेटिव फार अमेरिकन रेमिटेन्सिज टु यूरोप) की गतिविधियों का समन्वयन।

24 सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संगम या अर्धसरकारी कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

25. निम्नलिखित अधिनियम का प्रशासन.—

(क) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958; और

(ख) बालक अधिनियम, 1960।

26. अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, विमुक्त यायावर और अर्धयायावर जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग, जिसके अन्तर्गत ऐसी जातियों, जनजातियों और वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां भी हैं।

27 (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी का दिए गए रक्षोपाय, आदि, तथा

(ii) विशेषाधिकारी की रिपोर्ट।

28. किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों का रचना और निष्पादन को बाबत निदेश जारी करना।

29. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास।

नोट--अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए कल्याण मंत्रालय नोडीय मंत्रालय होगा, इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास स्कीमों के संबंध में नीति, एवं योजना, परिवीक्षण पुनर्विलोकन इत्यादि एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य-सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की रहेगी। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने क्षेत्र के लिए नोडीय मंत्रालय अथवा विभाग होगा।

30 [illegible] गए।

31 (i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए [illegible] संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 20 के साथ [illegible] सारणी के [illegible] विनिर्दिष्ट जनजाति [illegible] के लिए [illegible] राज्यपालों द्वारा विरचित विनियमन।

32 (i) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय में रिपोर्ट करने के लिए आयोग, तथा

(ii) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों की रचना और निष्पादन की बाबत निदेश जारी करना।

33 (i) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, पदत्याग आदि, और

(ii) विशेष अधिकारी की रिपोर्ट।

परमाणु ऊर्जा विभाग

1 भारत मे परमाणु ऊर्जा संबंधी सब मामले उदाहरणार्थ

(i) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 का प्रशासन, जिसके अंतर्गत रेडियो एक्टिव पदार्थों का नियंत्रण और उनके कब्जे, उपयोग, व्ययन और परिवहन का विनियमन है,

(ii) अनुसंधान, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में मौलिक अनुसंधान और कृषि, जीव विज्ञान, उद्योग और आयुर्विज्ञान में उसके उपयोगों का विकास है

(iii) परमाणु खनिज-सर्वेक्षण पूर्वेक्षण, बरमाना, विकास, खनन, अर्जन और नियंत्रण,

(iv) परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग से संबंधित सब क्रिया-कलाप जिनके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :—

(क) परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अधीन विहित पदार्थों और खनिजों से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग, उनके उत्पाद और उपोत्पाद,

(ख) परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली का उत्पादन,

(ग) अनुसंधान, विकास और विद्युत रिएक्टरों का डिजाइन, सन्निर्माण और प्रचालन,

(घ) निम्नलिखित के लिए विविधरूपण सहित सुविधाओं और संयंत्रों की स्थापना और संनियम :—

(i) परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान और उसके उपयोग के लिए तथा न्यूक्लीय विज्ञानों में अनुसंधान के लिए अपेक्षित सामग्री और उपस्कर के उत्पादन के लिए, और

(ii) समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए, जिसमें मुख्य या गौण उत्पाद के रूप में भारी पानी के उत्पादन सहित उपोत्पाद के रूप में समस्थानिकों के पृथक्करण के लिए अनुकूलनीय संयंत्र शामिल हैं।

(v) विहित या रेडियोऐक्टिव पदार्थों से संबंधित राज्य उपक्रमों का पर्यवेक्षण जिनके अंतर्गत निम्नलिखित है :—

(क) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड।

(ख) नंगल फर्टिलाइजर लि., जहां तक भारी पानी के [illegible] का [illegible] है।

(ग) [illegible] (इं [illegible])।

(घ) [illegible])।

2 न्यूक्लीय विज्ञानों के [illegible] और परमाणु ऊर्जा [illegible] कार्यक्रम के [illegible] में प्रशिक्षित [illegible] के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है :—

(i) वैज्ञानिक [illegible] में लगी हुई संस्थाओं और संगमों को और न्यूक्लीय विज्ञानों में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता, और

(ii) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विषयों में छात्रवृत्तियों का प्रदान और वृत्तियों का, जिनके अंतर्गत न्यूक्लीय विज्ञानों के अध्ययनार्थ विदेश जाने वाले विद्यार्थी भी हैं अन्य रूप में वित्तीय सहायता।

3 परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध जिनके अंतर्गत निम्नलिखित है :—

(i) संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ प्राप्त अभिकरणों, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण और अन्य देशों के साथ संबंधों में परमाणु ऊर्जा संबंधी मामले, और

(ii) विदेशी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आदि के साथ विदेशी अध्येतावृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र व्यवहार।

4 परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले।

5 परमाणु ऊर्जा विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

6 परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर का प्राप्त किया जाना।

7 परमाणु ऊर्जा विभाग के संबंध में वित्तीय मंजूरियां।

8 उच्चतर गणित की उन्नति से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) उच्च अध्ययन और अनुसंधान की प्रोन्नति और समन्वय संबंधी मामले,

(ii) उच्चतर गणित में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध जिनके अंतर्गत विशिष्टतः वे मामले हैं जो भारतीय राष्ट्रीय गणित समिति और अन्तर्राष्ट्रीय गणित संघ से सम्बद्ध है,

(iii) उच्चतर गणित की उन्नति में लगी हुई संस्थाओं और संगमों का अनुदान, और

(iv) उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियों का अनुदान और अन्य रूपों में वित्तीय सहायता।

9 टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई से संबंधित सभी मामले।

10 टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान से संबंधित सभी मामले।

11 साहा न्यूक्लीय भौतिकी संस्थान से संबंधित सभी मामले।

इलेक्ट्रानिकी विभाग

1 इलेक्ट्रानिक्स का विकास और उनके विभिन्न प्रयोगकर्त्ताओं में समन्वय।

2 विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

3 इलेक्ट्रानिक प्रक्रमण उपस्कर (संगणक) से संबंधित आवश्यकताओं का समन्वय।

4. धातुकर्मीय ग्रेड सिलिकोन के अलावा सिलिकोन से संबंधित सभी प्रौद्योगिकी।

5. नैशनल सिलिकोन फेसिलिटी।

6. संगणक आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी और प्रक्रमण संबंधी सभी मामले, जिनके अंतर्गत यंत्र-संबंधी सामग्री (हार्ड-वेयर) सामग्री यंत्रेतर और (सॉफ्टवेयर) आती है, प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों, जैसे आई. एफ. आई. पी., आई. बी० आई. सी. सी. से सुसंगत मामले।

महासागर विकास विभाग

1. महासागर से संबंधित ऐसे मामले जो किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को विशिष्टतया आवंटित न किए हों।

2. महासागर से संबंधित नीतियों, समन्वय, विनियमन उपाय और विकास सहित, तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे :—

(i) अनुसंधान (मौलिक अनुसंधान सहित) और उससे संबंधित उपयोगों का विकास,

(ii) प्रौद्योगिकीय विकास,

(iii) निर्जीव और सजीव समुद्री साधनों की उपलभ्यता का पता लगाने और उनका मानचित्रांकन करने के लिए सर्वेक्षण,

(iv) परिरक्षण, संधारण और संरक्षण,

(v) समुचित कौशल और प्रशिक्षित वर्ग का विकास,

(vi) सहयोग, तकनीकी सहयोग, सहित, और

(vii) उपर्युक्त से संबंधित कानून।

3 खुले सागर में समुद्री पर्यावरण।

4. महासागर आयोग।

5. सर्वभारतीय समुद्र विज्ञान संगम।

6. महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिकरण अथवा बोर्ड।

अन्तरिक्ष विभाग

1. अन्तरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में अनुसंधान (जिसके अंतर्गत मौलिक गवेषणा भी है) तथा उसके उपयोगों का विकास;

(ii) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले;

(iii) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले;

(iv) बाह्य अंतरिक्ष के विकास और उसके उपयोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी आते हैं।

(क) बाह्य अन्तरिक्ष के उपयोग से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग;

(ख) राकेटों और उपग्रहों का डिजाइन, विनिर्माण और उनका छोड़ा जाना; और

(ग) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित कार्य।

2. अंतरिक्ष विज्ञान और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और [illegible] को आगे बढ़ाने के लिए और अन्तरिक्ष कार्यक्रम के विकास के [illegible] प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता [illegible] निम्नलिखित भी है :—

(i) वैज्ञानिक कार्य में लगी संस्थाओं और संगमों को और विश्वविद्यालय को अंतरिक्ष विज्ञान में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहायता, और

(ii) अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थाओं में छात्रों का छात्रवृत्तियां देना और व्यक्तियों को जिनमें विदेश जाने वाले व्यक्ति भी हैं अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देना।

3. अन्तरिक्ष में संबंधित मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ अभिकरणों में अंतरिक्ष से संबंधित मामले और अन्य देशों से संबंध; और

(ii) विदेशी छात्रवृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से पत्र-व्यवहार।

4. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

5. विभाग के बजट के नामे डालने योग्य कार्यों का निष्पादन और भूमि की खरीद।

6. विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर प्राप्त करना।

7. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरी।

8. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद से संबंधित सभी मामले।

9. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण (एन० आर० एस० ए०) से संबंधित सभी मामले।

10. राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदा प्रबन्ध प्रणाली से संबंधित सभी विषय जिसके अन्तर्गत सुदूर सुग्राह्यता पर मुख्य रूप से आधारित समेकित आंकड़ों की तैयारी और ऐसी जानकारी के विश्लेषण और प्रसारण में सहायता भी है।

मंत्रिमंडल सचिवालय

1. मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए अनुसचिवीय सहायता।

2. कामकाज के नियम।

राष्ट्रपति सचिवालय

1. राष्ट्रपति के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना।

प्रधान मंत्री कार्यालय

1. प्रधान मंत्री के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना।

योजना आयोग

1. तकनीकी कार्मिक सहित देश के भौतिक, पूंजी संबंधी और मानव साधनों का निर्धारण तथा जो संसाधन कम पाए जाएं उनकी वृद्धि के लिए प्रस्थापनाओं का तैयार किया जाना।

2. देश के साधनों के अधिकाधिक प्रभावशाली और संतुलित उपयोग के लिए योजनाओं का तैयार किया जाना।

3. उन प्रक्रमों का परिनिश्चय करना जिनमें योजना पूर्विकताओं के अवधारण पर कार्यान्वित की जानी चाहिए और हर एक प्रक्रम की पूर्ति के लिए साधनों का आवंटन।

4. योजना के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए जिस प्रकार का तंत्र आवश्यक है उसका अवधारण करना।

5. योजना के हर एक प्रक्रम के निष्पादन में हुई प्रगति को समय-समय पर आंकना।

6. राष्ट्रीय विकास से जन सहयोग।

7. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

8. परिप्रेक्षी।

9. जनशक्ति निदेशालय।

टिप्पण — योजना आयोग, मोटे तौर पर, योजना तथा योजना संगठन से संबंध रखने वाले तकनीकी प्रश्नों से संबद्ध रहेगा। योजना में सम्मिलित विनिर्दिष्ट स्कीमों की नीति और ब्यौरे ऐसे मामले हैं जो केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों में व्यवहृत किए जाते हैं।

(ज़ैल सिंह)
राष्ट्रपति

[74/2/1/85-मंत्रि]
एस० आर० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1985

S.O. 696(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Seventy-fourth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, for the Schedules the following Schedules shall be substituted, namely :—

"THE FIRST SCHEDULE

(Rule 2)

MINISTRIES, DEPARTMENTS, SECRETARIATS AND OFFICES

(MANTRALAYA, VIBHAG, SACHIVALAYA TATHA KARYALAYA)

1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya) :

(i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vibhag).

(ii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).

(iii) Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag).

(iv) Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag).

2. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya) :

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).

(ii) Department of Textiles (Vastra Vibhag).

(iii) Department of Supply (Poorti Vibhag).

3. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya) :

(i) Department of Posts (Dak Vibhag).

(ii) Department of Tele-communications (Doorsanchar Vibhag).

4. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) :

(i) Department of Defence (Raksha Vibhag).

(ii) Department of Defence Production and Supplies (Raksha Utpadan aur Poorti Vibhag).

(iii) Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan aur Vikas Vibhag).

5. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya) :

(i) Department of Coal (Koyala Vibhag).

(ii) Department of Power (Vidyut Vibhag).

(iii) Department of Non-conventional Energy Sources (Gair-Paramparik Oorja Srota Vibhag).

6. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya):

Department of Environment, Forests and Wildlife. (Paryavaran, Van Tatha Vanya Jeev Vibhag).

7. Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

8. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) :

(i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag).

(ii) Department of Expenditure (Vyaya Vibhag).

(iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag).

9. Ministry of Food and Civil Supplies (Khadya aur Nagrik Poorti Mantralaya) :

(i) Department of Food (Khadya Vibhag).

(ii) Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag).

10. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya) :

(i) Department of Health (Swasthya Vibhag).

(ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalyan Vibhag).

11. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) :

(i) Department of Internal Security (Antrik Surksha Vibhag).

(ii) Department of States (Rajya Vibhag).

(iii) Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag).

(iv) Department of Home (Grih Vibhag).

12. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya) :

(i) Department of Education (Shiksha Vibhag).

(ii) Department of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakaram aur Khel Vibhag).

(iii) Department of Women's Welfare (Mahila Kalyan Vibhag).

(iv) Department of Arts (Kala Vibhag).

(v) Department of Culture (Sanskriti Vibhag).

13 Ministry of Industry (Udyog Mantralaya) :

(i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).

(ii) Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag).

(iii) Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan aur Petro-Rasayan Vibhag).

(iv) Department of Public Enterprises (Sarkari Udyam Vibhag).

14. Ministry of Information and Broadcasting Soochana aur Prasaran Mantralaya).

15. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).

16. Ministry of Law and Justice (Vidhi aur Nyaya Mantralaya) :

(i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag).

(ii) Legislative Department (Vidhayee Vibhag).

(iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag).

17. Ministry of Parliamentary Affairs and Tourism Sansadiya Karya aur Paryatan Mantralaya) :

(i) Department of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Vibhag).

(ii) Department of Tourism (Paryatan Vibhag).

18. Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension (Karmik aur Prashikshan, Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya) :

(i) Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag).

(ii) Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Vibhag).

(iii) Department of Pension and Pensioners' Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag).

19. Ministry of Petroleum and Natural Gas (Petroleum aur Prakritik Gas Mantralaya).

20. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya) :

(i) Department of Planning (Yojana Vibhag).

(ii) Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag).

21. Ministry of Programme Implementation (Karyakram Karyanvayan Mantralaya).

22. Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Mantralaya) :

(i) Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag).

(ii) Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).

23. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya) :

(i) Department of Steel (Ispat Vibhag).

(ii) Department of Mines (Khan Vibhag).

24. Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya):

(i) Department of Railways (Rail Vibhag).

(ii) Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag).

(iii) Department of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Vibhag).

25. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya).

26. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya).

27. Ministry of Welfare (Kalyan Mantralaya).

28. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

29. Department of Electronics (Electroniki Vibhag).

30. Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag).

31. Department of Space (Antariksh Vibhag).

32. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya).

33. President's Secretariat (Rashtrapati Sachivalaya).

34. Prime Minister's Office (Pradhan Mantri Karyalaya).

35. Planning Commission (Yojana Ayog).

THE SECOND SCHEDULE

(Rule 3)

DISTRIBUTION OF SUBJECTS AMONG THE DEPARTMENTS (VIBHAG)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(KRISHI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)

Part I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :

1. Liaison with international Agri-Organisations like Food and Agriculture Organisation of the United

Nations, handling of CARE goods concerning agriculture etc.

2. Participation in international conferences, associations and other bodies concerning agriculture and implementation of decisions made thereat.

3. Convention on Locust Control.

4. Plant Quarantine.

5. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest; as far as these relate to :—

(a) Processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, infant-milk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Meat and Meat products;

(b) Development of agricultural industries including machinery, fertilizer, seeds and cattle-feed with the limitation that in regard to the development of agricultural industries including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture (Krishi Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets,

(c) Shellac Industry;

(d) Processing of fish (including canning and freezing);

(e) Establishment and servicing of Development Council for fish processing industry; and

(f) Technical assistance and advice to fish processing industry.

6. Fishing and fisheries inland and marine.

7. Fishing and fisheries beyond territorial waters (including Deep-Sea Fishing Station, Bombay).

8. Agricultural and Livestock Census.

9. All India Service—Indian Agricultural Service.

10. Sugarcane Development Scheme.

11. Matters relating to damage to crops and loss of live-stock due to natural calamities.

12. Co-ordination of relief measures necessitated by natural calamities, other than epidemics.

13. Matters relating to loss of human life and property due to all natural calamities, other than epidemics.

14. Indian People's Famine Trust.

Part II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :—

15. Adulteration of agricultural products other than foodstuffs.

16. Economic Planning (Agricultural Economics and Statistics).

17. Professions (Veterinary Practice).

18. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting animals or plants including locusts.

19. Price control of agricultural commodities except foodgrains, sugar, vanaspati, oil seeds, vegetable oils, cakes and fats, jute, cotton and Tea.

20. Production of Oil Seeds.

21. Pattern of financial assistance to various State Undertaking Dairy Development Scheme either through their own agencies or through the Cooperative Unions.

22. Operation Flood I and II, and all matters pertaining thereto.

23. Prevention of Cruelty to Animals.

Part III

For the Union Territories the subjects mentioned in Parts I and II above, so far as they exist in regard to these Territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

24. Agriculture (other than agricultural education and research), protection against pests and prevention of plant diseases.

25. Preservation, protection and improvement of stocks and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.

26. Courts of Wards.

27. Co-operation in agricultural sector, agricultural credit and indebtedness.

28. General Policy relating to the marketing of agricultural produce, including pricing, exports etc.

29. Insurance (Crop and Cattle Insurance).

30. General Policy in the field of Co-operation and Co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in the respective fields).

31. Matters relating to National Co-operative Organisation.

32. National Co-operative Development Corporation.

33. Incorporation, regulation and winding up of Co-operative Societies with objects not confined to one State.

34. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).

Part IV

General and Consequential :—

35. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and international organisations in so far as agricultural and allied subjects are concerned, including all matters relating to assistance afforded by India to foreign countries in the field of agriculture and

allied subjects but excluding such matters in the field of agricultural research and education and allied subjects as are specifically assigned to the Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).

36. Agriculture and horticulture.

37. Bio-aesthetic Planning.

38. Animal Husbandry including—(a) pounds and cattle trespass; (b) cattle utilisation and slaughter.

39. Agricultural Production—Grow more food and fodder.

40. Land Reclamation.

41. National Land Use and Conservation Board.

42. Development of Cotton and Jute.

43. Soil Survey in connection with development programmes.

44. Financial assistance to State Soil Conservation and Forestry Development Schemes.

45. Fertilisers and Manures (Formulation of Demands, fixation of targets and distribution of fertilisers).

46. Administration of (a) Fertiliser (Control) Order, 1957; (b) Fertiliser (Movement Control) Order, 1960.

47. Administration of Insecticides Act, 1968.

48. Agricultural Implements and Machinery.

49. Organisation and development of Extension Education and Training in the Country.

50. Intensive Agricultural District Programme.

51. Intensive Agricultural Areas.

52. Crop campaigns, crop competitions and farmers organisations.

53. Schemes received from States and Union Territories for the settlement of landless agricultural labourers.

54. Mechanised Farms.

55. All Attached and Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

56. Public Sector Projects falling under the subjects in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.

57. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

58. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Department.

59. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.

B. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION (KRISHI ANUSANDHAN AUR SHIKSHA VIBHAG)

Part I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

1. Relations with foreign and international agricultural research and educational institutions and organisations, including participation in international conferences, associations and other bodies dealing with agricultural research and education and follow up of decisions at such international conferences, etc.

2. Fundamental, applied and operational research and higher education including coordination of such research and higher education in agriculture, animal husbandry, dairying and fisheries, including agricultural statistics, economics and marketing.

3. Coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions in so far as it relates to food and agriculture including animal husbandry dairying and fisheries.

4. Cesses for financing to the Indian Council of Agricultural Research, and the Commodity Research programmes other than those relating to tea, coffee and rubber.

5. Sugarcane research.

Part II

For Union Territories the subjects mentioned in Part I above, so far as they exist in regard to these Territories and in addition the following subject which falls within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

6. Agricultural Education and Research.

Part III

General and consequential :—

7. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and International Organisations in so far as agricultural research and education and allied subjects are concerned, including all matters relating to assistance afforded by India to foreign countries in the field of agricultural research and education and allied subjects.

8. Plant introduction and exploration.

9. All India Soil and Land Use Survey relating to research, training co-relation, classification, soil mapping and interpretation.

10. Financial assistance to State Governments and Agricultural Universities in respect of agricultural research and educational schemes and programmes.

11. National Demonstrations.

12. Indian Council of Agricultural Research and its constituent Research Institutes, Stations, Laboratories and Centres.

13. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

14. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Department.

15. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.

C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(GRAMIN VIKAS VIBHAG)

1. All matters relating to panchayati Raj.

2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holdings and other related matters.

3. Administration of the Land Acquisition Act, 1894, and other matters relating to acquisition of land for purposes of the Union.

4. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

5. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans, excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.

6. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey for revenue purposes, alienation of revenues.

7. Duties in respect of succession to agricultural land.

8. Nodal responsibility for all matters relating to the minimum Needs Programme in the rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification, housing for landless rural labour and the nutrition programmes.

9. Rural Water Supply.

10. (a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto;

(b) Implementation of the specific programmes of rural employment such as National Rural Employment Programme (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and other programmes evolved from time to time;

(c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.

11. Intergrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programmes, etc.

12. Desert Development Programmes.

13. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development.

14. Warehousing in rural areas, including rural godowns.

15. Town and country planning so far as it relates to rural areas.

16. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural produce (Grading and Marking) Act, 1937.

17. Cooperatives relatable to the items in this list.

18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

19. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.

20. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO).

D. DEPARTMENT OF FERTILIZERS

(URVARAK VIBHAG)

1. Production of Fertilizers.

2. Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited.

3. Public sector projects concerned with the subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

4. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

MINISTRY OF COMMERCE

(VANIJYA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF COMMERCE

(VANIJYA VIBHAG)

I. General International Trade Policy.

1. International Commercial Policy.

2. International Agencies connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ESCAP, ECA, ECLA, EEC, EFTA, GATT).

3. International Commodity Agreements other than agreements relating to wheat

4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

II. Foreign Trade

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations, and agreements (including General Agreement on Tariffs and Trade and Common Wealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion and protection of interests of Indian traders abroad.

6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to :

(i) import of feature films;

(ii) export of Indian films-both feature length and shorts; and

(iii) import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry

7. Chief Controller of Imports and Exports

III. State Trading

8. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose, including :

(i) State Trading Corporation and its subsidiaries excluding Handicrafts and Handlooms Export Corporation and Central Cottage Industries Corporation.

(ii) Minerals and Metals Trading Corporation and its Subsidiaries.

IV. Trading with the enemy; enemy property

9. Trading with the enemy; enemy firms and enemy property; reparations (other than German industrial equipment); Controller of Enemy Trading; Controller of Enemy firms; Custodian of Enemy Property for India.

10. International Customs Tariff Bureau including residuary work relating to Tariff Commission.

11. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufactures including the following :

(a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937;

(b) marine products;

(c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);

(d) fuels, minerals and mineral products;

(e) specific export-oriented products (including plantation crops etc. but excluding jute products and handicrafts) which are directly the charge of this Department.

12. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including :

(a) Export Credit and Guarantee Corporation.

(b) Export Inspection Council.

(c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

(d) Trade Fair Authority of India

(e) Free Trade-Zones.

13. Projects and programmes for stimulating and assisting the export efforts.

14. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of Plantation crops, tea, coffee, rubber and Cardamom.

15. Processing and distribution for domestic consumption and exports of Instant tea and Instant Coffee.

16. (i) Tea Trading Corporation of India.

(ii) Tea Board.

(iii) Coffee Board.

(iv) Rubber Board.

(v) Cardamom Board.

(vi) Tobacco Board.

B. DEPARTMENT OF SUPPLY

(POORTI VIBHAG)

1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than items the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

2. Disposal of surplus stores.

3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Unit and Directorate General, Ship Repairs.

4. Administration of—

(a) Directorate General of Supplies and Disposals;

(b) Office of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi;

(c) National Test House, Alipore, Calcutta.

C. DEPARTMENT OF TEXTILES

(VASTRA VIBHAG)

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of jute, jute products, handicrafts and all textiles and woollens including handlooms, powerlooms, ready made garments and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyster, acrylic, etc.).

2. Textiles Commissioner.

3. Jute Commissioner.

4. Jute Corporation of India Limited.

5. Cotton Corporation of India Limited.

6. All India Handicrafts Board.

7. All India Handlooms Board.

8. The National Textile Corporation Limited.

9. Sericulture.

10. Central Silk Board.

11. Handloom Development Commissioner.

12. Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad.

13. Bombay Textile Research Association, Bombay.

14. The Silk and Art Silk Mills' Research Association, Bombay.

15. The South India Textile Research Association, Coimbatore.

16. Wool Research Association, Bombay.

17. Indian Jute Industries Research Association, Calcutta.

18. Northern India Textile Research Association, New Delhi.

19. Development and expansion of export production in relation to textiles, woollens, handlooms, ready-made garments silk and cellulosic fibres, jute and jute products and handicrafts.

20. Handicrafts and Handlooms Export Corporation and its subsidiary.

21. Textile Committees.

22. Commissioner of Payments

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(SANCHAR MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF POSTS

1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within the Department of posts with other countries.

2. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the Department of Posts.

3. Posts, including Post Office Savings Bank (Administration), Post Office Certificates (Administration) Post Office Life Insurance Fund (Administration) and Broadcast Receiver Licences.

4. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

5. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters in this list.

6. Fees in respect of any of the matters in this list but not including fees taken in any court.

B. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within the Department of Telecommunications with other countries.

2. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the telecommunications.

3. Telegraphs, including Telephones, Wireless and other like forms of communications.

4. Indian Telephone Industries, Bangalore and the Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.

5. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

6. Inquiries and statistics for the purpose of any other matter in this list.

7. Fees in respect of any of the matters in this list but not including fees taken in any court. ;

MINISTRY OF DEFENCE

(RAKSHA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)

1. Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution, and after its termination to effective demobilisation.

2. The Armed Forces of the Union, namely, Army, Navy and Air Force.

3. The Reserves of the Army, Navy and Air Force.

4. The Territorial Army and the Auxiliary Air Force.

5. The National Cadet Corps, the Auxiliary Cadet Corps and the Lok Sahayak Sena.

6. Works relating to Army, Navy, Air Force and Ordinance Factories.

7. Remounts, Veterinary and Farms Organisation.

8. Canteen Stores Department (India).

9. Civilian Services paid from Defence Estimates.

10. Hydrographic surveys and preparation of navigational charts.

11. Formation of Cantonments, delimitation/excision of Cantonment areas, local self-government in such areas, the constitution and powers within such areas of Cantonment Boards and authorities and the regulation of house accommodation (including the control of rents) in such areas.

12. Acquisition, requisitioning, custody and relinquishment of land and property for defence purposes. Eviction of unauthorised occupants from defence land and property.

13. Matters relating to ex-Servicemen including pensioners.

B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES (RAKSHA UTPADAN AUR POORTI VIBHAG)

1. Defence Production and Inspection Organisation.

2. Hindustan Aeronautics Ltd.

3. Bharat Electronics Ltd.

4. Mazagon Docks Ltd., Bombay.

5. Garden Reach Workshops Ltd., Calcutta.

6. Praga Tools Corporation Ltd., Hyderabad

7. Bharat Earth Movers Ltd.

8. All matters connected with Aeronautics [other than matters with which the Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag) is concerned and matters relating to aerodynamics with its aeronautical aspects connected with the development

rockets in the field of space research with which the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) is concerned] including .

(a) development of the aeronautics industry and coordination among users ,

(b) coordination of research and development in the field of aeronautics, including aircraft, missiles ; and

(c) financial assistance to academic institutions, research laboratories, and other agencies or bodies for furtherance of studies and research in aeronautics

9 Planning for substitution of import ; requirements of defence purposes, particularly in the fields of electronics, instrumentation, vehicles and ship-building, and the preparation of detailed schemes in this regard.

10. Implementation of such schemes through the utilisation of the industrial capacity in the country for research and development work and for manufacture.

2 DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT (RAKSHA ANUSANDHAN TATHA VIKAS VIBHAG)

1 Rendering advice to Raksha Mantri and to the three services and inter services organisations on all scientific aspects of Military operations, equipment and logistics.

2 Formulation of Research, Design and Development Plans on—

(a) Armaments

(b) Explosives

(c) Electronics

(d) Engineering

(e) Rockets and Missiles

(f) Vehicles

(g) Acronautics

(h) Naval Oceanography items

(i) Fire Research

(j) Other Machinery and Equipments used by the three services.

3. Administration of the Defence Research and Development Organisation including the various laboratories and Establishments in the Organisation

4. Administration of the Defence Research and Development Service Rules, 1978 and other Service Rules pertaining to the Defence Research and Development Organisation (DRDO)

5 Defence Research and Development Council.

6 All matters relating to the scientific and technical personnel under the control of the Department

7 Financial assistance to academic institutions, research laboratories and other agencies or bodies for furtherance of studies and research leading to promotion of Defence Research and Development

8 Coordination of Scientific and Technological research and development work in the country with the work of Defence Research and Development Organisation

9 Liaison with Research and Development Organisation in foreign countries particularly on aspects related to the field of Defence.

MINISTRY OF ENERGY

(OORJA MANTRALAYA)

A DEPARTMENT OF COAL

(KOYALA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).

6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.

7. The Coal Mines Welfare Organisation

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947)

10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.

13. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States

B DEPARTMENT OF POWER

(VIDYUT VIBHAG)

1 General Policy in the field of energy

2 Research, development, technical assistance and all matters relating to Hydro-electric and thermal power.

3. Administration of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910)

4. Administration of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

5. Central Electricity Board.

6. Central Electricity Authority.

7. Power Schemes in Union Territories

8. The Damodar Valley Corporation.

9. National Projects Construction Corporation Limited.

10. Bhakra Management Board and Beas Project (except matters relating to irrigation).

11 (i) National Thermal Power Corporation.

(ii) National Hydro-electric Power Corporation.

(iii) Rural Electrification Corporation.

(iv) North Eastern Electric Power Corporation.

C DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(APARAMPARIK OORJA SROTA VIBHAG)

1. Research and development of bio-gas and programmes relating to bio-gas units.

2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE).

3. Solar Photovoltaic devices, including their development, production and applications.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILD LIFE

(PARYAVARAN, VAN AUR VANYA JEEV VIBHAG)

1. Environment and Ecology, including environment in coastal waters, in mangroves and coral reefs but excluding marine environment on the high seas.

2. Botanical Survey of India and Botanical Gardens.

3. Zoological Survey of India.

4. National Museum of Natural History.

5. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

6. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

7. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

8. Biosphere Reserve Programme.

9. National Forest Policy and Forestry Development in the country, including Social Forestry.

10. Forest Policy and all matters relating to forests and forest administration in so far as the Andaman and Nicobar Islands are concerned.

11. Indian Forest Service.

12. Wild life preservation and protection of wild birds and animals.

13 Fundamental research including co-ordination thereof and higher education in Forestry.

14. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park.

15. National Landuse and Wastelands Development Council.

16. National Wastelands Development Board

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)

1. External Affairs.

2. Relations with foreign States and Commonwealth countries.

3. Indian Council for Cultural Relations.

4. All matters affecting foreign diplomatic and Consular Officers and U.N. Officers and its specialized agencies in India.

5. Passports and visas excluding the grant of visas or endorsements for entry into India but including the grant of entry permits to South Africans of Non-Indian origin under the Reciprocity (South Africa) Rules, 1944 and the grant of entry visas for Ceylon nationals except missionaries.

6. Extradition of criminals and accused persons from India to foreign and Commonwealth countries and vice versa and general administration of the Indian Extradition Act, 1903 (XV of 1903), and extra-territoriality.

7. Preventive detention in India for reasons of State connected with External and Commonwealth affairs

8. Repatriation of the nationals of foreign and Commonwealth States from India and deportation and repatriation of Indian nationals of foreign and Commonwealth countries to India.

9. Immigration to India from the Union of South Africa or any other country to which the Reciprocity Act, 1943 (9 of 1943) may apply.

10. All Consular functions.

11. Travel arrangements for traders, muleteers porters and pilgrims from India to Tibet region of China and vice versa.

12. Liaison work connected with the cultural scholarships schemes of the Department of Education and nomination of private students of Indian origin domiciled abroad to reserve seats in medical and engineering colleges in India.

13. Political pensions paid to foreign refugees and descendants of those who rendered services abroad

14. Ceremonial matters relating to foreign and Commonwealth Visitors and Diplomatic and Consular Representatives.

15. Matters in respect of Pondicherry, Goa, Daman and Diu, involving relations with France and Portugal.

16. Relations with States in special Treaty relations with India such as Bhutan.

17. Himalayan expeditions, permission to foreigners to travel to Protected Areas other than those with which the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) is concerned.

18. Coordination and development measures in border areas.

19. United Nations, Specialised Agencies and other International Conferences.

20. Indian Foreign Service.

21. Indian Foreign Service Branch 'B'.

22. Foreign Service Training Institute.

23. External Publicity.

24. Political treaties, agreements and conventions with foreign and Commonwealth countries.

25. (a) Pilgrimages to places outside India, including the administration of the Port Haj Committee Act, 1932 and the Rules made thereunder and Indian Pilgrim Ships Rules, 1933, and pilgrim parties from India to shrines in Pakistan and vice versa.

(b) Protection and preservation of Non-Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of Pant-Mirza Agreement of 1955.

26. Abducted Persons (Recovery and Restoration).

27. Evacuation of Non-Muslims from Pakistan to India.

28. Protection of rights of the Minority Communities in India and Pakistan (except rehabilitation of Muslim migrants who have returned from East Pakistan to West Bengal under the Nehru-Liaquat Pact; rehabilitation of Muslims internally displaced in West Bengal at the time of communal disturbances on the partition of the country; and restoration of mosques and other places of religious worships to Muslims in West Bengal).

29. Non-Muslim migration from Pakistan and Muslim migration from India.

30. Recovery of advances granted to the evacuees from Burma, Malaya, etc., during the years 1942—47 and residual work relating to refugees given asylum in India during World War II.

31. Notification regarding commencement or cessation of a state of war.

32. Foreign Jurisdiction.

33. Piracies and crimes committed on the High Seas or in the air; offences against the law of nations committed on land or the High Seas or in the air.

34. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Ministry.

35. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry.

36. Offence against laws with respect to any of the subjects allotted to this Ministry.

37. Hospitality Grant of the Government of India.

38. Demarcation of the land frontier of India.

39. Border raids and incidents on the land borders of India.

40. Diplomatic flight clearances for non-scheduled chartered flights of foreign civil and military aircraft transiting India.

41. Matters relating to the Continental Shelf, Territorial Waters, Contiguous Zone and question of fishery rights in the High Seas and other questions of International Law.

42. Economic and technical assistance given by India to the Government of Nepal under the Colombo Plan for Co-operative Economic Development.

43. Purchase, inspection and shipment of Stores from abroad for the Central Government other than those the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

NOTE: Commonwealth countries should be taken to include British Colonies, Protectorates and Trust Territories.

MINISTRY OF FINANCE
(VITTA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)

I. Exchange Control

1. Administration of the Foreign Exchange Regulation Act, other than enforcement work mentioned under the Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag) in the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya).

2. Foreign exchange budgeting.

3. Control of the foreign exchange resources including scrutiny of proposals for imports from the foreign exchange point of view.

4. Foreign investment.

5. Import and export of gold and silver.

6. Approvals for commercial borrowing abroad.

II. Foreign aid for Economic Development

7. Technical and economic assistance received by India under.—

(a) The Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.

(b) The United States Point Four Programme.

(c) The United Nations Technical Assistance Administration Programmes.

(d) Ad hoc offers of Technical Assistance from various foreign countries.

8. Technical assistance given by India to the Member countries of the Colombo Plan under Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.

9. All matters relating to the Meetings of Colombo Plan Council and the Consultative Committee of the Plan and :—

(i) U.S. Technical Cooperation Mission.

(ii) U.S. Development Loan Fund.

(iii) Colombo Plan.

(iv) Norwegian Aid.

(v) Ford Foundation and Rockfeller Foundation.

(vi) Loans and Credit from foreign countries.

(vii) Loans and Credit from IBRD and IMF, Export-import Banks etc.

10. All matters relating to the India Consortium.

11. All matters relating to grant of loans and credits to other countries, except Nepal, Bhutan and Bangladesh.

12. Policy issues relating to the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) and contributions to the specialised Agencies of the United Nations and other U.N. Bodies.

13. All matters relating to the Foreign Volunteers Programmes in India, including the United Nations Volunteers (except outgoing volunteers under UNV).

14. Technical assistance received by India or given to foreign governments, international Institutions and Organisations, except such as are relatable to subjects allocated to any other Department.

III. Internal Finance

15. Currency and Coinage, that is to say, questions relating to—

(a) the Security Press and the Mints, including the Assay Department and Silver Refinery Project;

(b) Coinage;

(c) Note Issue.

16. Functions of the Treasurer of Charitable Endowments for India.

17. Investment Policy, including Investment Policy of LIC, UTI and GIC.

18. Investment pattern for Employees' Provident Fund and other like Provident Funds.

IV. Economic Advice

19. Advice on matters which have a bearing on internal and external aspects of Economic Management, including prices.

20. Credit, fiscal and monetary policies.

V. Budget

21. Ways and Means.

22. Preparation of Central Budget other than Railway Budget, including supplementary excess grants and when a proclamation by the President as to failure of Constitutional machinery is in operation in relation to a State or a Union Territory, preparation of the budget of such State or Union Territory.

23. Borrowing and Floatation of Market Loans by the Central and State Governments.

24. Borrowing of Public Bodies such as Corporations, Municipalities etc.

25. Administration of the Public Debt Act.

26. Fixation of interest rates, including Borrowing Rates, Productivity Test Rates, etc.

27. Accounting and Audit Procedures, including classification of transactions.

28. Financial matters relating to partition, Federal Financial Integration and Reorganisation of States.

29. Contingency Fund of India and Administration of Contingency Fund of India Act, 1950 (49 of 1950).

30. Treasury bills, including ad hoc to replenish the Central balances.

31. Sterling Pensions—Transfer of responsibility to U.K. Government and actual calculation of the liability involved.

32. Conspectus of Central and State Government Budgets.

33. Finance Commission.

34. Taxation Enquiry Commission.

35. Small Savings, including the administration of the National Savings Organisations.

36. Duties and Powers of the Comptroller and Auditor General.

37. Laying of Audit Reports before the Parliament and coordination in the Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag) of all Audit Reports, PAC's Reports and Estimates Committee's Reports.

38. Financial Emergency.

VI. Stock Exchanges

39. Administration of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

40. Regulation of Stock Exchanges.

VII. Stock Issues

41. Control over the Issues of Capital by Joint Stock Companies.

VII. A. Miscellaneous Acts.

42. Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).

43. Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), dealing with investments.

44. Metal Tokens Act, 1889 (1 of 1889).

45. Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890).

46. Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906).

47. Indian Securities Act, 1920 (1 of 1920).

48. Currency Ordinance, 1940 (4 of 1940).

49. International Monetary Fund and Bank Act, 1945 (47 of 1945).

50. Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947).

51. Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951).

52. Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959).

53. Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).

54. Compulsory Deposit Scheme Act, 1963 (21 of 1963).

55. Legal Tender (Inscribed Notes) Act, 1964 (28 of 1964).

56. Asian Development Bank Act, 1966 (18 of 1966).

57. Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968).

58. Small Coins (Offences) Act, 1971 (52 of 1971).

59. Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971).

60. Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974).

VIII. Insurance

61. Policy relating to General Insurance ; Administration of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) ; Insurance Companies Association Pool ; Subsidiaries of the Life Insurance Corporation.

62. Policy relating to Life Insurance ; Nationalisation of the Life Insurance Business ; Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); Life Insurance Tribunal.

63. Office of the Controller of Insurance.

64. The responsibility of the Central Government relating to matters concerning Centrally administered areas in respect of any of the entries from 61 to 63 above.

IX. Banking

65. All Indian banks, whether nationalised or not.

66. All foreign banks so far as their operations in India are concerned.

67. All matters relating to the Reserve Bank of India.

68. All matters relating to Cooperative Banking which are the concerns of this Department.

69. All matters relating to long term financial institutions, excluding Unit Trust of India, Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation.

70. Chit Fund and other non-banking companies accepting deposits.

71. Other matters relating to Banking in India.

72. Administration of all Statutes, Regulations and other laws connected with entries from 65 to 71 above.

X. Management of the Indian Economic Service

73. Centralised aspects of managing the Indian Economic Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that services.

B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)

1. Financial rules and regulations and delegation of financial powers.

2. Financial sanction relating to all Ministries and offices of the Government of India, which are not covered by powers delegated or conferred by the rules or by any general or special orders.

3. Review of the staffing of Government establishments with a view to securing economy.

4. Advice to Ministries and Government Undertakings on Cost Accounts matters and attending to Cost Investigation work on their behalf.

5. Indian Audit and Accounts Department.

6. Defence Accounts Department.

7. Organisation of the Controller General of Accounts dealing with :

(i) General principles of Goverment accounting relating to Union or State Governments and form of accounts, and framing or revision of rules and manuals relating thereto ;

(ii) Reconciliation of cash balance of Union Government with Reserve Bank in general and, in particular, of Reserve Deposits pertaining to Civil Ministries or Departments;

(iii) Overseeing the maintenance of adequate standards of accounting by Central Civil Accounts Offices;

(iv) Consolidation, of monthly accounts, preparation of review of trends of revenue realisation and significant features of expenditure etc. and preparation of annual accounts (including Summary, Civil Appropriation Accounts) showing under the respective heads, the annual receipts and disbursements for the purpose of the Union Government;

(v) Administration of Central Treasury Rules;

(vi) Coordination and assistance in the Introduction of management accounting system in Civil Ministries or Departments;

(vii) Cadre Management of Group 'A' (Indian Civil Accounts Service) and Group 'B' Officers of the Central Civil Accounts Offices; and

(viii) Organising of training and examinations for the Central Civil Accounts staff belonging to Group 'C' and 'D'.

8. Release of Grants and Loans for the State Plans including advance Plan Assistance towards expenditure on relief measures in the event of natural calamities.

9. State Finance.

10. Plan Budget.

11. Scrutiny of Central and State Legislation having financial and economic implications.

12. Planning and Development Finance.

C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)

1. All matters relating to Central Boards of Revenue.

2. Grants-in-aid to the National Institute of Public Finance and Policy.

3. Stamp duties on bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of share debentures, proxies and receipts.

4. Supply and distribution of all kinds of stamps.

5. All questions relating to income tax (except questions relating to the Income-tax Appellate Tribunal) corporation tax, capital gains tax, excess profits tax, business profits tax and estate duty, wealth tax, expenditure tax and gift tax and also questions relating to Railway Passenger Fares Act.

6. Administration of excise in the Union Territories, i.e. all questions relating to—

(a) Alcoholic liquors for human consumption.

(b) Opium, Indian hemp and narcotic drugs and narcotics.

7. Medicinal and toilet preparations containing alcohol, or any substance included in 6(b).

8. Opium as regards cultivation, manufacture and sale for export.

9. International agreements relating to dangerous drugs and their Implemenation.

10. All matters relating to Customs (Sea and Land) including the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), Tariff Valuations, Customs Cooperation Council, Customs nomenclature and similar matters, duties on goods imported or exported; prohibitions and restrictions on imports and exports imposed in the interest of revenue; and interpretation of Customs Tariff.

11. All matters relating to Central Excise and Gold Control administration.

12. Sales Tax :—

(i) The administration of Sales-Tax Laws Validation Act, 1956 (7 of 1956).

(ii) Levy of tax on the course of inter-State trade or commerce-problems arising out of the administration of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956).

(iii) Declaration of goods as of special importance in inter-state trade or commerce under article 286(3) of the Constitution, laying down of the conditions and restrictions to which the State laws providing for the levy of tax on them would be subjected.

(iv) All questions relating to replacement of sales tax by additional excise duty including administration of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

(v) All Bills, etc. relating to sales-tax levy in States coming up for the previous instructions, recommendations or assent of the President.

(vi) Legislative matters concerning sales-tax in the Union Territories.

(vii) Problems arising out of the invalidation of sugarcane cess levies of State including Validation of such levies.

13. All matters relating to pre-partition duty refund claims on salt.

14. Subordinate Organisations :—

(a) Income Tax Department;

(b) Customs Department;

(c) Central Excise Department; and

(d) Narcotics Department.

15. Preventive detention for reasons connected with the conservation of foreign exchange or prevention of smuggling; persons subjected to such detention.

16. Enforcement, viz. investigation, adjudication and prosecution of cases arising out of breaches, under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973); the Directorate General of Revenue Intellingence-cum-Directorate of Enforcement.

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)

I. The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:—

1. Purchase of foodstuffs for civil and military requirements and their disposal.

2. Participation in international conferences, Associations and other bodies concerning food, e.g. International Wheat Council.

International Sugar Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute and implementation of decisions made thereat.

3. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgrains and other foodstuffs.

4. Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar, taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.

5. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other foodstuffs including sugar.

6. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to :

(a) Fruit and Vegetable processing industry (including freezing and dehydration);

(b) Sugar Industry (including development of gur and khandsari; and

(c) Foodgrain milling industry.

7. Central Warehousing Corporation and the Warehousing Corporation.

II. The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :—

8. Trade and Commerce in and supply and distribution of foodgrains.

9. Trade and commerce in and the production, supply and distribution of sugar and foodstuffs other than foodgrains.

10. Price control of foodgrains, foodstuffs and sugar.

III. For the union territories of Delhi, the Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep, the subjects detailed in Parts I and II as well as the Food Administration.

IV. General and Consequential :

11. Matters relating to the following offices:—

(i) Subordinate Offices under the Department of Food

(ii) Directorate of Sugar, New Delhi.

(iii) National Sugar Institute, Kanpur.

12. Matters relating to the Development Council for Sugar Industry, New Delhi.

13. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department

14. Enquiries and statistics for the purpose of any of the subjects allotted to this Department

15. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court

B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)

I. Internal Trade

1. Internal Trade.

2. Inter State Trade : [the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955].

3. Control of futures trading [the forward Contracts (Regulation) Act, 1952]

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980; persons subjected to detention thereunder.

6. Consumer Cooperatives.

7. Public Distribution System.

8. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

9. The National Consumer Protection Council.

10. Regulation of Packaged Commodities.

11. Training in Legal Meteorology.

12. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats

13. Price control of and inter-State trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats

14. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.

II. Trade Marks etc.

15. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

16. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

17. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures) Act, 1956. The Standards of Weights and Measures Act, 1976.

18. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act. 1952.

19. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF HEALTH (SWASTHYA VIBHAG)

I. Union Business

1. Union agencies and institutes for research or for the promotion of special studies in medicine and nutrition including all matters relating to the :—

(i) Central Research Institute, Kasauli.

(ii) The All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.

(iii) The Antigen Production Unit, Calcutta.

(iv) The Malaria Institute of India, Delhi.

(v) The Central Drugs Laboratory, Calcutta.

(vi) College of Nursing, New Delhi.

(vii) Lady Reading Health School and Ram Chand Lohia Infant Welfare Centre, Delhi.

(viii) Hospital for Mental Diseases, Ranchi.

(ix) Ram Manohar Lohia Hospital & Nursing Home, New Delhi.

(x) Safdarjung Hospital, New Delhi.

(xi) The Civil and Military Dispensary and the X-ray Installation, Simla.

(xii) The dispensaries at Dum Dum and Santa Cruz Airports.

(xiii) Medical Stores, Depots and Factories.

(xiv) B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy.

(xv) Medical College, Pondicherry.

(xvi) Contributory Health Service Scheme for Central Government Servants and members of their families in Delhi and New Delhi.

(xvii) Serologist and Chemical Examiner to the Government of India, Calcutta.

2. Port quarantine (sea and air) seamen's and marine hospitals and hospitals connected with port quarantine.

3. Port and Air Port Health Organisations.

4. Medical Examination of Seamen.

5. International sanitary regulations.

6. World Health Organisation (WHO).

7. Rockfeller Foundation and Ford Foundation.

8. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the Central Food Laboratory set up thereunder

9. Higher training abroad in medical and allied subjects.

10. Assistance under the Colombo and Point Four Programme

11. National Malaria Eradication Programme.

12. National Filaria Control Programme.

13. Matters relating to epidemics. Problems connected with the supply of medicines, effect of malnutrition and shortage of drinking water leading to various diseases as a result of natural calamities.

II. List of business for Legislative and Executive purposes in respect of Union Territories

14. Public health and sanitation; hospitals; and dispensaries.

15. Pilgrimages other than pilgrimages to places outside India.

16. Burials and burial grounds; Cremations and cremation grounds.

17. Inns and inn-keepers.

18. Supply and distribution of cinchona and quinine.

19 Scientific societies and associations pertaining to subjects dealt with in the Department.

20. Charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

III. List of business with which the Central Government deal in a Legislative capacity only for the Union and in both Legislative and Executive capacities for all Union Territories.

21. The medical profession and medical education.

22. The nursing profession and nursing education.

23. The pharmaceutical profession and pharmaceutical education.

24. The dental profession and dental education.

25. Homoeopathy.

26. Lunacy and mental deficiency.

27. Drugs standards.

28. Objectionable advertisements relating to drugs and medicines.

29. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases affecting human beings.

30. Adulteration of foodstuffs and drugs.

31. Indigenous system of medicine

32. The Central Health Service.

IV. Miscellaneous Business

33. The Medical Council of India

34. The Central Council of Health.

35. Resettlement of demobilised medical and auxiliary medical personnel.

36 Red Cross except problems relating to protection of prisoners of war and other war victims

37. Dental Council of India

38. Indian Nursing Council

39. Pharmacy Council of India.

40 Indian Pharmacopoeia Committee.

41. B C G. Vaccination against Tuberculosis.

42. Concession of medical attendance and treatment for Central Government servants other than (i) those in Railway service; (ii) those paid from Defence Services Estimates; (iii) officers governed by the All India Service (M.A.) Rules, 1954; (iv) officers governed by the Medical Attendance Rules, 1955.

43. Medical Examination and Medical Boards for Central Civil Services other than those controlled by the Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and those paid from Defence Estimates exeepting Civilian Services.

44. Indian Red Cross Society.

45. The Lady Harding Medical College and Hospital, New Delhi and the Kalavati Saran Children Hospital, New Delhi.

46. Vallabh Bhai Patel Chest Institute.

47. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay.

48. Spas and Health Resorts.

49. Collection and Collation of information with regard to local bodies, all States and Union Territories.

50. Trachoma Pilot Project.

51. Leprosy Control Scheme.

52. Reimbursement of customs duty on gifts of non-consumable medical stores received from abroad.

53. The Indian Council of Medical Research, New Delhi.

54. The All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

55. Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta.

56. Central Institute of Research on Indigenous Systems of Medicines, Jamnagar.

57. Post-Graduate Training Centre, Jamnagar.

58. Physiotherapy Training Centre, King Edward Memorial Hospital, Bombay.

59. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Madras.

60. All India Mental Health Institute, Bangalore.

61. Nutrition Research Institute, Coonoor.

62. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

63. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this list.

64. Fees in respect of any of the matters in this list but not including fees taken in any court.

'B' DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE
(PARIVAR KALYAN VIBHAG)

1. Policy and organisation for Family Planning.

2. Maternity and Child Welfare.

3. Organisation and direction of education training and research in all aspects of family planning including higher training abroad.

4. Production and supply of aids to family planning.

5. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to family planning.

6. Inquiries and statistics relating to family planning.

7. International Institute of Population Studies, Bombay.

8. Development and production of audio-visual aids, extension, education and information in relation to population and family planning.

9. Grant-in-aid for the family planning programme to voluntary organisations and local bodies.

10. Hindustan Latex Ltd.

11. National Institute of Family Planning, New Delhi.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY
(ANTRIK SURKSHA VIBHAG)

I. Police

1. Assam Rifles.

2. Border Security Forces.

3. Matters relating to National Policy Academy, the Central Detective Training School, the Bureau of Police Research and Development, the National Civil Defence College and the National Fire Service College.

4. Matters relating to Indian Police Service including I.P.

5. Matters relating to the Central Industrial Security Force.

6. Matters relating to Civil Defence, Home Guards and Mobile Civil Emergency Force.

7. Extension of the powers and Jurisdiction of members of a police force belonging to any State, to any area outside that State, but not so to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside the State.

8. Inter-State Police Wireless System.

9. Central Reserve Police.

10. Police Medals.

II. Law and Order

11. The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985).

12. The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984—Establishment of special and Additional Courts, and all other matters, under that Act.

13. The administration of the North East Frontier Agency areas (i e.) tribal areas of Assam specified in Part B of the Table appended to para 20 of the Sixth Schedule to the Constitution excluding administrative control over the execution of road works in those areas.

14. Intelligence Bureau, Coordination Wing, Central Forensic Science Laboratory, New Delhi, and Central Finger Print Bureau of the Central Bureau of Investigation.

15. Grant of visas and endorsements for entry into India, and the control of foreigners in India including grant of permission to travel to protected Areas in Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Nagaland, North East Frontier Agency and Manipur.

16. Grant of visas for India to Pakistan Nationals for permanent stay in India.

17. Deportation of nationals of foreign States from India.

18. Repatriation to Pakistan of released Pakistani prisoners.

19. Government servants having families in Pakistan—cases regarding grant of permission to Government servants to visit Pakistan.

20. Indian Frontier Administrative Service.

21. Matters relating to the Central Secretariat Security Organisation.

22. Prevention of the bringing into India of undesirable literature under Section 19 of the Sea Customs Act.

23. The Essential Services Maintenance Act, 1981.

24. Requisitioning of the services of Government servants for any duty during the period of operation of any Proclamation issued under clause (I) of Article 352 of the Constitution.

25. Preventive detention, except to the extent specifically allotted to any other Central Ministry or Department ; persons subjected to such detention.

26 Removal from one State to another State of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention.

27. Criminal Law.

28. Criminal Procedure.

29. Matters relating to the State of Nagaland.

30. Matters relating to the State of Sikkim.

31. The Essential Services Maintenance (Assam) Act, 1980.

32 Parliament Questions relating to crime on railways other than offences relating to pilferage of railway property.

33. Arms, fire-arms, ammunitions and matters relating to the Explosive Substances Act, 1908.

34. Development of Fire Services.

III. Rehabilitation

35. Relief and Rehabilitation of displaced persons from former East Pakistan.

Relief includes .—

Establishment of camps, payment of cash doles, provision of other amenities and necessities.

Rehabilitation includes :—

Housing, training and employment resettlement on land in business, industries and other non-agricultural occupations

36. Relief and Rehabilitation of repatriated Indian nationals.

37. Relief and Rehabilitation of Tibetan refugees.

38. Relief and Rehabilitation of displaced persons from Chhamb area in Jammu and Kashmir, Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority.

39. Dandakaranya Development Scheme and Dandakaranya Development Authority.

40. Administration of Central Camps, work site camps and Karmi Shibirs for displaced persons from former East Pakistan.

41. Rehabilitation Industries Corporation.

42. Residuary problems relating to displaced persons from former East Pakistan in West Bengal.

43. Residuary problems of refugees from Bangladesh.

44. Residuary problems of migrants from Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir.

45. Development of such special areas as may be indicated by Prime Minister from time to time.

46. Relief and Resettlement of persons affected in the border areas of Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat and Rajasthan during the Indo Pak conflict, 1971.

47. Residuary matters relating to displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan.

48. Administration of the following Acts :—

(a) Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).

(b) Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951).

(c) Displaced persons (Debts adjustment) Act, 1951 (70 of 1951).

(d) Displaced persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

(e) Displaced persons (Claims) Supplemental Act, 1954 (12 of 1954).

(f) Transfer of Evacuee Deposits Act, 1954 (15 of 1954).

(g) Matters relating to Goa, Daman and Diu Administration of Evacuee Property Act, 1964.

49. Negotiations with Pakistan concerning evacuee property left by displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

50. Restoration of movable property received from former West Pakistan, now Pakistan, to the displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan.

51. Verification and payment of claims of displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan, who were Government servants in the undivided provinces, and local bodies in respect of pension, provident fund, leave salary and security deposits.

Ad-hoc schemes for payment of pension, G.P. Fund, leave salary and ex-gratia relief to displaced Government servants from former West Pakistan, now Pakistan, grant of relief to the contractors in respect of their verified claims; grant of relief to pensioners migrated from former East Pakistan and West Pakistan, now Pakistan, between 1-1-1961 and 25-3-1971.

52. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this part.

N.B.—Except where specified, the programmes of relief and rehabilitation are executed and administered through the State Governments.

DEPARTMENT OF STATES

(RAJYA VIBHAG)

(i) Centre-State Relations

1. Establishment and formation of new States; matters arising therefrom [excepting those pertaining to allocation of service personnel, integration of Services and other matters relating to State Services entrusted to the Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasnik Sudhar Vibhag)] and alteration of areas, boundaries and names of existing States.

2. Matters relating to the Rules of former Indian States referred to in clause (22) of Article 366 of the Constitution and their families.

3. Constitutional provisions with respect to the State of Jammu & Kashmir and other matters relating to that State excluding those with which the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) is concerned.

4. Special provisions in Article 371 of the Constitution with respect to the States of Andhra Pradesh, Punjab and Bombay.

Inter-State Relations

Inter-State Council.

Inter-State Migration.

(c) Union Territories

7. Regulations applicable to the Andaman, Nicobar and Lakshadweep Islands.

8. Indian Administrative Service Cadre of the Union Territories, matters falling within the purview of State Government.

9. For the Union Territories of Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman and Diu, Mizoram and Pondicherry:

The following subjects which fall within the scope of matters enumerated in List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

(i) Public Order (but not including the use of naval, military or air force of the Union in aid of the civil power).

(ii) Police including railway and village police.

(iii) Prisons, reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature and persons detained therein; arrangements with other States for the use of persons and other institutions.

(iv) Constitution and powers of Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee.

(v) Delhi Fire Service.

(vi) Betting and gambling.

(vii) General questions relating to public services.

(viii) Offences against laws with respect to any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.

(ix) Jurisdiction and powers of courts with respect to any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.

(x) Fees in respect of any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution but not including fees taken in any court.

(xi) Extension of State Acts to the Union Territories.

(xii) Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.

(xiii) General questions relating to administration on subjects other than those dealt with in other departments.

10. For the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

All matters except:—

(a) forests, education, road and bridge works and ferries thereon; and

(b) organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

11. For the Union Territory of Lakshadweep :—

All matters relating to these islands except organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

C. DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

(RAJBHASHA VIBHAG)

1. Implementation of the provisions of the Constitution relating to Official Language and the provisions of the Official Languages Act, 1963, except to the extent such implementation has been assigned to any other Department.

2. Prior approval of the President for authorising the limited use of a language other than English in the proceedings in the High Court of a State.

3. Nodal responsibility for all matters relating to the progressive use of Hindi as the official language of the Union, including Hindi teaching schemes for Central Government employees and publication of magazines, journals, and other literature related thereto.

4. Coordination in all matters relating to progressive use of Hindi as the official language of the Union including administrative terminology, syllabi, text-books, training courses and equipment (with standardised script) required therefor.

5. Constitution and Cadre management of the Central Secretariat Official Language Service.

6. Matters relating to Kendriya Hindi Samiti including its Up-samitis.

7. Coordination of work relating to the Hindi Salahkar Samitis set up by the various Ministries/Departments.

8. Matters relating to the Central Translation Bureau.

D. DEPARTMENT OF HOME

(GRIH VIBHAG)

1. Notification of assumption of office by the President and the Vice-President.

2. (i) Grants of pardons, reprieves, suspension, remission or commutation of a sentence of death ; and

(ii) Petitions for remission of sentences (other than death sentences) or for pardon from prisoners sentenced by courts in states for offences against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends.

3. Issue of notifications of appointment and resignation of the Prime Minister and other Ministers and Parliamentary Secretaries of the Union.

4. Rules for the authentication of papers in the name of the President.

5. Model Rules of Business for State Government.

6. Nominations to Rajya Sabha and Lok Sabha.

7. Issue of notifications of appointment, resignation and removal of Governors, Lieut-Governors.

8. Bills passed by legislatures of States (except Jammu and Kashmir) reserved by Governors for the consideration of the President ; and prior consultation with the Central Government by the State Governments as regards State Legislation.

9. Prior approval of the President to the promulgation of ordinances by Governors of States.

10. Appointment of Lieutenant Governors, Chief Commissioners and Administrative Officers in Union territories.

11. Property accruing to the Union by escheat or lapse or as bona vacantia.

12. Special provision relating to the language spoken by a substantial proportion of the population of a State.

13. Matters relating to the Emergency provisions of the Constitution (other than those relating to financial emergency).

14. Conventions with other countries in judicial matters including questions relating to International Court of Justice and references from the United Nations Organisation relating to obscene publications.

15. Citizenship and naturalisation.

16. Immigration from Foreign and Commonwealth countries, except the Union of South Africa, or any other country to which the Reciprocity Act applies.

17. Entry of persons, other than returning emigrants from Commonwealth countries, except those to which the Reciprocity Act applies.

18. Matters relating to Code of Conduct of Legislators.

19. Code of Conduct for Ministers.

20. Employment of wives or dependents of Government servants in foreign Missions in India.

21. Exchange of visits between Civil and Military Officers.

22. Lotteries organised by the Government of India or the Government of a State.

23. Census of Population.

24. Official dress.

25. Emoluments, allowances, privileges and rights in respect of leave of absence of the President and Governors; salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries of the Union.

26. National Anthem.

27. National Flag of India; President's and Governor's Standards.

28. State Emblem.

29. Warrant of Precedence.

30. Awards and decorations.

31. National Festivals.

32. Matters relating to National Integration.

NOTE:—The Department of Home will be the nodal Department for overall policy, but the actual implementation of any individual aspect thereof will be the responsibility of the Ministry or Department concerned with that aspect.

33. Progressive use of National Calendar for official purposes.

34. Changes in geographical names.

35. Formalities to be observed on the death of high dignitaries in India.

36. Political pensions.

37. Compassionate allowance to dependents of mutiny veterans.

38. Home Minister's Discretionary Fund for the grant of relief to persons who served the nation by their work in political, social, philanthropic or other fields when they are in need of special assistance.

39. Poisons.

40. Vital Statistics including registration of births and deaths.

41. Newspapers, books and printing presses.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF EDUCATION

(SHIKSHA VIBHAG)

1. Pre-Primary Education.

2. Elementary Education.

3. Basic Education.

4. Secondary Education, Education and Vocational Guidance.

5. University education; Central Universities. Rural Higher Education; Foreign Aid Programme relating to Higher Education, Technical Education, Planning and Development of School Education.

6. Institutions of higher learning (other than Universities).

7. Bal Bhavan, Children's Museum.

8. Social Education and adult education.

9. Physical Education.

10. Audio Visual Education.

11. Books [other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana Evam Prasaran Mantralaya) is concerned] and Book Development [excluding stationery paper and newsprint industries with which the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya) is concerned].

12 Production of University level text-books in Regional Languages.

13. The Copyright Act, 1957 and International Conventions on Copyrights.

14. Educational Research.

15. Publications, information and statistics.

16. Teachers' training.

17. Development and propagation of Hindi, including multi-lingual dictionaries.

18. Grant of Financial assistance for the teaching and promotion of Hindi.

19. Propagation and development of Sanskrit.

20. Rehabilitation and other problems relating to displaced teachers and students.

21. Central Advisory Board of Education.

22. UNESCO and Indian National Commission for Cooperation with UNESCO.

23. All scholarships including those offered by foreign countries and foreign agencies in subjects dealt with by this Department but excluding scholarships to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, denotified, nomadic and semi-nomadic Tribes, General Scholarships Scheme.

24. Education and Welfare of Indian students overseas; Education Departments of Indian Missions overseas; Financial assistance to educational institutions and Indian Students' Associations abroad.

25. Educational Exchange Programmes; exchange of teachers, professors, educationists, scientists, technologists, etc.; programme of exchange of scholars between India and foreign countries.

26. Grant of permission to teachers of Universities, colleges and institutions of higher learning to accept assignments abroad.

27. Admission of foreign students in Indian Institutions.

28. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

29. Ad hoc scientific research, other than research in higher mathematics, nuclear science and atomic energy, in universities and educational institutions.

30. Vigyan Mandirs.

31. General policy regarding partial financial assistance to Scientists going abroad for studies in fields other than mathematics, nuclear science and atomic Energy.

32. Expansion, Development and Co-ordination of Technical Education.

33. School of Planning and Architecture.

34. Regional Schools of Printing.

35. Grants-in-aid to State Government institutions, non-Government institutions, professional bodies and technical institutions of Union Territories for technical education. Grants-in-aid for post graduate studies in basic seiences, grants-in aid for development of higher scientific and technologieal education and researeh in edueational institutions; Grants-in-aid for fundamental researeh in seience and teehnology; grants to individuals for fundamental research.

36. All India Council for Technical Edueation.

37. Conduct of National Diploma and National Certificate examinations of the All India Counei] for Teehnical Education.

38. Practical training facilities for studeuts of engineering and technological institutions.

39. Recognition of professional teehnical qualifications for purposes of recruitment to posts under Government of India.

40. National Research Professorships and Fellowships.

41. Holding of Foreign Examination in the fields of professional and technical education in India.

42. University Grants Commission.

43. National Council for Educational Research and Training.

44. National Book Trust.

45. Administrative Staff College of India, Hyderabad.

46. Indian Schoo] of Mines and Applied Geology, Dhanbad.

47. Indian Institutes of Technology at Kharagpur, Bombay, Kanpur, Madras and Delhi.

48. Indian Institute of Science, Bangalore.

49. The Tata Institute of Social Seienees, Bombay.

50. International Students Houses in India and abroad.

51. All other attaehed or subordinate offiecs or other organisations coneerned with any of the subjects specified in this list.

B. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL VIBHAG)

1. Games, sports, boy scouts, girl guides, National Discipline Scheme, ete.

2. Youth Welfare activitics, youth festivals, work camp, etc.

3. Sports Authority of India.

4. Youth Affairs.

5. Youth hostels.

C. DEPARTMENT OF ARTS

(KALA VIBHAG)

1. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).

2. National Theatre.

D. DEPARTMENT OF CULTURE

(SANSKRITI VIBHAG)

1 National Library; the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum. the Vietoria Memorial and the India War Memorial and all other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and deelared by Parliament by law to be institutions of national importance.

2. Archaeology Archaeological Museums.

3. The Aneient Monuments and Arehaeological sites and Remains Act, 1958 and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

4. Grants to Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

5. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

6. History of Freedom Movement.

7. Jalianwala Bagh National Memorial Trust.

8. Administration of Gandhi Smriti Samiti and Gandhi Darshan.

9. The delivery of Books (Public Libraries) Act and the Press and Registration of Books Act (in so far as supply of books and eatalogues to the Central Government is concerned).

10. Promotion of fine arts.

11. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.

12. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi Public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits; General Development of Museums.

13. National Gallary of Modern Art, New Delhi.

14. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

15. Treasure Trove; the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and Export of antiquities.

16. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.

17. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochna aur Prasaran Mantralaya).

18. Charities and Charitable institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

19. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.

20. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of Modern Indian Languages

21. Publication of rare manuscripts.

22. Grants to all-India Cultural Institutions.

23 Grants to Indo foreign Cultural Societies.

24. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.

25. Distribution of gift books received from abroad.

26. Appointment of Cultural Attaches abroad.

27. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

28. Individuals (including cultural lecturers), sponsored by Government for visits abroad.

29. Presentation of books to foreign countries.

30. Establishment of libraries abroad.

31. Translation of Indian classics into foreign languages.

32. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

33. Presentation of Indian art objects abroad.

34. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.

35. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.

36. Revision of Gazetteers.

37. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities.

38. Publication, information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.

39. International Congress of Orientalists.

40. Anthropological Survey of India.

41. National Archives of India.

42. Rashtriya Manava Sangrahalaya.

43. National Council of Science Museums, Calcutta.

44. All other attaehed or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

45. Administration of Cinematograph Act, 1952, in respect of —

(i) Examination and certification of cinematograph films for public exhibition by the Central Board of Film Censors;

(ii) Central Board of Film Censors.

E. DEPARTMENT OF WOMEN'S WELFARE

(MAHILA KALYAN VIBHAG)

1. Family Welfare.

2. Woman and child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.

3. References from the United Nations Organisation relating to traffic in Women and children.

4. Care of pre-school children.

5. Coordination of National Nutrition Programme, Nutrition feeding of pre-school children and Nutrition education of women.

6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.

7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

8. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

9. Administration of Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956.

10. Dowry Prohibition Act, 1961.

MINISTRY OF INDUSTRY

(UDYOG MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)

I. Industrial Policy.

1. General Industrial Policy.

2. Administration of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

3. Industrial Management.

4. Productivity in industry.

II. Industrial Co-operation.

5. Co-operation in the Industrial sector, excepting Co-operative Sugar Factories.

III. Industries and Industrial and Technical Development.

6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department, but including industries relating to bread, oilseeds meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

7. Administration of the Indian Boilers Act, 1923 and the regulations made thereunder. Central Boilers Board.

8. Explosives— Administration of the Explosives Act, 1884, and the rules made thereunder, but not the Explosive Substances Act, 1908.

9. Cables.

10. Light Engineering Industries (e g. Sewing machines, typewriters, weighing machines, bicycles, etc).

11. Light industries (e g, Plywood, stationery, matches, cigarettes, etc).

12. Light Electrical Engineering Industries.

13. Raw films.

14. Hard Board.

15. Paper and newsprint.

16. Tyres and Tubes.

17. Salt.

18. Cement.

19. Automative Research Association, Poona.

20. Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore.

21. Cement Research Institute of India. Faridabad, Haryana.

22. Indian Rubber Manufactures' Research Association, Bombay.

23. Technical Development, including Directorate General of Technical Development:

IV. Small Scale Industries

24. Co-ordination of the Development of small-scale Industries :—

(i) Small Industries Board.

(ii) National Small Industries Corporation Limited.

(iii) Setting up of new Industries, for providing employment, in places where there are heavy concentrations of displaced persons from West Pakistan.

25. Village and cottage industries

26. Coordination of matters relating to Rural Industrialisation.

27. Soaps and Detergents.

V. Patents and Designs etc.

28. Standardisation of international products and raw materials.

29. Designs Act, 1911.

30. Patents Act, 1970.

VI. Materials Planning

31. Coordinated assessment of demands for raw materials, by sectors, industries and large-units, in relation to particular groups of products and to available capacities.

32. Assessment of domestic availability of raw materials with due regard to the feasibility of import substitution.

33. Assessment of requirements of imports of raw materials, with due allowance for inventories.

34. Determination of principles, priorities and procedures for allocation of raw materials.

35 Coir Industry.

36. The Coir Board.

37. Any other matters connected with materials planning.

VII. Other Subjects.

38. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

39. Public sector projects falling under the subjects included in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.

40. Coordination of matters of general policy of non-financial nature affecting all public sector industrial and commercial undertakings.

41. Manufacture of heavy engineering equipment for all industries.

42. Heavy electrical engineering industries.

43. Machinery Industries including Machine Tools and Steel Manufactures.

44. Auto Industries, including tractors and earth moving equipment.

45. All types of diesel engines.

B. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)

1. Administration of the Companies Act, 1956.

2. Administration of the Companies (Donations to National Funds) Act, 1951.

3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

4. Profession of Accountancy (Chartered Accountants Act, 1949), profession of Costs and Works Accountancy (Cost and Works Accountants Act, 1959); Profession of Company Secretaries (Company Secretaries Act, 1980).

5. Collection of Statistics relating to companies.

6. Legislation relating to law of Partnership, and the exercise of certain functions under Chapter VIII of the Indian Partnership Act, 1932 in centrally administered areas (The administration of the Act vests in the State Governments).

7. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.

8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.

C. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

1. Drugs and Pharmaceuticals.

2. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)

3 Molasses—distribution and pricing.

4. Alcohol.—Industrial and potable including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).

5. Dye-stuffs and dye-intermediates.

6. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.

7. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

9. Public sector projects concerned with the subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

10. Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

11. Bhopal Gas Leak Disaster.—Special Laws relating thereto.

12. Petro-Chemicals.

13. Industries relating to production of non-Cellulosic synthetic fibres (Nylon, Polyester, Acrylic, etc).

14. Synthetic Rubber.

15. Plastics, including fabrications of plastic and plastic moulded goods.

16. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by this Department.

17. All public sector units relating to the above matters.

18. All attached and subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES
(SARKARI UDYAM VIBHAG)

1. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool.

2. The Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi.

3. The Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur.

4. The Triveni Structurals Limited, Allahabad.

5. The Thungabhadra Steel Products (India) Limited, Durgapur.

6. The Bharat Heavy Plates and Vessels Limited.

7. The Engineering Projects (India) Limited.

8. Bharat Brakes and Valves Ltd.

9. Bharat Heavy Electricals Limited.

10. Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd.

11. Bharat Pumps and Compressors Ltd.

12. Bharat Wagon and Engineering Co. Ltd.

13. Bhatwaite and Co. Ltd.

14. Burn Standard Co. Ltd.

15. H M.T. Bearings Ltd.

16. H.M.T. Ltd.

17. H.M.T. International Ltd.

18. Jessop and Co. Ltd.

19. The Lagan Jute Machinery Co. Ltd.

20. Maruti Udyog Ltd.

21. Richardson and Cruddas (1972) Ltd.

22. Scooters India Ltd.

23. Weighbird (India) Ltd.

24. Braitwaite, Burn and Jessop Construction Ltd.

25. Hooghly Dock and Port Engineers Ltd.

26. Andrew Yule and Co. Ltd.

27. Banarhat Tea Co. Ltd.

28. Basmatia Tea Co. Ltd.

29. Bharat Leather Corporation Ltd.

30. Bharat Opthalmic Glass Ltd.

31. Cement Corporation of India Ltd.

32. Cycle Corporation of India Ltd.

33. Hindustan Cables Ltd.

34. Hindustan Paper Corporation Ltd.

35. Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd.

36. Hindustan Salts Ltd.

37. Hooghly Printing Co. Ltd.

38. Hoolungooree Tea Co. Ltd.

39. Instrumentation Ltd.

40. The Mandya National Paper Mills Ltd.

41. The Mim Tea Co. Ltd.

42. Murphulani (Assam) Tea Co. Ltd.

43. Nagaland Pulp and Paper Co. Ltd.

44. National Bicycle Corporation of India Ltd.

45. The National Industrial Development Corporation Ltd.

46. National Instruments Ltd.

47. National Newsprint and Paper Mills Ltd.

48. The National Small Industries Corporation Ltd.

49. Raigarh Tea Co. Ltd.

50. Rajasthan Electronics and Instruments Ltd.

51. Hindustan Newsprint Ltd.

52. Damodar Cement and Slag Ltd.

53. Sambhar Salts Ltd.

54. Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.

55. Tyre Corporation of India.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)

I. Radio

1. All business connected with All India Radio (except issuing of B.R. Licences) embracing news. services in the home programmes, programmes for the foreign countries and Indian overseas, radio journals, researches in the field of broadcast engineering, monitoring of foreign broadcasts, programme exchange and transcription services, television, supply of community receiving sets to State Governments under the community listening scheme, etc.

2. Development of Broadcasting throughout the Union, installation and maintenance of Radio Stations| transmitters.

II. Films.

3. (i) Import of films feature-length and shorts for Theatrical and non-Theatrical use;

(ii) Export of Indian films-feature-length and shorts;

(iii) Import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry.

4. (i) Production and distribution of documentaries and newsreels and other films and film strips for internal and external publicity.

(ii) Creation of distribution and exhibition chains for films.

5. Development and promotional activities relating to film industry, including teaching and research.

6. (i) Legislation under entry 60 of the Union List, viz., "Sanctioning of Cinematograph Films for Exhibition".

(ii) Administration of Cinematograph Act, 1952, including regulation of exhibition by means of cinematograph in Union Territories,

but excluding examination and certification of cinematograph films for public exhibition by the Central Board of Film Censors;

7. Grant of State awards for films produced in India.

8. Grants to Children's Film Society.

9. Implementation of the recommendations of the Film Enquiry Committee.

10. The National Film Corporation and the Indian Motion Pictures Export Corporation (IMPEC).

III. Advertising and Visual Publicity.

11. Production and release of all display advertisements of the Government of India through the media of press, posters, folders calendars, blotters, leaflets, hoarding, cinema slides, etc. also release of classified advertisements on behalf of the Government of India.

12. Preparation of media lists.

IV. Press

13. Presentation and interpretation of the policies and activities of the Government of India through the medium of the press.

14. Advising Government on information problems relating to the Press, keeping Government informed of the main trends of public opinion as reflected in the Press and liaison between Government and the Press.

15. Publicity to and for the Armed Forces.

16. General conduct of Government relations with the Press excluding the administration of Sections 95 and 96 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

17. Administration of the Press and Registration of Books Act, 1867 relating to Newspapers.

18. Administration of the Newspaper (Price and Page) Act, 1956.

19. Implementation of the recommendations of the Press Commission.

V. Publications

20. Production, sale and distribution of popular pamphlets, books and journals on matters of national importance for internal as well as external publicity with a view to imparting to the general public at home and abroad upto date and correct information about India.

VI. Research and Reference

21. (i) To assist the Media Units of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya) in collection, compilation and preparation of material involving research into published works, etc.; and

(ii) Building up of a compendium of knowledge on important subjects and to prepare guidance and background notes on current and other topics for the use of the Media Units of the Ministry.

22. Publicity for the Five Year Plan.

23. Financial assistance to distinguished musicians, both vocal and instrumental, dancers and dramatists who have contributed substantially to the success of All India Radio and other Units of this Ministry or their survivors in indigent circumstances.

24. Attached and subordinate Organisations :—

(a) All India Radio.

(b) Films Division.

(c) Five Year Plan Publicity Unit.

(d) Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(e) Press Information Bureau.

(f) Publications Division.

(g) Research and Reference Division.

(h) Office of the Registrar of Newspapers for India.

25. All matters relating to the Asian Broadcasting Union, Commonwealth Broadcasting Association and the Non-aligned News Agency Pool.

MINISTRY OF LABOUR
(SHRAM MANTRALAYA)

PART I. Union subjects

1. In respect of Union Railways.—payment of wages, trade disputes, hours of work from employees not covered by the Factories Act, and regulation of employment of children.

2. In respect of Docks.—regulation of safety, health and welfare measures concerning dock labour.

3. Regulation of labour and safety in mines and oilfields.

PART II. Concurrent subjects

4. Factories.

5. Welfare of labour.—industrial, commercial and agricultural conditions of labour; provident funds, family pension, gratuity employers liability and workmen's compensation; health and sickness insurance, including invalidity pensions, old age pensions, improvement of working conditions in factories; canteens in industrial undertakings.

6. Unemployment Insurance.

7. Trade Unions; industrial and labour disputes.

8. Labour statistics.

9. Employment and unemployment except rural employment and unemployment.

10. Vocational and technical training of craftsmen.

PART III. Additional business for Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Delhi.

11. Items mentioned in Part II above.

PART IV. Incidental business with respect to any of the matters mentioned in Parts I, II and III above.

12. The implementing of treaties and agreements with other countries.

13. Offences against laws.

14. Inquiries and Statistics.

15. Fees, but not fees taken in any court.

16 Jurisdiction and powers of all courts (except the Supreme Court).

PART V. Miscellaneous Business.

17. Employment Exchanges.

18 Schemes for training of instructors, craftsman, technicians at foreman and supervisory level, both in India and abroad, apprentice training.

19. International Labour Organisation.

20. Tripartite Labour Conferences.

21. War Injuries (Compensation Insurance) Act, 1943, and Scheme.

22. Administration of laws connected with safety and welfare in mines other than coal mines; organisations of the Chief Inspector of Mines and Mica Mines Welfare.

23. Administration of the Indian Dock Labourers Act, 1934 and the Regulations made thereunder and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948.

24. Administration of the Tea Districts Emigrant Labour Act and the Organisation of the Controller of Emigrant Labour.

25. All emigration under the Emigration Act, 1922 (7 of 1922) from India to overseas countries and the return of emigrants.

26. Administration of the Minimum Wages Act.

27. Administration of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).

28. Administration of Labour laws in central sphere undertakings.

29. Labour Statistics; Organisation of Director, Labour Bureau.

30. Organisation of Chief Labour Commissioner and Constitution and administration of Central Government Industrial Tribunal, Central Government Labour Courts, National Industrial Tribunal.

31. Organisation of Chief Adviser Factories, including Central Labour Institute, productivity and TWI Centres and Regional Museums of Safety, Health and Welfare.

32. Plantation Labour and administration of Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951).

33. Recruitment, posting, transfer and training of Government Labour Officers.

34. Administration of the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

35. Schemes regarding workers' education.

36. Schemes regarding workers' Participation in management.

37. Discipline in industry.

38. Constitution of Wage Boards for individual industries.

39. Regulation of working condition of motor transport workers.

40. Evaluation of the implementation of Labour Laws in the country.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)
A. DEPAREMENT OF LEGAL AFFAIRS
(VIDHI KARYA VIBHAG)

1. Advice to Ministries on legal matters, including interpretation of laws, legal proceedings and conveyancing.

2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.

3. Conduct of cases in the Supreme Court on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.

4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits, for the execution of decrees of Civil courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.

5. Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.

6. Indian Legal Service.

7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.

8. Law Commission.

9. Legal Profession.

10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers; persons entitled to parctice before the Supreme Court; references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.

11. Persons entitled to practice before High Courts.

12. Administration of the Notaries Act, 1952.

13. Admiralty jurisdiction.

14. Income-tax Appellate Tribunal.

15. Foreign Exchange Regulation Appleate Board.

16. Legal aid to the poor.

B. LEGISLATIVE DEPARTMENT
(VIDHAYEE VIBHAG)

1. The drafting of Bills, including the business of the Draftsmen in Select Committees; drafting and promulgation of Ordinances and Regulations; enactment of State Acts as Presidents' Acts whencver required; scrutiny of statutory Rules and Orders.

2. Constitution Orders; notifications for bringing into force Constitution (Amendment) Acts.

3. (a) Publication of Central Acts, Ordinance and Regulations;

(b) Publication of authorised translations in Hindi of Central Acts, Ordinances, Orders, Rules, Regulations and bye-laws referred to in section 5(1) of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

4. Compilation and publication of unrepealed Central Acts, Ordinances and Regulations of general statutory Rules and Orders, and other similar publications.

5. Elections to Parliament, to the Legislatures of States, to the Offices of the President and Vice-President; and the Election Commission.

6. Preparation and publication of standard legal terminology for use, as far as possible, in all official languages.

7. Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and of Ordinances promulgated and Regulations made by the President and of all rules, regulations and orders made by the Central Government under such Acts, Ordinances and Regulations.

8. Making arrangements for the translation into official languages of the States of Central Acts and of Ordinances promulgated and Regulations made by the President and for the translation of all State Acts and Ordinances into Hindi if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi.

9. Publication of law books and law journals in Hindi.

The following subjects, which fall within list III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards Legislation only)—

10. Marriage and divorce; infants and minors; adoption; wills; intestate and succession; joint family and partition.

11. Transfer of property other than agricultural land, registration of deeds and documents.

12. Contracts, but not including those relating to agricultural land.

13. Actionable wrongs.

14. Bankruptcy and insolvency.

15. Trusts and trustees, Administrators General and Official Trustees.

16. Evidence and oaths.

17. Civil procedure including Limitation and Arbitration.

18. Charitable and religious endowments and religious institutions.

Other Subjects

19. The Wakf Act, 1954.

20. Work in respect of Wakf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950.

21. Administration of Durgah Khawaja Saheb Act, 1955.

C. DEPARTMENT OF JUSTICE

(NYAYA VIBHAG)

1. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances.

2. Appointment, resignation and removal etc. of Chief Justice and Judges of High Courts in States; their salaries, rights in respects of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances.

3. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial officers in Union Territories.

4. Constitution and organisation (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein.

5. Constitution and organisation of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts.

6. Administration of justice and constitution and organisation of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.

7. Court fees and Stamp duties in the Union Territories.

8. Creation of all India Judicial Service.

9. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories.

10. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the jurisdiction of a High Court.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND TOURISM

(SANSADIYA KARYA AUR PARYATAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SANSADIYA KARYA VIBHAG)

1. Dates of summoning and prorogation of the two Houses of Parliament : dissolution of Lok Sabha, President's address to Parliament.

2. Planning and coordination of legislative and other official business in both Houses.

3. Allocation of Government time in Parliament for discussion of motions given notice of by Members.

4. Liaison with Leaders of Groups and Deputy Chief Whips.

5. Lists of Members of Select and Joint Committees on Bills.

6. Appointment of Members of Parliament on Committees and other bodies set up by Government.

7. Functioning of Consultative Committees of Members of Parliament for various Ministries.

8. Implementation of assurances given by Ministers in Parliament.

9. Government's stand on Private Members' Bills and Resolutions.

10. Secretarial assistance to the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.

11. Salaries and Allowances of Members of Parliament Act.

12. Salaries and Allowances of the Officers of Parliament Act.

13. Advice to Ministries on procedural and other Parliamentary matters.

14. Coordination of action by Ministries on the recommendations of general application made by Parliamentary Committees.

15. Officially sponsored visits of Members of Parliament to places of interest.

16. Matters connected with powers, privileges and immunities of Members of Parliament.

B. DEPARTMENT OF TOURISM

(PARYATAN VIBHAG)

1. Development of Tourism.

2. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels/Motels thereunder. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(KARMIK AUR PRASHIKSHAN, PRASHASANIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING (KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)

I. Recruitment, Promotion and Morale of the Services.

1. Reservation of posts in Services for certain classes of citizens.

2. General questions relating to recruitment, promotion and seniority pertaining to Central Services except Railways Services and services under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical Services under the Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag).

3. General policy regarding age limits, medical standards, educational qualifications and recognition of non-technical degrees/diplomas for appointment to Government service.

4. General policy matters regarding classification of posts and grant of gazetted status in relation to Services other than Railway Services.

5. Recruitment of ministerial staff for the Government of India Secretariat and its attached offices except that for the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

6. Appointment of non-Indians to Civil posts under the Government of India except posts under the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

7. General policy regarding employment assistance to persons of Indian origin coming from various countries.

8. Concessions to War Service candidates in respect of appointments to Civil posts and services.

9. General policy regarding resettlement of displaced Government servants from areas now in Pakistan and retrenched temporary employees.

10. Concessions to political sufferers in the matters of first appointment or reappointment to the public services.

11. General policy regarding grant of extension to or re-employment of superannuated officers.

12. Issue of certificates of eligibility for appointment of Civil Services and posts under the Union in respect of persons other than Indian citizens.

13. (a) Deputation of Indian experts abroad under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) and on bilateral basis of the developing countries of Asia, Africa and Latin America.

(b) Deputation of officers or placements with the United Nations and its allied agencies as also with other international agencies like ILO, FAO, etc.

14. General policy regarding varification of character and antecedents suitability of candidates for appointment to Government service.

15. Policy matters relating to issue of No Objection certificate to serving personnel for registration with the Employment Exchange for higher posts.

16. Matters relating to Personal Staff of Ministers.

17. Re-deployment of staff rendered surplus in Central Government offices as a result of :—

(i) administrative reforms

(ii) studies made by the S.I.U.

(iii) winding up of long term but temporary organisations.

18. Advising Ministries on proper management of various cadres under their control.

II. Training.

(19) (a) Formation and coordination of training policies for the All India and Central Services.

(b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Institute of Secretariat Training and Management.

(c) Training programmes for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

(d) Preparation and publication of training material and of information of training techniques, facilities and programmes.

(e) Liaison with training institutions within the States and abroad.

(f) Refresher and special courses for Middle and Senior Management levels.

III. Vigilance and Discipline.

20. (a) The Prevention of Corruption Act, 1947; the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division, and the Administration Division); the Food Offences Wing; and Economic Offences Wing.

(b) Accord of sanction for the prosecution of any person for any offence investigated into by the Delhi Special Police Establishment where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

Note : Sanction for the prosecution of any person for any offence not investigated into by the Delhi Special Police Establishment shall be accorded by the Administrative Department where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

(c) Central Vigilance Commission.

(d) All policy matters pertaining to vigilance and discipline among public servants.

(e) Relationship between Members of Parliament and the Administration.

IV. Service Conditions.

21. General questions (other than those which have a financial bearing) including Conduct Rules relating to All India and Union Public Services except in regard to services under the control of the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) the Department of Electronics (Electroniki Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

22 Conditions of service of Central Government employees (excluding those under the control of the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag),

the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical personnel under the Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag), other than those having a financial bearing and in so far as they raise points of general service interests.

23. (a) The administration of all service rules including F.Rs, S.Rs. and C.S.Rs. (but excluding those relating to Pension and other retirement benefits) except :—

(i) proposals relating to revisions of pay structure of employees ;

(ii) proposals for revisions of pay scales of Central Government employees ;

(iii) appointment of Pay Commission, processing of the recommendation and implementation thereof ;

(iv) dearness allowance and other compensatory allowances and travelling allowances ;

(v) any new facility to Government employees by way of service conditions of fringe benefits which involve significant recurring financial implications ; and

(vi) matters relating to amendments to service rules having a predominantly financial character.

(b) Initiation of proposals for new facility to Government employees by way of service conditions and fringe benefits, involving significant recurring financial implications.

(c) Issue of formal orders of the Government of India in matters relating to amendments to service rules including those having a predominantly financial character referred to in item (vi) of clause (a).

(d) Relaxation and liberalisation of any service rules having a long-term financial implications in consultation with the Ministry of Finance.

24. Grants to the Indian Institute of Public Administration.

25. Leave travel concession for civil employees other than Railway employees.

26. The Central Services (Temporary Service) Rules, 1949.

27. General policy regarding retrenchment and revision of temporary Government servants except those under the Department of Railways (Rail Vibhag).

28. Administration of the Central Services (Safeguarding of National Security) Rules.

29. Uniforms for Class IV and other Government servants in the Central Secretariat, and its attached offices.

30. Working Hours and Holidays for Government of India offices.

31. Administration of service rules with financial content under specific delegation made by the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).

32. Advice on proposals in respect of the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) relating to the number or grade of posts to the strength of a service or to the pay and allowances of Government servants or any other conditions of their service having financial implications.

33. General policy regarding reimbursement of legal expenses incurred by Government Servants.

34. Proposals for grant of ex-officio Secretarial status.

35. Honorary appointments of persons in civil posts.

36. Oath of allegiance to the Constitution.

V. Senior and Middle Management.

37. All aspects of Senior Management (i.e. Joint Secretaries and above and their equivalents) including developments of personnel for it.

38. (a) Establishment Officer to the Government of India.

(b) Appointments Committee of the Cabinet.

(c) Central Establishment Board.

(d) Career Development for Middle Management (i.e. Directors, Deputy and Under Secretaries and equivalents).

VI. Government Employees Relations, including Staff Grievances and Welfare.

39. (a) Service Associations of the industrial and non-industrial employees of the Government of India.

(b) Joint Consultative Machinery ; Departmental Council for the Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag).

(c) Machinery for the redress of staff grievances.

(d) Staff welfare including sports, cultural activities, Grih Kalyan Kendras, Canteens, Cooperative Stores etc.

(e) Other matters involving Government Employees relations not specifically provided for under any other entry relating to this Ministry.

VII. Union Public Services Commission

40. Union Public Service Commission.

VIII. Centralised aspects of Managing IAS, Inter-Ministry cadres including a Career Planning for the members thereof.

41. (a) Creation of new All India Services.

(b) Rules and Regulations under the All India Services Act, 1951.

(c) All matters relating to the Indian Administrative Service including the Indian Civil Service.

(d) All India Civil List and History of Services

(e) Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers' Service and Central Secretariat Clerical Service.

IX. Career Planning and Manpower Planning.

42. (a) General Policy questions regarding Career Planning and Manpower Planning for the All India and Central Government Services.

(b) All matters pertaining to Career Planning and Manpower Planning for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

X. Personnel Management Agencies.

43. Co-ordination of the work of personnel management agencies within various Ministries and Departments.

XI. Research in Personnel Administration etc :

44. Research in Personnel Administration ; liaison with State Governments, professional institutions etc., in personnel matters.

XII. Allocation of Personnel and integration of Services as a Result of States re-organisation.

45. (a) Allocation of service personnel affected by re-organisation of States.

(b) Division and integration of services affected by the re-organisation of States other than the Union Territories.

(c) Protection of service conditions of personnel affected by re-organisation of States.

(d) Other matters relating to State Services affected by the re-organisation of States.

B. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES

(PRASHASNIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT VIBHAG)

1. Administartive Reforms.

2. Organisation and methods.

3. Policy and Coordination of issues relating to

(i) Redressal of Public Grievances in general; and

(ii) Grievances pertaining to Central Government agencies.

C. DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

(PENSION AUR PENSION BHOGI KALYAN VIBHAG)

1. Administration of all schemes relating to retirement benefits to Central Government employees including—

(i) Gratuity;

(ii) Pension rules Central Service (Pension) Rules 1972, Pension Regulations for Army 1961 (Parts I and II), Pension Regulations for Air Force 1961, Navy (Pension) Regulations 1964, Freedom Fighters Pension, Commutation of Pension, Disability Pension, Family Pension;

(iii) Pension structure and relief to pensioners;

(iv) New facilities or fringe benefits to Government pensioners; and

(v) Matters relating to amendment/relaxation of Pension Rules/other rules concerning retirement benefits.

The action in respect of (iii) above will be in consultation with and subject to concurrence by Ministry of Finance (Vitta Mantralaya). The action in respect of (iv) and (v) above involving significant recurring financial implications or having predominently financial character only will be in consultation with and subject to concurrence by Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).

2. Pension matters which are administered by the Department of Railways (Rail Vibhag) will be outside the purview of the Department.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)

1. Exploration for, and exploitation of petroleum resources, including natural gas.

2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum, including natural gas and petroleum products.

3. Oil Refineries, including Lube Plants.

4. Additivies for petroleum and petroleum products.

5. Tube Blending and greases.

6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Ministry.

7. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

8. Planning, development and regulation of oilfield services.

9. Public sector projects falling under the subjects included in this list. Engineers India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry/Department.

10. The Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948).

11. The Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959).

12. The Petroleum Pipelines [(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)].

13. The Esso (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974 (4 of 1974)].

14. The Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974).

15. The Burmah-Shell [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976)].

16. The Caltex [(Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Act, 1977 (17 of 1977).

17 Administration of the Petroleum Act, 1934 and the rules made thereunder.

MINISTRY OF PLANNING

(YOJANA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PLANNING

(YOJANA VIBHAG)

Responsibility to Parliament in regard to the subjects of national planning.

B. DEPARTMENT OF STATISTICS

(SANKHYIKI VIBHAG)

1. Standards and norms and methods of collection of Statistics.

2. Central Statistical Organisation.

3. National Sample Survey.

4. Indian Statistical Institute.

5. Computer Centre.

6. Centralised aspects of managing the Indian Statistical Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that service.

MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION

(KARYAKRAM KARYANAVAYAN MANTRALAYA)

1. Monitoring the implementation of projects and programmes.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)

1. Formulation of policy statements and guidelines in science and technology.

2. Science Advisory Committee to the Cabinet (SACC).

3. Promotion of new areas of science and technology.

4. Futurology.

5. Coordination of areas of science and technology in which a number of institutions and departments have interests and capabilities.

6. Undertaking or financially sponsoring scientific and technological surveys, research design and development, where necessary.

7. Support and Grants-in-aid to Scientific Research Institutions, Scientific Associations and Bodies.

8. International Scientific and Technological Affairs, including :—

(a) the negotiations and implementation of Scientific and Technological Cooperation Agreements and responsibility for the scientific and technological aspects of activities of international organisations; and

(b) appointment of scientific Attaches abroad.

Note : These functions shall be exercised by the Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag) in close cooperation with the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

9. Scientific Surveys :

(i) Survey of India;

(ii) National Atlas & Thematic Mapping Organisation.

10. India Meteorological Department.

11. (i) Institute of Astro-physics;

(ii) Institute of Geo-magnetism;

(iii) Institute of Tropical Meteorology.

12. National Council of Science & Technology Communication.

13. National Science and Technology Entrepreneurship Development Board.

14. National Biotechnology Board.

15. Matters commonly affecting scientific and technological institutions e.g. financial, personnel, purchase and import policies and practices.

16. Management Information Systems for Science and Technology and coordination thereof.

17. Matters regarding Inter-Agency Inter-Departmental coordination for evolving science and technology missions.

18. Matters concerning domestic technology particularly the promotion of ventures involving the commercialisation of such technology other than those under the Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).

19. All other measures needed for the promotion of science and technology and their application to the development of security of the nation.

B. DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(VIGYAN AUR AUDYOGIK ANUSANDHAN VIBHAG)

1. All matters concerning the Council of Scientific and Industrial Research.

2. All matters relating to National Research Development Corporation.

3. All matters relating to Central Electronics Limited.

4. National Information System on Science and Technology (NISSAT).

5. Registration and Recognition of R&D Units.

6. Matters relating to UNCTAD & WIPO.

7. National register for foreign collaborations.

8. Matters relating to creation of a pool for temporary placement of Indian Seientists and Technologists.

9. National register of Scientific Manpower.

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF STEEL
(ISPAT VIBHAG)

1. Steel plants in the public and private sectors, the re-rolling industry and ferro-alloys, including all future developments.

2. Development of iron ore mines in the public sector.

3. Development of other ore mines and coal washeries and mineral processing for the steel plants.

4. Produetion, distribution, prices, imports and exports of iron and steel and ferro-alloys.

5. Planning, development and control of, and assistance to, all iron and steel industries.

6. Production, supply, pricing and distribution of iron ore, manganese ore, limestone, sillimanite, kyanite and other minerals and alloys used in steel industry, excluding grant of mining leases or matters conneeted therewith.

7. The Steel Authority of India Limited and its subsidiaries.

8. Matters relating to the following undertakings, namely :—

(1) The Mysore Iron and Steel Company Ltd.

(2) The Bolani Ores (India) Ltd.

(3) The Manganese Ore (India) Ltd.

(4) The Metals Scrap Trading Corporation.

9. Other Public Sector Enterprises or Undertakings falling under the subjects included in this list, except such as are speeifically allotted to any other Department.

10. All Attached or Subordinate Offiees or other organisations eoncerned with any of the subjects specified in this list.

B. DEPARTMENT OF MINES
(KHAN VIBHAG)

1. Regulation of mines and development of minerals other than coal and lignite and sand for stowing under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, and other Union Laws including questions concerning various States and incidental business in respect of these.

2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Department, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.

3. Planning development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

4. Geological Survey of India.

5. Indian Bureau of Mines.

6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects speeified in this list.

7. The Sikkim Mining Corporation Limited.

8. Public Sector enterprises and undertakings falling under the subjeets included in this list, exeept such as are specifically allotted to any other Department.

9. Metallurgical Grade Silieon.

MINISTRY OF TRANSPORT
(PARIWAHAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF RAILWAYS
(RAIL VIBHAG)

1. Government Railways—All matters, including those relating to Railway revenues and expenditure, but excluding Railway Inspeetorate and Railway Audit.

2. Non-Government Railways—Matters in so far as provision for control by the Department of Rail ways (Rail Vibhag) (Railway Board) is provided in the Indian Railways Act, or in the contracts between the Government and the Railways, or in any other statutory enactments, namely, regulations in respect of safety, maximum and minimum rates and fares etc.

3. Parliament Questions regarding offences relating to pilferage of railway property other than offences relating to crime on Government Railways and Non-Governmental Railways.

B. DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN VIBHAG)

1. Aireraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes exeepting Sanitary Control of air navigation.

2. Beacons and other provision for the safety of aireraft.

3. Carriage of passengers and goods by air.

4. International Civil Aviation Organisation (ICAO)

5. International Air Transport Assoeiation (IATA)

6. Commonwealth Air Transport Council (CATC)

7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council.

8. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

9. Hotel Corporation of India

10. Chief Commissioner of Railway Safety.

11. International Airports Authority of India

12. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.

13. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

14. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.

15. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.

C. DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (JAL-BHOOTAL PARIWAHAN VIBHAG)

I. The following subjects which fall within list I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.

2 Lighthouses and lightships.

3. Major ports i e. the ports of Calcutta, Bombay, Madras, Visakhapatnam, Cochin and Kandla.

4 Compulsory insurance of motor vehicles.

5 Administration of the Road Transport Corporation Act, 1950.

6 Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

7. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.

8 Ship-building and Ship-repair industry.

9. Fishing vessels industry.

10. Floating craft industry.

In respect of the Union Territories :

11. Roads other than National Highways.

12. Tramways within municipal limits.

13. Inland waterways and traffic thereon.

14. Administration of the Motor Vehicle Act, 1939 and taxation of motor vehicles.

15. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

In respect of the Union Territories of Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands.

16. Organisation and maintenance of mainland-islands and intershipping services.

Other subjects which have not been included in the previous sub-heads.

17. Central Road Fund.

18. Coordination and Research pertaining to Road Works.

19. Road Works financed in whole or in part by the Central Government including road works in Sikkim and the tribal areas of Assam specified in parts A and B of the table appended to para 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

20. Motor vehicles legislation.

21. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.

22. Planning of Road and inland waterways Transport.

23. Promotion of Transport Cooperatives in the field of motor transport and inland water transport.

24. Development of townships of Gandhidham.

25. Legislation relating to and co-ordination of the development of minor ports.

26. Centralised arrangements for the servicing and repairs of staff cars belonging to the Central Government, except those under the control and use of Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

27. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions: -

(i) Those belonging to the Ministry of Defence (Raksha Mantralaya), the Department of Railways (Rail Vibhag) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag);

(ii) Buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil works budget; and

(iii) Buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union Territories, excluding, Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Railways, P&T and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Organisation.

5. Administration of Government estates including Government Hostels under the control of this Ministry. Location or dispersal of offices in or from the Metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952.

8. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation) Act, 1949.

9. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

10. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamala Market.

11. Formulation of housing policy and programme (except nodal responsibility for housing for landless rural labour which is assigned to the Department of Rural Development). Review of the implementation of the Plan Schemes. Collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques. General measures for reduction of building costs.

12. Human Settlement, including the United Nations Commission for Human Settlement and International Cooperation and Technical Assistace in the field of Housing and Human Settlement.

13. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.

14. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Co-operation and technical assistance in this field.

15. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas. International Co-operation and technical assistance in this field.

16. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.

17. Delhi Development Authority.

18. Master Plan of Delhi, Co-ordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the Union Territory of Delhi.

19. Erection of memorials in honour of freedom fighters.

20. Administration of the Delhi Development Act, 1957.

21. The Delhi Rent Control Act, 1958.

22. Development of Government Colonies.

23. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), District Boards and other Local Self-Government Administrations, excluding Panchayati Raj institutions.

24. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

25. Water Supply, sewage and drainage (excluding rural water supply which is assigned to the Department of Rural Development). Drinking water supply and sanitation. International co-operation and technical assistance in this field.

26. The Central Council of Local Self-Government.

27. Allotment of Government land in Delhi.

28. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

29. Public Sector Projects falling under the subject sincluded in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.

30. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

31. Delhi Urban Art Commission, Delhi Urban Art Commission Act, 1973.

32. Administration of Rajghat Samadhi Committee.

MINISTRY OF WATER RESOURCES
(JAL SANSADHAN MANTRALAYA)

1. General Policy, technical assistance, research and all matters relating to irrigation, including minor and emergency irrigation works, tubewells and ground water exploration, irrigation for agricultural purposes, flood control, anti-water logging, drainage and anti-sea erosion.

2. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys.

3. Administration of the River Boards Act, 1956.

4. Administration of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.

5. Central Water Commission.

6. Central Flood Control Board.

7. Farraka Barrage Project.

8. Indus Water Treaty, 1960.

9. International Commissions and Conferences relating to irrigation and flood control.

10. Irrigation and Flood Control Schemes in Union Territories.

11. Water and Power Consultancy Service (WAPCOS).

MINISTRY OF WELFARE
(KALYAN MANTRALAYA)

Part I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Operation of Indo-US, Indo-UK, Indo-German, Indo-Swiss and Indo-Swedish Agreements for duty free receipt of donated relief supplies/goods and matters connected with the distribution of supplies coming there under.

Part II

The following subject which falls within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :

2. Social Security and Social Insurance save to the extent allotted to any other Department.

Part III

For the Union Territories, the following subject which falls within List II or List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India, in so far as they exist in regard to such Territories :

3. Relief of the disabled and unemployable and measures relating to social security and social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.

Part IV

General and Consequential :

4. Social Welfare : Social Welfare Planning, Project formulation, research, evaluation, statistics and training.

5. Conventions with other countries in matters relating to social defence and references from United Nations Organisation relating to prevention of crime and treatment of offenders.

6. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans and orphanages.

7. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

8. Education, training, Rehabilitation and Welfare of the physically and mentally handicapped.

9. National Institute for the Physically Handicapped and Mentally Retarded.

10. National Centre for the Blind including the Central Braille Press, Dehra Dun, Training Centre for the Adult Deaf, and School for the partially deaf children, Hyderabad; Model School for Mentally retarded Children, New Delhi and other national institutes.

11. Central Social Welfare Board.

12. Social and Moral Hygiene Programme.

13. Beggary; Juvenile vagrancy, delinquency and other CARE Programmes.

14. Probation of Juvenile offenders.

15. Research, evaluation, training, exchange of information and technical guidance on all social defence matters, including correctional services.

16. All matters relating to prohibition.

17. Educational and social welfare aspects of drug addiction.

18. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Ministry.

19. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

20. National Institute of Public Cooperation and Child Development, Delhi.

21. National Institute of Social Defence.

22. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur (ALIMCO).

23. Coordination of activities of CARE.

24. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this List.

25. Administration of the following Acts :—

(a) Probation of Offenders Act, 1958; and

(b) Children Act, 1960.

26. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, denotified nomadic and semi-nomadic tribes and other Backward Classes including scholarships to students belonging to such Castes, Tribes and Classes.

27. (i) Appointment, resignation etc. of Special Officer for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc., and

(ii) Reports of the Special Officer.

28. Issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.

29. Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

NOTE : The Ministry of Welfare will be the nodal Ministry for overall policy, planning ad coordination of programmes of development for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry and Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

30. Reports of the Commission to Investigate into the conditions of Backward Classes.

31. (i) Scheduled Areas;

(ii) Matters relating to autonomous districts of Assam excluding roads and bridge works and ferries thereon; and

(iii) Regulations framed by the Governors of States for Scheduled Areas and for Tribal Areas specified in Part 'A' of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

32. (i) Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes; and

(ii) Issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.

33. (i) Appointment, resignation etc. of Special Officer for Linguistic Minorities; and

(ii) Report of the Special Officer.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(PARMANU OORJA VIBHAG)

1. All matters relating to Atomic Energy in India, e.g. :

(i) Administration of the Atomic Energy Act, 1962 including control of radio-active substances and regulation of their possession use, disposal and transport;

(ii) Research including fundamental research in matter Connected with atomic energy and the development of its uses in agriculture biology, industry and medicine.

(iii) Atomic minerals – Survey, prospecting drilling development, mining acquisition and control.

(iv) All activities connected with the development and the use of atomic energy, including :

(a) projects and industries concerned with substances and minerals prescribed under the Atomic Energy Act, their products and by-products;

(b) generation of electricity through the use of atomic energy;

(c) design, construction and operation of research, development and power reactors; and

(d) establishment and operation of facilities and plants including diversification

(i) for the production of materials and equipment required for research into and the use of atomic energy and for research in the nuclear sciences;

(ii) for the separation of isotopes, including plants adaptable to the separation of isotopes as by product including the production of heavy water as a main or subsidiary product.

(v) Supervision of State undertakings concerned with prescribed or radio-active substances, including—

(a) Indian Rare Earths Ltd.

(b) National Fertilizers Ltd., in so far as production of heavy water is concerned.

(c) Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)

(d) Uranium Corporation of India Ltd. (UCI)

2. Financial assistance for the furtherance of studies in the nuclear sciences and for building up an adequately trained manpower for the development of the atomic energy programme, including—

(i) Assistance to institutions and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in the nuclear sciences; and

(ii) Grant of scholarships in scientific subjects to students in Universities and other educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the nuclear sciences.

3. International relations in matters connected with atomic energy including--

(i) Matters relating to atomic energy in the United Nations Specialised Agencies, International Atomic Energy Agency and in relations with other countries, and

(ii) Correspondence with institutions, Universities etc. abroad in connection with foreign fellowships and the training of Indian scientists.

4. All matters relating to personnel under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

5. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

6. Procurement of stores and equipment required by Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

8. All matters connected with the advancement of higher mathematics, including--

(i) Matters relating to the promotion and coordination of advanced study and research;

(ii) International relations in higher mathematics, including in particular, matters relating to the Indian National Committee for Mathematics and the International Mathematical Union,

(iii) Grants to institutions and associations engaged in the advancement of higher mathematics; and

(iv) Grant of scholarships and other forms of financial aid for the advanced study and research.

9. All matters relating to the Tata Memorial Centre, Bombay.

10. All matters relating to the Tata Institute of Fundamental Research.

11. All matters relating to the Saha Institute of Nuclear Physics.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

(ELECTRONIKI VIBHAG)

1. Developments of Electronics and Coordination amongst its various users.

2. All matters relating to the personnel under the control of the Department.

3. Coordination of requirements relating to electronic processing equipment (computers)

4. All technology pertaining to silicon, other than metallurgical grade silicon.

5. National Silicon Facility.

6. All matters concerning computer based information, technology and processing including hardware and software, standardization of procedures and matters relevant to international bodies such as IFIP, IBI, ICC.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

(MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)

1. Matters relating to the Ocean and not specifically allocated to any other Department,Ministry.

2. Policies including coordination, regulatory measures and development relating to the Ocean and covering, inter alia—

(i) research (including fundamental research) and the development of uses relatable thereto;

(ii) technological development;

(iii) surveys to map and locate the availability of non-living and living marine resources;

(iv) preservation, conservation and protection;

(v) development of appropriate skills and manpower.

(vi) collaboration, including technical collaboration; and

(vii) laws relatable to the above.

3. Marine environment on the high seas.

4. Ocean Commission.

5. The Pan Indian Ocean Science Association.

6. Ocean Science and Technology Agency or Board.

DEPARTMENT OF SPACE

(ANTARIKSH VIBHAG)

1. All matters relating to Space, Science, Space Technology and Space Applications, including—

(i) research (including fundamental research) in matters connected with Space and the development of its uses;

(ii) all matters connected with Space Technology;

(iii) all matters connected with Space Applications; and

(iv) all activities connected with the development and use of outer Space, including—

(a) projects and industries concerned with the utilisation of outer Space;

(b) the design, manufacture and launching of Rockets and Satellites, and

(c) work connected with Space Applications.

2. Financial Assistance for the furtherance of research and study in Space Science and Space Technology and for building up adequate trained manpower for the development of the Space programme including :

(i) assistance to institution and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in Space Science; and

(ii) grant of scholarships to students in educational institutions, and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of Space Science.

3. International relations in matters connected with Space, including—

(i) matters relating to Space in the United Nations specialised agencies and relation with other countries; and

(ii) correspondence with Universities and other educational institutions abroad in connection with foreign scholarships and the training of Indian scientists.

4. All matters relating to the personnel under the control of the Department.

5. Execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the Department.

6. Procurement of stores and equipment required by the Department.

7. Financial sanctions relating to the Department.

8. All matters relating to the Physical Research Laboratory, Ahmedabad.

9. All matters relating to National Remote Sensing Agency (NRSA).

10. All matters relating to the National Natural Resources Management System including the generation of integrated data mainly based on remote sensing and assistance in the analysis and dissemination of such information.

CABINET SECRETARIAT

(MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)

1. Secretarial assistance to the Cabinet and Cabinet Committees.

2. Rules of Business.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

(RASHTRAPATI SACHIVALAYA)

1. To provide secretarial assistance to the President.

PRIME MINISTER'S OFFICE

(PRADHAN MANTRI KARYALAYA)

1. To provide secretarial assistance to the Prime Minister.

PLANNING COMMISSION

(YOJANA AYOG)

1. Assessment of the material, capital and human resources of the country, including technical personnel, and formulation of proposals for augmenting such of these resources as are found to be deficient.

2. Formulation of Plan for the most effective and balanced utilisation of the country's resources.

3. Definition of stages in which the Plan should be carried out on a determination of priorities and allocation of resources for completion of each stage.

4. Determination of the nature of the machinery necessary for the implementation of the Plan in all its aspects.

5. Appraisal from time to time of the progress achieved in the execution of each stage of the Plan.

6. Public Co-operation in National Development.

7. Hill areas development programme.

8. Perspective planning.

9. Directorate of Manpower.

NOTE:—The Planning Commission (Yojana Ayog) will be concerned broadly with technical questions relating to planning and the planning organisation itself. The policy and details of specific schemes included in the Plan are matters to be dealt with by the Central Administrative Ministries and State Governments.

ZAIL SINGH, President

[No. 74|2|1|85-Cab.]

L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

PRINTED BY I. P. M. NAGAR, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985